खण्ड-207, अंक-9
गुरूवार, 19 भाद्रपद, शक संवत् 1881
(10 सितम्बर, 1959 ई0)

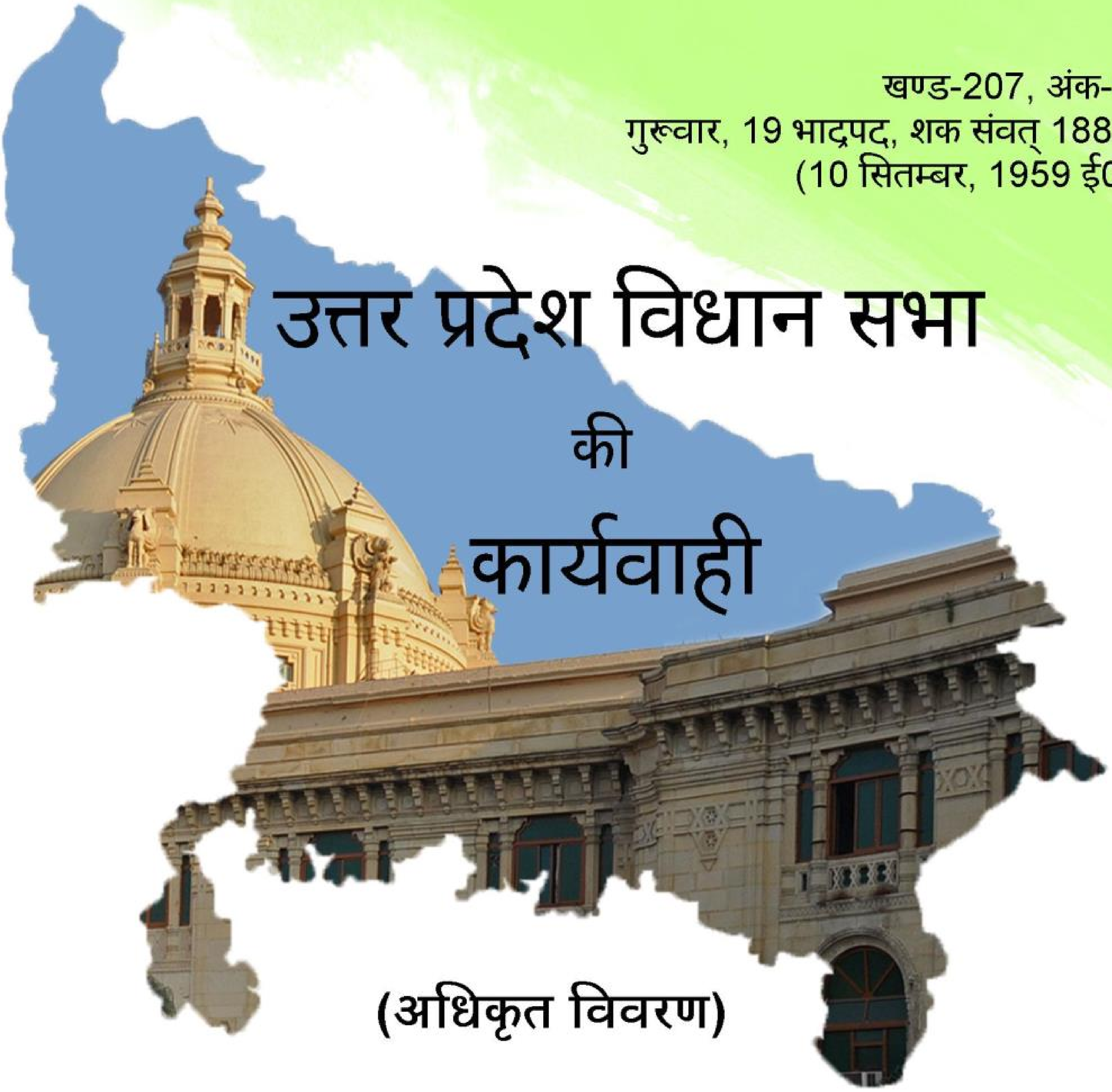

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 207 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १० सितम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह, विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री

बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी राबल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सिराजुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री

सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १० सितम्बर, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हाइडल के चीफ इंजीनियर श्री जी० एस० माथुर का अवकाश ग्रहण

**१—श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)—क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विद्युत् विभाग में किसी विशेष पदाधिकारी (Officer on Special Duty) की नियुक्ति हाल में हुई है ?

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—जी नहीं ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या अब कोई सरकार का इरादा है कि ओ० एस० डी० के नये पद को बनावे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—अभी यह सवाल सामने नहीं है । वास्तव में पिछले महीने छुट्टी खत्म होने के बाद फिर, जिस कर्मचारी के विषय में इसमें पूछा गया है, उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी है । इसलिये यह सवाल उठता नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि श्री जी०एस०माथुर जो कुछ दिन पहले हाइडल के चीफ इंजीनियर थे और जिनको यह कहकर हटा दिया गया था कि वह फिर से सर्विस में न आवें, फोर्स रिटायरमेंट दी गई थी, उनको जगह देने के लिये फिर बिजली विभाग में एक नये पद की व्यवस्था होने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—उनका फोर्स रिटायरमेंट नहीं हुआ और न उनको फोर्स लीव दिलाई गई । जिस व्यक्ति के सिलसिले में बात कही गई, उनको छुट्टी दी गई थी । उनको छुट्टी लेने का हक़ था तो उन्होंने छुट्टी ली और छुट्टी लेने पर वह बाहर गये हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बतलायेगी कि उन्होंने कब छुट्टी ली थी और वह छुट्टी कितने दिनों तक चली ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक छुट्टी की बात है उनकी छुट्टी १-२-१९५९ से शुरू है और उसकी समाप्ति ३०-९-१९५९ को होगी ।

श्री गौरीशंकरराय—क्या यह सही है कि उनको छुट्टी लेने के लिये मजबूर किया गया और इसके साथ ही यह भी उनकी किताब में लिखा है कि फिर से सर्विस ज्वाइन वह न करें ?

श्री गिरधारी लाल—अभी मैंने फाइल को डिटेल में नहीं देखा है, लेकिन छुट्टी उन्होंने अपनी मर्जी से ली है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि श्री माथुर की उनके पास कोई शिकायत आई थी और उस शिकायत पर यह कहा गया कि आप छुट्टी ले लीजिये ? यह हमारी जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष—सरकार ने यह कहा है कि वह छुट्टी पर गये हैं। उनको फोर्स नहीं किया गया छुट्टी लेने के लिये। इतनी उनकी जानकारी है ।

श्री राजनारायण—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि माथुर साहब को फोर्स्ड लीव दिलाई गई ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, सवाल जानकारी के लिये किये जाते हैं। इसकी उनको जानकारी है। लिहाजा ऐसा सवाल नहीं होना चाहिये ।

श्री राजनारायण—क्या मेरी जानकारी सही है कि माथुर साहब के विरुद्ध शिकायत आई थी कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और सरकार से बहुत-सी बातों को छिपाकर रखा है जिससे सरकार का अहित हुआ है तो तभी उनको फोर्स्ड लीव दिलाई गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह जवाब दिया जा चुका है कि उनको मजबूर नहीं किया गया।

श्री गौरीशंकरराय—बिजली के महकमे में कोयले की खरीद व फरोख्त के साथ अन्य कई भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाये गये थे, जिनकी जांच हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे उठता नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—(जिला अल्मोड़ा) क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि भूतपूर्व मंत्री श्री चरण सिंह के जमाने में इन्होंने छुट्टी ली थी और इन के आने पर उन्होंने फिर सरकार के पास असंतोष प्रकट किया है ?

श्री अध्यक्ष—यह मूल प्रश्न से पैदा नहीं होता ।

मोदीनगर में श्रमिकों की मांगों के लिये भूख हड़ताल

****२—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इस समय मोदी नगर में श्रमिकों की कुछ मांगों को लेकर दो व्यक्ति भूख हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से और उनकी मुख्य मांगें क्या हैं?

श्रम उप मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जी नहीं, इस समय कोई भी व्यक्ति भूख हड़ताल नहीं कर रहा है। प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस दिन यह प्रश्न पूछा गया था उसी दिन मोदी नगर के मजदूरों की मांगों को ले कर दो व्यक्ति हड़ताल कर रहे थे और उनको पुलिस ने बलपूर्वक ले जा कर अस्पताल में भरती कर दिया ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आपका पहला प्रश्न है कि जिस दिन प्रश्न किया गया था उस दिन क्या वे भूख हड़ताल कर रहे थे। २० अगस्त को ५.४५ पर दो व्यक्ति हड़ताल कर रहे थे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि प्रश्न किस दिन पूछा गया था। इसके लिये फाइल देखने की आवश्यकता होगी। २९ अगस्त को वे दोनों व्यक्ति अस्पताल ले जाये गये, लेकिन यह गलत है कि उनको बलपूर्वक पुलिस पकड़ कर ले गयी। उनको कहा गया और वे खुशी-खुशी चले गये और वहां जाने के बाद जिलाधीश ने जो रिपोर्ट हमको भेजी है वह यह कि उन्होंने भूख हड़ताल स्वयं ही तोड़ दी।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समय वह भूख हड़ताल कर रहे थे उस समय सरकार ने वहां मोदी नगर में धारा १४४ लगा दी थी और वह कौन-सी मांगें थीं कि जिन को ले कर वे दो व्यक्ति भूख हड़ताल कर रहे थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह सही है कि धारा १४४ लगा दी गयी थी, जैसा इस सदन में पहले भी कहा जा चुका है ताकि अशांति न पैदा हो जाय। कुछ लोग अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे थे उसको बचाने के लिये ऐसा किया गया था ताकि मिल के कर्मचारी जो नहीं चाहते थे कि बाहरी लोग उनको डिस्टर्ब करें, शांति से काम कर सकें। इस धारणा से दफा १४४ लगा दी गयी थी। जहां तक मांगों का प्रश्न है वह मोदी नगर के मिल मालिकों और मजदूरों में जो एक समझौता हुआ था, उसे वह रद्द करा देना चाहते थे और चाहते थे कि मंहगाई भत्ता उनको कानपुर के रेट से दिया जाय। इसी तरह की दो-तीन मांगें उनकी थीं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि मजदूरों की तरफ से यह अनुरोध किया गया है कि उनकी मांगें एडजुडिकेशन के सुपुर्द कर दी जायं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कोई एडजुडिकेशन का प्रश्न वहां नहीं उठता और न कोई मांग ही हुई। वह तो चाहते हैं कि आपस के विवाद को समाप्त करने के लिये जो वहां यंत्र बना हुआ है उसको तोड़ दिया जाय।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन मांगों में से एक यह भी थी कि मोदीनगर में जो मोदीनगर कपड़ा मिल मजदूर यूनियन है उस समझौते में उनके प्रतिनिधि भी रहें और जो समझौते की कमेटी बनी हुई है उसको एक्सटेंड न किया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जहां तक मान्यवर मुझे मालूम है उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि वर्तमान कैंसिलियेशन बोर्ड समाप्त कर दिया जाय।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन मजदूरों के भूख हड़ताल करने से पहले जो मांगें आपने बतलायीं उनमें से कोई सरकार ने पूरी करने का आश्वासन दिया था जब उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त की थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कोई आश्वासन का प्रश्न नहीं था। वह तो बात करते हैं भूख हड़ताल के द्वारा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या उन मजदूरों की यह भी मांग थी कि जैसी समझौते की मशीनरी सारे प्रदेश में है वैसी ही वहां भी चलायी जाय ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—प्रदेश में हमारी कोशिश है कि जिस तरीके से मिल मालिक और मजदूर आपस में बैठ कर समझौता कर सकें वही तरीका मुनासिब होगा, लेकिन उस छोटे तबके का यह खयाल है कि वहां मुकदमेबाजी का तरीका लागू किया जाय।

यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के कुछ शो रूम बन्द करना

**३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को विदित है कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स के कौन-कौन से शो रूम्स (Show Rooms) अगस्त, १९५९ की समाप्ति तक बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो वह क्यों बन्द हुए हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां । गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रेफ्ट्स के गोरखपुर, अल्मोड़ा, नैनीताल, मेरठ तथा देहरादून स्थित शो रूम्स अगस्त, १९५९ की समाप्ति तक बन्द कर दिये गये थे । इन शो रूम्स को बन्द करने का कारण यह था कि यह नुकसान में चल रहे थे और इनके विक्रय के बढ़ने की कोई आशा न थी ।

**४—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस तालाबन्दी का असर बिक्री पर क्या रहा है तथा अब तक इन शो रूम्स के खुलवाने का क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इन शो रूम्स के बन्द होने से गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रेफ्ट्स की बिक्री पर कोई हानिकारक असर नहीं हुआ, अतएव इनको खुलवाने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नागपुर और भूपाल के शो रूम भी अगस्त के आखिरी हफ्ते में किसारे के कारण बन्द कर दिये गये थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—नागपुर और भूपाल में ९-१-१९५६ और २६-४-१९५८ से हमारे शो रूम्स खुले हैं ।

श्री अब्दल रऊफ लारी—जब सरकार बारबार यह कहती है कि यह डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और प्रचार के लिये है और उसमें हानि का खयाल नहीं किया जाता है तो इन शो रूम्स को नुकसान की वजह से क्यों बन्द किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—पहले जो कहा गया उसमें से आधा माननीय सदस्य ने पकड़ा है । यह सही है कि डेवलपमेन्ट के काम में यह बहुत मदद देते हैं, लेकिन उद्देश्य नो-प्राफिट-नो-लास पर चलाने का है ।

श्री मदन पांडेय—क्या यह सही नहीं है कि इन शो रूम्स में ३३,१/२ परसेंट तक मुनाफा लिया जाता है ? यदि हां, तो यह मुनाफा लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैंने यह नहीं कहा कि आज हम इनको इस तरह से चला रहे हैं । जहां हानि है और यह आशा की जाती है कि वह पूरी हो जायगी वहां चलाने की कोशिश करते हैं । ३३, १/३ परसेंट के मुनाफे के बारे में मैंने उस दिन भी कहा था कि वह लाभ नहीं है । जिस दाम पर हम चीजों को खरीदते हैं उससे ऊंचे दामों पर बेचते हैं और अलग-अलग किस्म की चीजों के लिये अगल-अलग दरें हैं, लेकिन यह परसेंटेज पूरा लाभ नहीं है, इसमें रेलवे फ्रेट, स्टाफ, इमारतों का किराया आदि भी शामिल हैं ।

श्री गोबिन्दसिंह बिष्ट—क्या यह सही है कि बन्द किये गये शो रूम्स के मुकाबले मेंलखनऊ के शो रूम्स में कहीं ज्यादा हानि है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—लखनऊ के शोरूम की रोजमर्रा की बिक्री का नफा और नुकसान हम नहीं देखते हैं । उससे बड़ी चीज यह है कि बिदेशों के लोग इसको देखकर जो खरीदारी करते हैं वे सारे लम्बे-चौड़े लाभ हैं जो लखनऊ के शोरूम से हमको होते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या हैंडीक्राफ्ट्स की चीजों की बिक्री के लिये विदेशों में प्रबन्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्या वहां इतनी बिक्री नहीं होती कि यहां उसके लिये नुकसान दिया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा-सभी हमारी उत्पादन की हुई चीजें सब विदेशों में बिकेंगी, इसकी हमको आशा नहीं है। बल्कि अपने देश में भी खपत की आशा है, जैसे जैसे जन-जीवन का स्तर यहां ऊंचा होता जायगा। लेकिन आज सत्य यह है कि पिछले ५,७ सालों में विदेशों में भी हमने बिक्री बढ़ाई है। उसके लिये हमको आल-इंडिया हैन्डीक्राफ्ट्स बोर्ड से काफी मदद मिली है। इसमें दिल्ली के एक्स्पोर्ट प्रोमोशन केन्द्र ने भी काफी काम किया है।

सेक्रेटरियेट लखनऊ से रद्दी की चोरी

****५--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलदन्शहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या ३१-८-१९५९ के प्रातः ४ व ५ बजे के बीच से सेक्रेट्रियेट लखनऊ के अन्दर से कागजों को बोरियों में भर कर ले जाता हुआ बच्चों का एक गिरोह पकड़ा गया ? यदि हां, तो इस मामले में क्या किया गया और क्या उन कागजों में कोई आवश्यक फाइल भी पाई गई ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--३१-८-१९५९ को लगभग ५ बजे प्रातः ऐसी एक घटना हुई। इसकी तुरन्त पुलिस में रिपोर्ट कर दी गयी तथा जो बच्चे कागज ले जाते हुये पकड़े गये थे उन्हें जांच के लिये पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

इन फटे हुये रद्दी कागजों में कोई फाइल नहीं पायी गयी।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो बच्चे पकड़े गये उनकी अवस्था क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं नहीं जानता, लेकिन दीवार फांद कर आये थे चोरी करने के लिये, इसलिये काफी होशियार लड़के मालूम होते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या सचिवालय में रात को कोई पहरा लगता है ? यदि हां, तो उन्हें पहरेदारों ने पकड़ा या किसी बाहर के आदमी ने ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हमारी सूचना तो यह है कि पहरेदारों ने ही पकड़ा।

श्री राजनारायण---ये बच्चे रद्दी किसी कमरे के अन्दर से उठा कर ले जा रहे थे या कागज बाहर पड़े हुये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बहुत से बोरे रद्दी कागज के बेचने के लिये बाहर मैदान में पड़े हुये थे।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि उन बच्चों का किन लोगों से सम्बन्ध है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर पुलिस का मुकदमा चलेगा तो आपसे आप पता चल जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---पुलिस की जांच का क्या नतीजा रहा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे नहीं मालूम है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या ये कागजात किसी कमरे विशेष में रखे थे और वह कमरा खुला हुआ था या किसी कमरे को खोलकर ये कागजात निकाले गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी कोई आधा मिनट हुआ राजनारायण जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने बतलाया था कि वे कागजात खुले मैदान में पड़े थे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--वे बच्चे अधिक से अधिक कितनी उम्र के थे ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब मंत्री जी दे चुके हैं।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेक्रेटरियेट का वेस्ट पेपर कहीं जमा किया जाता है या जलाया जाता है या फेंका जाता है ? यदि हां, तो कहां, सेक्रेटेरियेट के अन्दर या बाहर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पहले सेक्रेटेरियेट की रद्दी जला दी जाया करती थी। जब यह मालूम हुआ कि इससे कुछ पैसा मिल सकता है तो जो ऐसी रद्दी होती है जिसे बाहर भेजने में कोई हर्ज नहीं है वह बेच दी जाती है।

श्री चन्द्रजीत यादव--इन बच्चों के विरुद्ध किस धारा में केस रजिस्टर किया गया है और कितने बच्चों के खिलाफ है ? क्या उनका सम्बन्ध सेक्रेटरियेट के किसी एम्पलायी से भी है ?

श्री अध्यक्ष--पुलिस द्वारा केस चलेगा तो यह पता लग जायगा, यह उन्होंने पहले ही कह दिया है। पहले हिस्से का मुख्य मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह कानूनी सवाल है, इसके बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सही है कि इन्हीं बच्चों के द्वारा सेक्रेटरियेट में पहले भी कोई ऐसी घटना की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझे तो पता है नहीं।

जिला हरिजन सहायक समितियों द्वारा छात्रवृत्तियां देना

****६--श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के लिये जिला तथा प्रान्तीय स्तर पर कोई समितियां होती हैं ? यदि हां, तो उनका गठन कैसे, किस आधार पर होता है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जिला स्तर पर हां, प्रान्तीय स्तर पर नहीं।

जिला स्तर पर छात्रवृत्तियां जिला हरिजन सहायक समिति की स्वीकृति द्वारा वितरण की जाती हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त प्रार्थना-पत्र और विवरण के प्रस्ताव समिति के समक्ष रखकर स्वीकृति लेता है।

जिला हरिजन सहायक समिति राजाज्ञा संख्या ८८१/२६--७६८-५९, दिनांक १६ मार्च, १९५९ द्वारा संगठित की गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८०९-८११ पर)

श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार बतायेगी कि प्रान्तीय स्तर पर सरकार को ऐसी कमेटी बनाने में क्या आपत्ति है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रान्तीय स्तर पर हरिजन सहायक बोर्ड बना हुआ है।

श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार बतायेगी कि जिले की जो कमेटी है उसमें बैकवर्ड एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० को भी रखे जाने की इजाजत दी जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पीज० उसमें होते हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैकवर्ड क्लास के प्रतिनिधियों को नियुक्त भी करता है।

श्री राजनारायण--जिले में जो हरिजन सहायक समिति है उसमें जिलाधीश कितने व्यक्तियों को नामिनेट करता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जो जी० ओ० निकाला गया है उससे मालूम हो सकता है।

श्री रामायणराय (जिल देवरिया)--जिले की समितियों में विरोधीदल के सदस्यों को क्यों नहीं रखा जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उसमें शिड्यूल कास्ट के एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० रखें जाते हैं, चाहे वे विरोधीदल के हों या और किसी दल के हों।

मोदी स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स का कर्मचारी यूनियन के साथ समझौता

**७--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मोदी स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग मिल्स मोडीनगर और मोदी स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग कर्मचारी यूनियन के बीच कोई समझौता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां।

**८--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समझौता की अवधि हर वर्ष दोनों की सहमति से बढ़ायी जाती रहती है और इस वर्ष भी उक्त समझौते की अवधि बढ़ा दी गई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह समझौता कब हुआ था और अब इस समझौते की अवधि कब तक बढ़ाई गयी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यह समझौता १९५३ में हुआ था अब २ सितम्बर, १९५९ को एक वर्ष तक के लिए उसकी अवधि बढ़ा दी गयी है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या समझौता मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस मिल के मजदूरों की एक दूसरी प्रतिनिधि संस्था है और वह रजिस्टर्ड है तथा उस प्रतिनिधि संस्था ने इस समझौते की अवधि को बढ़ाये जाने पर आपत्ति प्रकट की है तथा यह भी मांग की है कि उस समझौता कमेटी में हमको भी शामिल किया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस तारीख तक सरकार उस मजदूर रजिस्टर्ड मजदूर संस्था को मजदूरों का प्रतिनिधि नहीं मानती। जहां तक सरकार से मांग करने का सवाल है एक ऐसी रजिस्टर्ड संस्था ने यह मांग की है कि यह समझौता लागू न किया जाय।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय श्रम मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस मिल में कुल कितने श्रमिक काम कर रहे हैं और जिस यूनियन के साथ समझौता किया गया है उसकी सदस्य संख्या क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---लगभग ३ हजार श्रमिक हैं और जिस संस्था के साथ समझौता हुआ है उसने २,६०० मेंबर रिटर्न के साथ इस साल दिखाये हैं।

श्री रामायणराय---क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि वक्तव्य में ३ हजार श्रमिक बताये गये हैं और जो चिट्ठी मंत्री जी ने नेता विरोधीदल को लिखी है उसमें २,६०० मजदूर बताये हैं और सोनवीर सिंह तोमर को जो चिट्ठी लिखी गयी है उसमें बताया गया कि २,९०० मेंबर हैं उस यूनियन के जिसके साथ समझौता होना कहा जाता है। क्या माननीय मंत्री जी इसको साफ करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मेरी मुश्किल मान्यवर यह है कि मजदूरों की कुल संख्या और ट्रेड यूनियन के मेम्बरों की संख्या में कुछ माननीय सदस्य को कनफ्यूजन हो रहा है। मैंने ३ हजार के लगभग कुल श्रमिकों की संख्या बतायी और २,६०० मेम्बर उस यूनियन ने क्लेम किये हैं जिसके साथ मालिकों का समझौता हुआ है। यह सही है कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी और दूसरे अन्य साथियों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री को यह बताया गया कि दूसरी यूनियन कहती है कि उसमें २,९०० मजदूर हैं, लेकिन सरकार के पास जिस ढंग से विवरण आना चाहिये वह ३१ जुलाई, १९५९ तक आ जाना चाहिये था। इसके बाद उन्होंने एक पत्र सरकार को लिखा कि हमको १५ दिन का समय और दे दें। वह १५ दिन का समय जाहिर है कि १५ अगस्त को खतम हो जाता है। १५ अगस्त तक उनकी कोई सूचना हमारे पास नहीं आयी। जब २ सितम्बर को यह आर्डर लागू कर दिया गया तो उसके बाद ५ सितम्बर को उनकी तरफ से एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार के पास आया है जिसकी देखरेख हो रही है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि हमारे २,९०० मेम्बर हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तारीख को सरकार ने यह आर्डर इनफोर्स किया उस तारीख को २,६०० मजदूरों की संख्या एक तरफ थी और दूसरी तरफ शून्य थी।

श्री गौरीशंकरराय---इस विवाद को देखते हुये कि एक यूनियन कहती है कि हमारी सदस्य संख्या २,६०० है और दूसरी कहती है कि हमारी सदस्य संख्या २,९०० है, तो क्या सरकार सभी मजदूरों का मतदान करायेगी कि उनका कि रिअल रेप्रेजेंटेशन आ जाय और तब तक पुरानी कंसोलिएशन कमेटी को पुनर्जीवन प्रदान किया जाय जब तक कि यह रेफेंडम हो ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ऐसा करने में हम असमर्थ हैं। इसलिये असमर्थ हैं कि अन्तराष्ट्रीय जगत और राष्ट्रीय जगत में मजदूरों, मिल मालिकों और सरकार के बीच में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन एक बात है कि वोट के द्वारा प्रतिनिधि संख्या आंकी जाय, यह एक तरीका है और दूसरे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो हैं उनके कागजात के आधार पर हम देखते हैं। पहले भी एक बार यह प्रश्न उठा था कि हमारी संख्या अधिक है तो रजिस्ट्रार ने इनक्वायरी की और मोदी स्पीनिंग ऐंड वीविंग यूनियन की सदस्य संख्या १,८२१ निकली और जो यूनियन २,९०० सदस्य संख्या होने का दावा करती है। उसकी सदस्य संख्या केवल १३९ निकली। उसका रिटर्न आ जाय तो उसे देखने के बाद ही विचार किया जा सकता है। यदि सरकार उससे सन्तुष्ट हो गयी और रजिस्ट्रार की सिफारिश सरकार के पास आयी कि इसकी जांच की आवश्यकता है तो उस वक्त इस प्रश्न पर विचार हो सकता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अंतर्गत निर्धारित प्रश्न]

जे० के० काटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स को० लिमिटेड, कानपुर के विरुद्ध शिकायत

*१—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सरकार उत्तर प्रदेश के लेबर कमिश्नर के पास कोई शिकायत जे० के० काटन स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग मिल्स को० लिमिटेड, कानपुर में अनधिकृत रेशनलाइजेशन के सम्बन्ध में १३ मार्च, १९५९ को आई है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उक्त शिकायत के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—जी हां, इस सम्बन्ध में जांच की गई थी और शिकायत करने वाली यूनियन से पूर्ण विवरण मांगे गये थे। यूनियन ने कुछ सूचना भेजी है, परन्तु पूरा विवरण अभी नहीं दिया है। उनके पूर्ण विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकायत करने वाली यूनियन की कौन-कौन मुख्य-मुख्य शिकायतें थीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कार्यभार बढ़ना आदि।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे इन शिकायतों के आधार पर क्या सरकार ने मिल मालिकों से कोई जवाब तलब भी किया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—शिकायतों का पूरा विवरण आ जाय उसके बाद जवाब तलब होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पूरा विवरण प्राप्त करने के लिये सरकार कब तक इन्तजार करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह तो यूनियन के ऊपर है कि वह कब तफसील भेजे।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो वर्क लोड मिल ने बढ़ाया है उसके हिसाब से वेतन भी बढ़ाया है या नहीं ? और अगर बढ़ाया है तो क्या रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं, जो कमेटी की सिफारिश थी उसके मुताबिक वेतन बढ़ाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि सरकार द्वारा अब तक कोई अन्तिम निर्णय उस पर नहीं हो पाया है। जहां तक वेतन बढ़ाने की बात है, उसको थोड़ा-बहुत बढ़ाने की बात जरूर करते हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—उक्त मिलों में जो रेशनलाइजेशन हुआ है उसकी स्वीकृति सरकार से प्राप्त की गयी है ? यदि नहीं तो, जो इस प्रकार से वर्क लोड बढ़ा है उसके कम्पेनसेशन के सिलसिले में सरकार मजदूरों के लिये क्या करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, सरकार ने कानपुर के किसी भी मिल के मजदूरों पर कार्यभार बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी है, लेकिन जो कार्य भार बढ़ा है चाहे वह किसी प्रकार से बढ़ा हो, उसका पूरा विवरण आ जाय और वार्तालाप हो तो उस पर सोचा जायगा कि इस सम्बन्ध में क्या कुछ किया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जो पूर्ण विवरण सरकार द्वारा अपेक्षित है उस में उन से कौन-कौन सी बातें बताने के लिये कहा गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सरकार की ओर से कहा गया है कि सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि काम कुछ बढ़ गया है, बल्कि यह बताया जाय कि किस ढंग का काम, किस-किस मशीन पर, किस-किस विभाग में बढ़ा है यह सब ब्योरा आना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार को मालूम है कि अभिनवीकरण स्कीम के अन्तर्गत आंशिक रूप में कुछ काम लागू कर दिये गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ऐसी सूचना मिली है कि कुछ कार्य भार बढ़ाये गये हैं।

श्री राजनारायण—जब अभिनवीकरण के सम्बन्ध में सरकार की कमेटी बनी और उस कमेटी ने काफी दिनों तक सरस समीर में बैठकर रिपोर्ट तैयार की तो उस को कार्यान्वित करने में विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—केन्द्रीय सरकार का सुझाव आया था कि आल इंडिया लेबर काफ्रेंस सारे मसले पर विचार कर रही है और हम भी उस समय इस मसले पर जून, १९५७ में रानीखेत में विचार कर रहे थे, इस पर हमें अपना विचार रोकना पड़ा और उस के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिये वेज बोर्ड बना, वह सारी वर्किंग कन्डीशन्स और वेजेज आदि के प्रश्न पर विचार कर रहा है। ऐसी हालत में हम अपने सूबे में कोई और चीज बनाये इस में औचित्य नहीं था।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को जानकारी कराई गई है कि जिन मजदूरों को पहले २ सांचे चलाने पड़ते थे अब उन को ४ चलाने पड़ते हैं और इस तरह से दुगुना वर्कलोड बढ़ा है और इस तरह से जो मजदूरों की मजदूरी कम हो गई उस में ५० लाख के करीब मिल-मालिकों को लाभ हो रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह ठीक है कि कुछ सांचे और फ्रेम्स की बढ़ती हुई है और काम भी बढ़ा है और एक आदमी पर ३–४ सांचों की बात कही जाती है, परन्तु हम ने उनसे पूरा ब्योरा मांगा है कि कब से बढ़े, कितने बढ़े, किस ढंग के बढ़े, यह सब मालूम हो तब देखा जाय।

[१० सितम्बर, १९५९ के लिए निर्धारित प्रश्न]

औद्योगिक संस्थानों में दुर्घटनाएं

*१—**श्रीमती राजेंद्रकिशोरी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में १ जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९५९ तक औद्योगिक संस्थानों (Factories) में कितनी मरणांतक दुर्घटनायें (Fatal Accidents) हुईं और उनमें कितने श्रमिकों की मृत्य हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—८२ संघातक दुर्घटनायें हुईं जिनमें ८३ कर्मकारों की मृत्य हुई।

*२—**श्रीमती राजेंद्रकिशोरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में १ जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि में हुई मरणांतक दुर्घटनाओं (Fatal Accidents) के सिलसिले में कितने सेवा आयोजकों (Employer and Occupier) का चालान किया गया और उनमें से कितने दंडित हुए और कितने मुकदमें अभी चल रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—फैक्ट्रीज ऐक्ट के प्रविधानों का अनुपालन न करने के कारण १२ सेवायोजकों का चालान किया गया। उनमें से ८ सेवायोजक दंडित हुए तथा ४ के मामले अभी चल रहे हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार के फैक्टरी एक्सीडेंट्स का क्या कारण है ? और इन की रोकथाम के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कारण तो जाहिर है कि कहीं मजदूरों की और कहीं मिलमालिकों की लापरवाही होती है और जहां तक सरकार की कार्यवाही का प्रश्न है हमने इन्स्पेक्शन्स बढ़ाने के लिये फैक्टरी इन्स्पेक्टोरेट को कहा है कि वह देखें कि मिलमालिकों ने काफी प्रिकाशन्स ली हैं या नहीं और दूसरे हर फैक्टरी में सेफटी कमेटी बनाने का काम हुआ है वह काफी फैक्टरियों में कार्यान्वित हो गया है और यह कमेटी इम्पलायर्स और एम्पलाईज को सेफटी कान्सश बनाने की कोशिश करेगी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन एक्सीडेंट्स में जिन मजदूरों की मृत्यु हुई उन्हें कुल कितना कम्पेनसेशन प्रदान किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह तो व्योरे का सवाल है, यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

गोरखपुर रोडवेज में क्लर्कों की भर्ती तथा ट्राफिक सेक्शन में अतिरिक्त वेतन न मिलना

*३—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १-१-१९५८ से ३०-६-१९५९ तक गोरखपुर रोडवेज में कितनी नियुक्तियां बुकिंग क्लर्क तथा क्लर्क के पदों पर की गयीं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त नियुक्तियों में प्रत्यक्ष भर्ती कितने किये गये तथा कितने कन्डक्टरों को पदोन्नति दी गई ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—८४ जिनमें ६९ पद प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा तथा १५ पद विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे गये, जिनमें १ कंडक्टर भी शामिल है।

*४—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर रोडवेज में ट्राफिक सेक्शन में कर्मचारियों से जो अतिरिक्त श्रम लिया जाता है क्या उनको सरकार ने कोई अतिरिक्त वेतन (Overtime) देने की सुविधा दी है ? यदि हां, तो गोरखपुर रीजन में वित्तीय वर्ष १९५८-५९ ई० में कितने कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—साधारणतया ओवर टाइम में काम लेने की प्रथा नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ८४ में से जो ६९ और १५ परीक्षा और पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये हैं उनमें किस अनुपात से भरने का नियम है और किस आधार पर यह भर्तियां की गई हैं ?

डाक्टर सीताराम—बुकिंग क्लर्क और क्लर्क के लिये असिस्टेंट बुकिंग क्लर्क और सिटी बस कन्डक्टर और कन्डक्टर की पदोन्नति होनी चाहिये जिसमें से इस नियम के अन्तर्गत जो भी कंडक्टर आये, कंडक्टर बुकिंग क्लर्क या जनरल-क्लर्क के पद पर उन्होंने जाना पसन्द नहीं किया, इसीलिये उनकी जगह पर अन्य लोगों की नियुक्तियां हुईं।

श्री मदन पांडेय—इस उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि प्रथा नहीं है अतिरिक्त श्रम लिये जाने की। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा १९५८–५९ में कोई भी, किसी भी मजदूर श्रमिक से अतिरिक्त श्रम नहीं लिया गया है ? यदि लिया गया है तो उसके लिये उनको कितना वेतन दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी प्रथा नहीं है कि उनसे ओवर टाइम काम लिया जाय, क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया के मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ६५ के मुताबिक उनका ६ दिन में ५४ घंटे काम होने चाहिये। हां, मेले के वक्त में अलबत्ता कुछ काम लिया जाता है जिसका आनरेरियम मिलता है। इसलिये इस नियम में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, क्योंकि उनसे कोई ओवर टाइम का काम नहीं लिया जाता।

रोडवेज कर्मचारियों को उनके घर के समीप रखने की सुविधा न देना

*५—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या रोडवेज विभाग में कोई ऐसा आदेश सरकार ने दे रखा है कि सीनियर स्टेशन इंचार्ज से नीचे पद के कर्मचारियों को उनके घर के समीप रखने की सुविधा दी जावे ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रोडवेज में कोई सर्विस रूल्स नहीं है जिसके कारण इस तरह के प्रश्न उठते हैं ? यदि हां, तो सरकार कोई सर्विस रूल्स बनाने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—ट्रांसपोर्ट मैनुअल इस वक्त बनायी जा रही है उसमें यह बातें आ जायंगी। जहां तक सर्विस रूल्स की बात है जैसे और विभागों के कर्मचारी गवर्न होते हैं ऐसे ही यहां के भी होते हैं।

खेती के बेकार अथवा अर्धबेकार मजदूरों की श्रम-शक्ति के उपयोग की योजना

*६—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह गांवों में खेती के बेकार अथवा अर्धबेकार मजदूरों की श्रम-शक्ति का उपयोग लोक निर्माण कार्यों में करने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में उसकी योजना क्या है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—जी हां, परन्तु इसके लिये कोई पृथक योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी आशा की जाती है कि जोत पर सीमा लगाने से तथा नियोजन के विकास और विस्तार से ऐसे लोगों की श्रम शक्ति का उपयोग हो सकेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतायेगी कि जोत पर सीमा लगाने और नियोजन के विकास और विस्तार की कितनी अवधि में जो मजदूर बेकार और अर्ध बेकार हैं उनकी श्रम-शक्ति का पूर्ण उपयोग हो सकेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक कि जोत पर सीमा बांधने का प्रश्न है वह तो जैसे ही कानून बन जायगा उसके कुछ दिनों के अन्दर कुछ लोगों को बेकारी से बाकारी में लगाया जा सकेगा, लेकिन नियोजन की जहां तक बात है वह सालों की है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने खेती के बेकार और अर्ध-बेकार मजदूरों की मर्दुमशुमारी करायी है ? अगर हां, तो अलग-अलग बता सकेंगे कि कितने मजदूर बेकार हैं और कितन अर्ध-बकार हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कोई खास संख्या ऐसे लोगों की नहीं है। एक बात जरूर कही जाती है और करीब-करीब सही है कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनकी संख्या करीब ३५,००,००० के है हमारे प्रदेश में।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने क्या इस बात का भी हिसाब लगाया है कि बहुत से ऐसे काश्तकार जिनके पास खेती है और आधा एकड़ जिनकी जोत की सीमा है वह भी अर्धबेकार और बेकार रहते हैं उनकी गणना करायी है कि उनकी श्रम-शक्ति का उपयोग करने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गणना तो नहीं करायी गई है, लेकिन छोटे कुटीर उद्योग और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा ही उनकी बेकारी दूर हो सकती है और चाहते हैं कि नियोजन के द्वारा इन चीजों का विस्तार देहातों में किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने यह बताया कि कोई योजना तैयार नहीं है। क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ३५,००,००० आदमी अर्ध-बेकार और बेकार हैं उनकी क्रमिक रूप से कमी करने के लिये क्या सरकार पूर्ण योजना बनाने पर विचार करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने कहा भी नहीं कि योजना तैयार नहीं है। मैंने तो कहा कि अभी नियोजन खत्म नहीं हुआ, पहली समाप्त हुई, दूसरी चल रही है। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ और न जाने कितनी योजनाएं चलेंगी। ज्यों-ज्यों योजनाएं बढ़ती जायेंगी त्यों-त्यों लोगों को काम मिलता जायगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---इन लोगों को काम दिलाने की दृष्टि से कोई योजना सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखी है और तृतीय योजना में लघु कुटीर उद्योगों को अधिक रखने का विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य ने हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा देखी होगी। उन्होंने इस साल का बजट भी पास किया है। इसलिये उनको मालूम है कि बराबर इस बात का प्रबन्ध है छोटे उद्योगों के लिये और अभी तृतीय योजना बनी नहीं, लेकिन मैं यह बतला सकता हूं कि जो लोग योजना बना रहे हैं उनके सामने यह चीज है कि इस वक्त तक जो कुछ हुआ उससे ज्यादा व्यापक रूप में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुटीर उद्योगों के लिये रुपया रखा जाय।

श्री गेंदासिंह---अभी जो मुख्य मंत्री जी ने ३५,००,००० लोगों की संख्या बतायी तो क्या ३५,००,००० परिवार हैं या व्यक्ति हैं? और यदि परिवार हैं तो उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो काम के लायक हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---३५,००,००० व्यक्ति हैं, परिवार नहीं हैं। इनमें से काम के लायक कितने हैं यह तो नहीं मालूम, लेकिन मोटे तौर से बूढ़े और बच्चों को छोड़ कर आधे से ज्यादा तो जरूर काम लायक होंगे।

श्री राजनारायण---मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारी योजनाएं चल रही हैं और ज्यों-ज्यों योजनाएं बढ़ती जायंगी बेकारी समाप्त होती जायगी। तो क्या मैं जान सकता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद बेकारी बढ़ी या घटी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त सारे आंकड़े तो याद नहीं है, लेकिन दो बातें हैं। एक तरफ बेकारी घटी और दूसरी तरफ कुछ आबादी बढ़ी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योग खोले जा रहे हैं और उसमें बेकार और अर्ध-बेकार मजदूरों को या काश्तकारों को काम मिल रहा है। तो क्या वह बतायेंगे कि अब तक जब से द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई लघु उद्योगों में कितने लोगों को कार्य मिल गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे। यों मैं बिल्कुल जबानी कोई आंकड़े दे दूं तो उनके साथ भी अन्याय होगा और मेरे साथ भी अन्याय होगा।

मझोला क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल के लिये एकत्र धन की वापसी की मांग तथा ललितहरि चीनी मिल पर किसानों का बकाया

*७--राजा यादवेंद्रदत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मझोला क्षेत्र, जिला पीलीभीत के किसानों के गन्ने के पैसे में कटौती की गई थी कि वहां सहकारी चीनी मिल बैठाई जायेगी? यदि हां, तो कब और कुल कितना रुपया किसानों से लिया गया?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--पीलीभीत जिले में सहकारी चीनी मिल स्थापित करने के लिये उक्त जिले की गन्ना समितियों की आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार १९५५-५६ से कटौती की गई है और ३१ जुलाई, १९५९ तक इस मद में १३,१०,६५४·८० रुपया जमा हो गया है।

*८--राजा यादवेंद्रदत्त दुबे--क्या यह सही है कि बहुत से किसानों ने अपना रुपया सरकार से वापस मांगने की दरख्वास्त दी है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां। कुछ किसानों की दरख्वास्तें आई थीं। पर हाल ही में ६ जून, १९५९ को पीलीभीत की केन सोसाइटीज के प्रतिनिधियों ने अपने सम्मेलन में रुपया न लौटाने का फैसला लिया है।

*९--राजा यादवेंद्रदत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ललितहरी शुगर फैक्टरी, पीलीभीत पर अब किसानों का कितना रुपया बाकी है तथा सूद का कितना रुपया बाकी है? और उसको किसानों को दिलवाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--१ अगस्त, १९५९ को पीलीभीत शुगर फैक्टरी पर किसानों के गन्ने के दाम तथा सूद की रकम क्रमशः २,३६,४५९.३१ व १,५९,७९८.३९ रुपये बकाया थी। उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद (विनियमन) अधिनियम १९५३ की धारा १७ (४) व १८ (३) के अधीन गन्ना आयुक्त ने इस मिल के विरुद्ध उपरोक्त बकाया की वसूली के लिये रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिये हैं।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे--क्या सरकार के पास ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि सोसाइटी के द्वारा यह जो प्रस्ताव पास किया गया मीटिंग में उसमें जो किसान इसके विरुद्ध थे और जो पैसा वापस मांग रहे थे उनको उस मीटिंग में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, उस मीटिंग में किसान की हैसियत से किसी को शामिल होने की गुंजायश नहीं थी और जो सोसाइटी के डेलीगेट थे उनको जाने से नहीं रोका गया। अधिकारियों ने जबर्दस्ती किस के ऊपर की यह भी बिलकुल गलत है, लेकिन यह सही बात है और हमारी सरकार की यह चेष्टा है कि सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों का विकास हमारे प्रदेश के लिये हितकर हो।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे--क्या सरकार यह बतायेगी कि कितने किसानों ने अपने रुपये वापस करने के लिये आपके यहां दरख्वास्त दी थी और उनका रुपया वापस न करने का कारण क्या था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, रुपया काफी है। गन्ना समितियों के प्रस्ताव पर उन सोसाइटीज के अधिकृत लोगों ने वह रुपया कोआपरेटिव बैंक में जमा कर दिया और उस रुपये का उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथ में होने का सवाल कोई उठता नहीं, हम उसको वापस कर नहीं सकते। एक तो टेक्निकल बात यह है। दूसरी बात जहां तक दरख्वास्त देने का सवाल है यह सही है कि कुछ बड़े-बड़े किसानों ने हमारे यहां कुछ दरख्वास्तें दी थीं और उनमें से एक किसान ने हाई कोर्ट में रिट लगा रखी है। मैं नहीं कह सकता कि उस पर क्या निर्णय होगा, लेकिन जहां तक इस बात का सम्बन्ध है इस कोआपरेटिव मिल के सम्बन्ध में तो हमारा ऊपर से कोई प्रस्ताव लादने का मंशा नहीं है, नीचे वाले प्रस्ताव करते हैं और लाते हैं।

श्री प्रतापसिंह--क्या इस बात की शिकायत आई है कि जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं उनका फायदा पीलीभीत शुगर मिल से होता है इसलिये उस मिल को न लगाने के वे फेवर में हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--फायदा होता है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन बड़े-बड़े काश्तकारों को दिलचस्पी है कि सहकारी ढंग से चीनी मिल न लगने पाये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मंत्री महोदय ने जो कहा है कि बड़े-बड़े काश्तकारों की मंशा यह है कि यह मिल न लगे तो फिर सरकार ने क्या निश्चय किया है कि सहकारी चीनी मिल लगे या न लगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--हमारा तो बिलकुल स्पष्ट मत है कि लगे और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा इसे लगाने का निश्चय भी है और हम चेष्टा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसे लगा सकें।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे--ललितहरि शुगर मिल पर किसानों का जो रुपया बकाया है उसके अब तक न मिलने का क्या कारण है और उस रुपये को अब तक सरकार ने क्यों नहीं दिलवाया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--हमने तो बाकी रहने नहीं दिया। हमारी बराबर कोशिश रही कि कोई भी रुपया बकाया न रहे, लेकिन कुछ वक्त इन मिल वालों का बुरा निकला, मिल में गड़बड़ियां आईं जिससे रुपया नहीं दिया जा सका। जहां तक हमारा संबंध है आप देखेंगे कि जो बकाया रुपया है उस रुपये को वसूल करने के लिये रिकवरी सर्टिफिकेट्स जारी कर दिये गये और आशा है कि शीघ्र वह वसूल हो जायगा।

श्री देवनारायण भारतीय--जब तक यह निश्चय नहीं हुआ था कि मझौला में मिल खोली जाय उससे पहले बीसलपुर तहसील के किसानों से पैसा इकट्ठा किया गया था, प्रायः ७ लाख के करीब वह रुपया है, लेकिन अब चूंकि मझौला में वह मिल खुलने जा रही है तो बीसलपुर के किसानों का वह रुपया सरकार वापस दिलाने की कोशिश करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जहां तक मझौला में मिल खुलने का सवाल है मैंने जवाब में लिखा है कि पीलीभीत में यह मिल खुलेगी, क्या स्थान हो और कौन-सी तहसील हो इसके लिये रुपया नहीं जमा किया गया, पूरे इलाके के लोगों का कई तहसीलों के लोगों का गन्ना उस मिल में पिरेगा।

*१०--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*११--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

काशीपुर के सिनेमाओं से इंटरटेनमेंट टैक्स

*१२—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि काशीपुर नगर (जिला नैनीताल) में सन् १९५८ में कितने अस्थायी सिनेमा भवन थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दो ।

*१३—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में काशीपुर (नैनीताल) के अस्थायी सिनेमाओं से सरकार को इंटरटेनमेंट टैक्स से कितनी आमदनी हुई ? और चालू वित्तीय वर्ष १९५९-६० में अभी तक कितनी आमदनी हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५८-५९ में ४७,६४८/४८ रुपये ।

१९५९-६० में अगस्त १९५९ तक १७,९८७/२८ रुपये ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो दो सिनेमा बताये गये हैं उनके नाम क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनके नाम तो मुझे मालूम नहीं हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सन् १९५८ में कुल कितने प्रार्थना-पत्र जिलाधीश के पास आये कि उनको अस्थायी सिनेमा के लायसेंस दिये जायं और कितने विचाराधीन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब वहां एक स्थायी सिनेमा खुल गया तो किसी भी अस्थायी सिनेमा के लायसेंस को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं पैदा होता ।

अमैच्योर थियटरों को इंटरटेनमेंट टैक्स से मुक्त करने की प्रार्थना

*१४—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या अमैच्योर्स थियेटरों को इंटरटेनमेंट टैक्स से मुक्त करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बम्बई सरकार ने अमेच्योर थिएटर्स पर एन्टरटेनमेंट टैक्स माफ कर दिया है ? यदि हां, तो यहां पर न माफ करने का कारण क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह कोई हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं कि बम्बई सरकार जो करे उसकी हम नकल करें । हमको जो चीज उचित मालूम होती है करते हैं, जो नहीं मालूम होती नहीं करते ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि एन्टरटेनमेंट टैक्स अमेच्योर थिएटर्स पर लगाने का उनका उचित कारण क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—"अमेच्योर" शब्द बड़ा व्यापक है । यदि सरकार को इस बात का विश्वास हो कि कोई संस्था इसीलिये खोली गयी है खासतौर से नाट्य शास्त्र की उन्नति के लिये और हिन्दी रंगमंच की उन्नति के लिये, क्योंकि वह है नहीं, तो अगर कोई ऐसी संस्था हो तो गवर्नमेंट को अधिकार है कि उ का एन्टरटेनमेंट टैक्स माफ कर दे, लेकिन अमेच्योर के नाम से कुछ लोग नाटक खोल सकते हैं और टिकट भी लगा सकते हैं । इसलिये महज अमैच्योर के नाम पर टैक्स माफ कर देना उचित नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रकार का कोई सर्वे करायेंगे कि प्रदेश में नाट्य शास्त्र के विकास के लिये कितने अमैच्योर थियेटर्स हैं ताकि उन को एन्टरटेनमेंट टैक्स से मुक्त किया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आमतौर से दस्तूर यह है कि प्यासा पानी के पास आता है। अगर कुछ लोग इस उद्देश्य से थियेटर खोलेंगे तो हमारे इस संबंध में जो नियम हैं उनको यदि वे देखेंगे तो हमने इस किस्म के प्रदर्शनों के लिये काफी रि ायत कर दी है। और चीजों के लिये जो इंटरटेनमेंट टैक्स है वह ज्यादा है और इनके लिये बहुत कम कर दिया है।

बदायूं जिले में घरेलू उद्योग-धंधों के लिये अनुदान

*१५--**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि जिला बदायूं में घरेलू उद्योग-धंधों की उन्नति के लिये साल ५८-५९ में कितना रुपया दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रमायुक्त कार्यालय में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण क्लर्कों का शिकायती-पत्र

*१६--**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के कार्यालय कानपुर में जुलाई, १९५७ में Routine Clerks in the scale of Rs. 60—100 की एक विभागीय परीक्षा हुई थी? क्या यह सही है कि परीक्षा फल के अनुसार बनी हुई सूची 'ए' के उम्मीदवार अब तक कार्य पर नहीं लिये गये ? क्या उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के पास कोई इस संबंध का शिकायती पत्र भेजा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां।

सूची 'ए' के ६१ उम्मीदवार नियुक्त हो चुके हैं। 'ए' सूची के कुछ उम्मेदवारों ने एक शिकायती पत्र श्रम सचिव को भेजा था तथा उसकी प्रतिलिपि मुख्य मंत्री जी को भी प्रेषित की थी।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस 'ए' सूची में से ६१ उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया उसमें कुल कितने उम्मीदवार थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--'ए' सूची में ८० उम्मीदवार थे और 'बी' में २६।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--सरकार ने बताया कि 'ए' सूची में से ६१ उम्मीदवार नियुक्त किये गये, लेकिन कुल उम्मीदवार, जो नियुक्त किये गये, उनकी संख्या क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, 'बी' सूची में से सवाल नहीं आया। 'ए' सूची में से ६१ ही हो पाये हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 'बी' और 'सी' सूची भी थी ? यदि हां, तो उसमें से कितने लिये गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--'सी' सूची भी बनी थी और उसमें श्रमायुक्त ने कहा था कि वृद्धावस्था की पेंशन के कार्य के लिये लेंगे लेकिन उनको सुझाव दे दिया गया था कि पहले 'ए' सूची को खत्म कीजिये, फिर 'बी' में से लीजिये। इसके बाद 'सी' में से लीजिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह सही है कि इन सूचियों में वह उम्मीदवार थे जो एक या अधिक विषय में फेल हुये थे और 'ए' सूची में, जो उम्मीदवार थे, वह सब में पास थे, तो क्या वजह है कि 'बी' और 'सी' सूची में से लोगों को रखा गया और 'ए' में से नहीं लिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर बात यह है कि 'ए' सूची में वह लोग रखे गये हैं जिनके ४० प्रतिशत मार्क्स थे और 'बी' में ३४ प्रतिशत मार्क्स वाले थे और सरकार इससे सहमत है कि पहले 'ए' सूची समाप्त हो जाय तो 'बी' और 'सी' की तरफ जाया जाय और इसके लिये श्रमायुक्त को आदेश दिये गये हैं।

ग्रामोद्योग के लिये राज्य सरकार को प्राप्त धन

*१७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--३० जुलाई, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २-३ के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ और १९५८-५९ में ऋण तथा अनुदान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्राप्त हुआ था? उसकी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग न किये जाने का क्या कारण है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--(क) जी हां।

(ख) वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८१२ पर)

*१८--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--दिनांक ३०-७-५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २-३ के उत्तर के संदर्भ में क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ३०,३४,७१५ रुपये का उपयोग संस्थाओं को ऋण और अनुदान देकर किया गया है? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री ऋण और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के नाम और दी गयी धनराशि भी बताने की कृपा करेंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--(क) जी हां।

(ख) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी उस कारण को बतायेंगे जिसकी वजह से यू०पी० इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेशन ने इसको संभालने में अपनी असमर्थता प्रगट की थी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, इसमें गारंटी क्या ली जाय और किस को जिम्मेदार बनाया जाय एक तो यह कारण था और वह यह तय नहीं कर पाये थे कि किस संस्था के द्वारा पैसा बटायें इसलिये नहीं बांट सके लेकिन वह अब बंट चुका है।

गुड़ विकास योजनान्तर्गत वितरित धन की वापसी

*१९--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में बिना ब्याज की वितरित की गई धनराशि को सरकार कितने समय बाद उन व्यक्तियों से वसूल करेगी जिन्हें उक्त धनराशि प्राप्त हुई है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--ऋण की प्रथम किस्त की वसूली ऋण वितरण के १२ महीने बाद आरम्भ होने का आयोजन है। कुल धनराशि पांच सालाना समान किस्तों में वसूल होना है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त धनराशि को वितरित हुए कितना समय बीत चुका है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--१९५८-५९ में १,५१,५५० रुपया बिना ब्याज के दिया गया था और इसके अतिरिक्त ३१,२०० रुपया सामुदायिक विकास क्षेत्र में ६ गुड़ खंडसारी समितियों को दिया गया।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--श्रीमन्, मैंने समय पूछा था।

श्री अध्यक्ष--एक साल का आप अंदाजा नहीं लगा सकते।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यदि एक साल बीत चुका है तो वसूलयाबी शुरू की जा चुकी है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उत्पादकों से और समितियों से वसूली ५९-६० से होगी, वैसे इस समय मुझे सूचना नहीं है कि किस उत्पादक या समिति से कितना पैसा मिला या नहीं।

*२०--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--[निर्माण मंत्री से संबंधित सातवें मंगलवार के लिये प्रश्न ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कम्पनी बाग, इलाहाबाद, में मदनमोहन मालवीय स्मारक बनाने की प्रार्थना

*२१--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में जिन-जिन स्थानों पर अंग्रेजी शासकों की मूर्ति उसके द्वारा हटाई गई थ. उन स्थानों पर देश के नेताओं की मूर्ति रखे जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसी कोई भी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार के पास इलाहाबाद से महामना श्री मदन मोहन मालवीय स्मारक समिति से कोई सुझाव आया है कि उनका स्मारक कम्पनी-बाग में बनाया जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, सुझाव आया है और मैं समझता हूं कि इलाहाबाद के नागरिक सम्पन्न हैं और वह स्वयं कर सकते हैं और सरकार इसका जोरदार समर्थन करेगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कम्पनी बाग में माननीय मदन मोहन मालवीय जी का स्मारक बनवाने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष--यानी अपने पैसे से?

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार अपने पैसे से वहां पर स्मारक बनाने का विचार करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अधिकांश पैसा तो इलाहाबाद से आना चाहिये। पत्रं पुष्पं फलमं तोयम् की तरह से जो हो सके वह हमारी मदद हो सकती है।

राज्य में चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता तथा बागपत में सहकारी मिल खोलने की योजना

*२२--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७, १९५७-५८ व १९५८-५९ में प्रदेश में शक्कर का उत्पादन पृथक-पृथक कितना हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गत् तीन वर्षों में इस प्रदेश के अन्दर जितनी चीनी का उत्पादन हुआ उसके वार्षिक आंकड़े इस प्रकार हैं:--

वर्ष	उत्पादन की गई चीनी की मात्रा (लाख मनों में)
१९५६-५७	२९४.१८
१९५७-५८	२५६.४२
१९५८-५९ (अनुमानित)	२४१.५०

नोट--तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२३--श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ में प्रदेश में कितनी शक्कर मिलें काम करतीं थीं और १९५७-५८ व १९५८-५९ में कितनी शक्कर मिलें खोली गईं और उनकी उत्पादन क्षमता क्या थी और १९५९-६० में कितनी नई मिलें खोली जाने वाली हैं और उनकी उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१९५६-५७ सीजन में इस प्रदेश में कुल ६७ चीनी मिलें गन्ना पेरने का काम करती थीं। १९५७-५८ में भटनी मिल (देवरिया) जो गत १० वर्षों से बन्द थी, पुनः चालू हुई और १९५८-५९ में बाजपुर (नैनीताल) में एक नई सहकारी चीनी मिल १६ फरवरी, १९५९ से चालू हुई। इन चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता संलग्न तालिका में दी हुई है १९५९-६० सीजन में बागपत (मेरठ) में एक नई सहकारी चीनी मिल, जिसकी उत्पादन क्षमता (Installed capacity) १,२०० टन होगी, चालू होने की आशा की जाती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८१३-८१५ पर)

एटा-अलीगंज बस सर्विस की मांग

*२४--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में अलीगंज से एटा तक सरकारी बस सर्विस कब तक खोलने का विचार है ?

डाक्टर सीताराम--१९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में एटा-अलीगंज रूट पर सरकारी बसें चलाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

पुराने गौरी ग्राम के निकट रोडवेज बस दुर्घटना

*२५--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि दिनांक ९ अगस्त, १९५९ को राजकीय रोडवेज क्षेत्र गोरखपुर में देवरिया जिलान्तर्गत ग्राम पुराने गौरी के पास रोडवेज की गाड़ी से कोई दुर्घटना हो गई है ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

डाक्टर सीताराम--जी हां। दुर्घटना में दो व्यक्ति मरे।

*२६--श्री उग्रसेन--क्या मंत्री परिवहन कृपया उक्त मोटर दुर्घटना का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

डाक्टर सीताराम--मामला न्यायालय के विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में दुर्घटना का विवरण सदन की मेज पर रखना उचित न होगा।

यू०पी० हैन्डीक्राफ्ट्स शो रूम, अमीनाबाद के सहायक मैनेजर श्री हक को दंड तथा हजरतगंज हैन्डीक्राफ्ट्स शो रूम में आग लगने से क्षति

*२७--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार बतायेगी कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रेफ्ट्स अमीनाबाद शो रूम, लखनऊ में गबन के सिलसिले में सहायक मैनेजर श्री हक को सरकारी सेवा से वंचित कर दिया गया था ? यदि हां, तो उनके जिम्मे बकाया राजकीय धन की वसूली में क्या कार्यवाही अब तक की गई है तथा उसके जिम्मेदार कौन-कौन से लोग हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। श्री हक सहायक मैनेजर को अमीनाबाद शो रूम में गबन के सिलसिले में सरकारी सेवा से वंचित कर दिया गया है। उनके जिम्मे ६९०.११ नये पैसे की धनराशि निकाली गई थी। श्री हक से ३६४.७४ नये पैसे की धनराशि जमा करा

ली गई थी तथा ३२५.३७, नये पैसे उनकी जमानत से वसूल करके ट्रेजरी में ८ जनवरी, १९५९ को जमा कर दिया गया था।

गबन के जिम्मेदार श्री हक थे।

*२८–श्री अब्दल रऊफ लारी––क्या सरकार बतायेगी कि उस आग में जो अक्तूबर, १९५८ में गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स, हजरतगंज शो रूम में लगी, कुल कितने मूल्य का सामान जल गया तथा कितने मूल्य का बिक्री के अयोग्य हो गया, क्या सरकार यह बतायेगी कि इस आग लगने की दुर्घटना की जिम्मेदारी किस पर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स के हजरतगंज शो रूम में जो आग अक्तूबर, १९५८ में लगी थी उसमें ६,७६६ रुपये ३१ नये पैसे का सामान जल गया था तथा ८,६३५ रुपये १४ नये पैसे का सामान आग तथा आग बुझाने के यन्त्र के कारण बिक्री के अयोग्य हो गया था।

इस आग दुर्घटना के कारणों की जांच एलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर तथा सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, लखनऊ ने की थी। निष्कर्ष यह निकला कि आग बिजली के तार में शार्ट सरकिट के कारण लगी थी। इस दुर्घटना का उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति पर नहीं लगता।

परिवहन विभाग, इटावा में कंडक्टरों व क्लर्कों का कथित चुनाव

*२९––श्री गरीबदास (जिला जालौन)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ३० अक्टूबर, ५८ को इटावा में परिवहन विभाग में बस कन्डक्टरों व क्लर्कों का चुनाव हुआ था ?

डाक्टर सीताराम––जी नहीं।

*३०––श्री गरीबदास––यदि हां, तो कितने-कितने व्यक्ति उपर्युक्त स्थानों के लिये चुने गये तथा उनमें परिगणित जाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ?

डाक्टर सीताराम––प्रश्न नहीं उठता।

*३१––श्री गरीबदास––क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि परिगणित जाति के चुने गये उम्मीदवारों में से कितनों की नियुक्ति अभी नहीं हुई है और क्यों ?

डाक्टर सीताराम––प्रश्न नहीं उठता।

*३२–श्री राजेंद्रसिंह––[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

हरदोई, मैनपरी तथा एटा जिलों के पुराने गजटेड अफसर

*३३––श्री राजेन्द्रसिंह––क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई, मैनपुरी, तथा एटा में कितने राजपत्रित (गजटेड) पदाधिकारी निर्धारित अवधि से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––सूचना एकत्रित की जा रही है। उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर प्रस्तुत की जायेगी।

*३४––श्री मोतीलाल अवस्थी––[वांछित सूचता एकत्र न हो सकने के कारण आठवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३५––श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)––[आठवें गुरुवार के लिये प्रश्न ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

टेहरी-गढ़वाल विलय राज्य कर्मचारियों का स्थायीकरण

*३६—श्री रामचन्द्र उनियाल (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि टेहरी-गढ़वाल में Merged State Employees का जो तारीख १-४-५५ के पहिले से नौकरी पर चले आ रहे हैं, confirmation किया गया है अथवा नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ का confirmation हुआ है, शेष का confirmation अभी बाकी है। लोगों को अलग-अलग तारीखों में confirm किया गया।

*३७—श्री रामचन्द्र उनियाल—[वित्त मंत्री से सम्बन्धित सातवें मंगलवार के लिये प्रश्न ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३८-३९—श्री मोतीलाल अवस्थी—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण आठवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में पुरानी इमारतों की सुरक्षा

*४०—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कौन-कौन सी डीह तथा पुरानी इमारत हैं, जिनकी सुरक्षा राज्य सरकार की तरफ से की जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बस्ती जिले में इस समय राज्य सरकार की सुरक्षा में कोई भी पुरानी डीह या इमारत नहीं है।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रोड पर बस सर्विस की आवश्यकता

*४१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या वह इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी की सड़क पर रोडवेज बस चलाने का विचार कर रही है। यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

इटावा जिले में अफीम खाने वालों को परमिट

*४२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ में तथा जनवरी से जुलाई सन् १९५९ तक इटावा जिले में कितने परमिट अफीम खानेवालों को दिये गये ?

डाक्टर सीताराम—इटावा जिले में सन् १९५८ में १२९ अफीम खाने वाले व्यक्तियों को मार्च, १९५९ तक के लिये परमिट दिये गये और बाद में उनकी अवधि जून, १९५९ तक बढ़ा दी गयी थी। सन् १९५९ में जुलाई के मास में अब केवल १३ परमिट अफीम खाने वाले व्यक्तियों को दिये गये हैं।

ललितपुर के समीप हड्डियों का कारखाना चलाने की कथित योजना

*४३—श्री भुवनेश भूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर नगर (जिला झांसी) के स्टेशन और आबादी के बीच में हड्डियों का मिल सरकार सन् १९५९-६० में निर्माण करने जा रही है, जिसका विरोध स्टेशन के पास रहने वाली जनता के करने पर सरकार की ओर से धारा १३३, सी० आर० पी० सी० का अभियोग वहां के निवासियों पर चलाया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। अस्तु जनता के विरोध करने या सरकार द्वारा मुकदमा चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

खीरी जिले में परगनाधीशों का दौरा

*४४—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३-२-५९ को जिला खीरी के कौन-कौन से परगनाधीश दौरे पर थे और किन-किन स्थानों पर पड़ाव डाले ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दिनांक ३-२-५९ को सर्व श्री मुन्नालाल अग्रवाल, परगनाधीश, लखीमपुर तथा कन्हैया लाल, परगनाधीश, मोहम्दी सालाना दौरे पर थे और इन्होंने क्रमशः ग्राम सढौना, परगना खीरी तथा ग्राम मूंडा जवाहर, परगना हैदराबाद में पड़ाव डाले।

जौनपुर जिले में बस सर्विस

*४५—श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के किन-किन मार्गों पर व्यक्तिगत लारियां चलती हैं और उनकी संख्या अलग-अलग कितनी-कितनी है ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना तालिका में दी हुई है जिसे सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८१६ पर)

*४६—श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के किन-किन मार्गों पर रोडवेज की बसें चलती हैं ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना तालिका में दी हुई है जिसे सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८१६ पर)

हाथरस में विभिन्न उद्योगों पर व्यय

*४७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में चल रहे राजकीय चाकू तथा अन्य उद्योग केन्द्र पर किस-किस विभाग के चलाने की योजना चल रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राजकीय औद्योगिक शिक्षालय तथा कटलरी योजनाओं के अन्तर्गत निम्नांकित कक्षाएं ४ एवं एक केन्द्र चल रहे हैं :

१—साबुन निर्माण कक्षा।

२—ब्रास बिल्डिंग फिटिंग कक्षा।

३—स्मिथी-कम-टूल निर्माण कक्षा।

४—महिला सिलाई कटाई कक्षा।

५—चाकू निर्माण केन्द्र (कटलरी)।

*४८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त उद्योगों में से किन-किन उद्योगों का कार्य अभी तक आरंभ नहीं हो सका और उसके लिये कितने व्यक्ति ऐसे वहां नियुक्त हैं कि जो कोई अभी काम न होने के कारण बिना कोई कार्य किये ही मासिक वेतन पा रहे हैं और कब से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उक्त केन्द्र स्थापित हो चुका है तथा कक्षाएं चल रही हैं। कोई भी राजकीय कर्मचारी ऐसा नहीं है जो बिना कार्य मासिक वेतन पा रहा हो।

*४९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अलग-अलग इस उद्योग केन्द्र पर कितना व्यय हुआ है और कितनी-कितनी आय खर्च कट कर हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपरोक्त पहली चार कक्षायें १९५८–५९ में आरम्भ हुईं और उक्त वर्ष में कुल २४,६४४ रुपये ६६ नये पैसे का व्यय हुआ, इनमें व्यय सम्मिलित रूप से उपलब्ध है। इनमें आय खर्च काट कर कुछ नहीं हुई।

कटलरी योजना के अन्तर्गत चाकू केन्द्र में व्यय और आय इस प्रकार हुए :

वर्ष				व्यय	आय
१९५६–५७	..	..	..	कुछ नहीं	कुछ नहीं
१९५७–५८	..	..	..	१,३४०.९७	कुछ नही
१९५८–५९	..	..	..	३,१२३.५६	कुछ नहीं

राज्य का चमड़ा उद्योग

*५०—श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग सन् १९४८ की तुलना में १९५८ में ह्रास (डिक्लाइन) कर रहा है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग १९४८ की तुलना में १९५८ में ह्रास (डिक्लाइन) नहीं कर रहा है। बल्कि चमड़े का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है। क्रोम चमड़े के उत्पादन में केवल पिछले दो वर्षों में अवश्य कुछ कमी हुई है। इस कमी के कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) अच्छी खाल का न मिलना।

(२) केन्द्रीय सरकार का ओ० जी० एल० से कच्ची खाल का आयात बन्द करना।

केन्द्रीय सरकार ने अब कच्चे चमड़े का आयात ओ० जी० एल० द्वारा फिर खोल दिया है। आशा की जाती है कि अब क्रोम चमड़े का उत्पादन बढ़ जावेगा।

नैनीताल में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णयों पर कार्यवाही

*५१—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अप्रैल में, १९५७ में नैनीताल में हुए Indian Labour Conference के फैसलों को प्रदेश कार्यान्वित किया गया है ? यदि हां, तो कौन से फैसलों को ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रदेशीय सरकार से सम्बन्धित फैसलों पर जो कार्यवाही की गई उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८१७–८१८ पर)

रोडवेज विभाग में बस कंडक्टर्स तथा नये रूट्स में विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति

*५२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि रोडवेज विभाग के आदेश नं० ४४००, दिनांक ८ मार्च, १९५७ में विभाग के अलग-अलग कैटेगेरीज (categories) के लिये पदोन्नति का कोटा निश्चित किया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त कैटेगेरीज में बस कन्डेक्टर्स का कितना कोटा है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, बस कन्डक्टर्स के लिये निर्धारित कोटे का विवरण तालिका में दिया हुआ है जिसे सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८१९ पर)

*५३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ८ मार्च, १९५७ के जी० ओ० के मुताबिक रोडवेज विभाग में ३१ मार्च, १९५९ तक नये रूट्स में कितने विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई ?

डाक्टर सीताराम—सूचना एकत्र की जा रही है ।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, तालबेहट की इमारतों में खराबी

*५४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५८ से ३० जुलाई, १९५९ तक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड तालबेहट, जिला झांसी की इमारतों की खराबी के सम्बन्ध में सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिलाधीश, नियोजन अधिकारी और कमिश्नर, झांसी ने निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा कमिश्नर, झांसी द्वारा किये गये निरीक्षण की लिखित रिपोर्ट माननीय सदस्य कृपया उपमंत्री नियोजन के कार्यालय में देखने का कष्ट करें । जिलाधीश तथा जिला नियोजन अधिकारी की कोई लिखित निरीक्षण रिपोर्ट नहीं है ।

*५५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त इमारत की खराबी ठीक कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और उक्त इमारत बनाने वाले ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—छतों की कांक्रीट बदलने के लिये ठेकेदार को लिखा गया था किन्तु उसने समय से कार्य शुरू नहीं किया अतः इस कार्य को विभागीय रूप से करने का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

कांक्रीट का पेमन्ट ठेकेदार को नहीं किया गया है और काम समय पर पूरा न करने के कारण बान्ड की शर्तों के अनुसार उस पर पूरा जुर्माना किया गया है ।

जौनपर जिले में उद्योग विभाग द्वारा अनुदान तथा ऋण

*५६—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक जौनपुर जिले में उद्योग विभाग द्वारा किस-किस उद्योग के लिये कितना-कितना रुपया अनुदान और ऋण के रूप में अलग-अलग दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य की ओर से हिन्दी पत्रों का प्रकाशन

*५७—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा हिन्दी में कौन-कौन पत्र प्रकाशित होते हैं, उनकी वार्षिक आय-व्यय क्या है ? वह कितने छपते हैं और कितने बिकते हैं और उनका अधिक प्रचार करने की क्या व्यवस्था है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

अनुसूचित जातियों के लोगों की नौकरी के लिये राजाज्ञायें

१—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५० ई० से जून सन् १९५९ ई० तक इस प्रदेश के विभिन्न विभागों के Heads और U.P. Public Service Commission को विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों के नौकरियों में संरक्षण की पूर्ति हेतु तथा शिक्षा सम्बन्धी योग्यता की छूट आदि के सम्बन्ध में कब-कब और क्या-क्या आदेश प्रदेशीय शासन की ओर से दिये गये हैं ? क्या सरकार उन राजाज्ञाओं की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार ने सन् १९५० से जून १९५९ तक अनुसूचित जातियों को दिये गये संरक्षण की पूर्ति के लिये जो आदेश लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न विभागाध्यक्षों को जारी किये, उनकी एक-एक† प्रति संलग्न है। अनुसूचित जातियों के लोगों को शैक्षिक योग्यता से कोई छूट नहीं दी जाती।

बाराबंकी जिले में अवैध मादक वस्तुओं के व्यापारियों की गिरफ्तारी

२—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी में सन् १९५६–५७ और १९५७–५८ में कितने व्यक्ति मादक वस्तुओं के अवैध व्यापार में पकड़े गये ?

डाक्टर सीताराम—बाराबंकी जिले में १९५६–५७ में ३५७ व्यक्ति तथा १९५७-५८ में ४२१ व्यक्ति मादक वस्तुओं के अवैध व्यापार में पकड़े गये।

---

*वित्त विभाग की विज्ञप्तियां

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एस० टी०–९५५/१०–९५०–(१) १९५८, दिनांक १ अप्रैल, १९५९ ई० एवं संख्या एस० टी०—१९७३–ए/१०–९०२(७) एम–५७, दिनांक ३० जून, १९५९ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३–क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

**यू० पी० पंचायतराज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं यू० पी० पंचायतराज रूल्स में पंचायतराज विभाग की विज्ञप्तियां संख्या २१७६–प/३३–४००(१)–५६, दिनांक १२ मई, १९५९ तथा २४२१–प/३३—३९९–५९, दिनांक ३ जून, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†प्रति छापी नहीं गई।
*छापी नहीं गई।
**छापी नहीं गई।

†द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का सप्तम प्रतिवेदन

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्राक्कलन समिति के सभापति के नाते प्राक्कलन समिति का सप्तम प्रतिवेदन, जो गन्ना विकास विभाग से संबंधित है, सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, जो हमारी पुरानी विधान सभा थी उसकी प्राक्कलन समिति ने गन्ना विकास विभाग सम्बन्धी एक प्रतिवेदन तैयार किया था और उसे दिनांक २८-१२-५४ को सदन के समक्ष उपस्थित किया था। इस प्रतिवेदन में समिति द्वारा जो सिपारिशें की गयी थीं उनके सम्बन्ध में सरकार ने जो कार्यवाहियां कीं उनकी टिप्पणी उन्होंने समिति के सूचनार्थ दिनांक ६-२-५८ को विधान सभा सचिवालय में भेजी थी। समिति की जिन-जिन सिपारिशों से विभाग सहमत नहीं था उनके सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिये स्वीकृत पद्धति के अनुसार एक समिति बनायी गयी। सरकार ने विभाग के कुछ अधिकारियों को लियेजां आफिसर नियुक्त किया। विचार विमर्श के बाद अब जो कुछ सिपारिशें हैं वह इस प्रतिवेदन में दी हुई हैं। मैं थोड़ा सा आबजेक्शन कर देना चाहता हूं और जो हमारी सिपारिशें हैं उनमें थोड़ा-सा पढ़ना चाहता हूं, आपकी आज्ञा से।

नम्बर ३—"समिति का यह मत है कि विकास पर जितना धन व्यय किया गया है और जितना जोर दिया गया है उसको देखते हुए गन्ना विकास में कोई विशेष प्रगति नहीं दिखायी देती है।"

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर है। नरेन्द्रसिंह जी विष्ट कोई कागज बांट रहे हैं। यह क्या कागज बांटा जा रहा है?

श्री अध्यक्ष—इसमें वैधानिक प्रश्न क्या है?

श्री राजनारायण—अव्यवस्था पैदा हो रही है।

श्री अध्यक्ष—अगर कोई ऐसा पर्चा हो, जो बांटने लायक न हो, तो आप एतराज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्हिप अपने सदस्यों को नोटिस दता है या कोई और चीज देता है तो वह वितरित होता ही रहता है।

श्री राजनारायण—तरीके पर तो आपत्ति हो सकती है। जिस ढंग से वह बांट रहे हैं हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष—यह एतराज आपका सही है। इस तरह से सदन में कार्य हो जिसमें शोर न हो।

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि संख्या १० पर जो हमारी मुख्य सिपारिश है वह यह है कि—"समिति यह समझती थी कि नियोजन विभाग के बन जाने के फलस्वरूप सभी और विशेषकर विकास सम्बन्धी विभागों में पूर्ण समन्वय हो सकेगा जिसके कारण कार्यक्षमता बढ़ेगी और साथ ही साथ स्टाफ तथा व्यय में काफी कमी होगी, परन्तु उसके विपरीत यह देखा गया है कि हर विभाग में विकास के नाम पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली गयी है। यही नहीं नियोजन विभाग का भी विस्तार शीघ्र गति के साथ होता चला जा रहा है, जिसके कारण हर प्रकार से प्रशासकीय भार बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। समिति इस स्थिति को गम्भीरता एवं चिन्ता के साथ देखती है और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती है तथा यह आशा करती है कि वह इस ओर शीघ्र ही सुधार करने हेतु कदम उठायेगी।

अन्त में श्रीमन्, मैं आपका और सभी उन कर्मचारियों का, जिन्होंने कि इस प्रतिवेदन के तैयार करने में हमको सहायता दी है, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—यह "आपका" क्यों कहा आपने ?

श्री नवलकिशोर—"आपका" तो मैंने इसलिये कहा कि आपसे तो हमें सबसे ज्यादा गाइडेंस मिलती है। इसलिये आपका और साथ-साथ विभाग का भी।

रिहन्द डैम की बिजली अल्मूनियम कारखाने को सस्ते दर पर दिये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब एक कामरोको प्रस्ताव श्री गौरीशंकर राय जी ने दिया है। उसमें लिखा है—

"मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सार्वजनिक महत्व के एक आवश्यक एवं अविलम्बनीय विषय पर चर्चा के लिये आज सदन के कार्य-स्थगन का प्रस्ताव लाना चाहता हूं।

प्रदेशीय सरकार द्वारा रिहन्द डैम की बिजली अलम्यूनियम कारखाने को दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा सदन में ३-९-५९ को दिये गये वक्तव्य कि १५० रुपये प्रति किलोवाट की दर से देने से 'एक नये पैसे का घाटा नहीं होगा' से यह बात निश्चित हो गई कि सरकार उक्त दर पर बिजली बेचने जा रही है। सभी विधियों एवं नियमों के अनुसार उक्त दर से बेचने से सरकार का बड़ा भारी घाटा होने वाला है। व्यक्तिगत रूप से और पत्र द्वारा अनुरोध करने पर कि उक्त दर निर्धारण की विधि को स्पष्ट किया जाय इसको कल विद्युत् मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करने से उत्पन्न एक गम्भीर परिस्थिति पर विचारार्थ सदन के कार्य-स्थगन का प्रस्ताव करना चाहता हूं।"

सरकार द्वारा इस उत्तर देने के बाद क्या अर्जेंसी और महत्व रह जाता है इस विषय में मैं गौरीशंकर राय जी से कहूंगा कि वह उसका स्पष्टीकरण करें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, रिहन्द डैम की बिजली देने का प्रश्न बहुत दिनों से चला आ रहा है हमारे प्रदेश में। पिछले दिनों जब मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि १५० रुपया प्रति किलोवाट बिजली देने से एक नये पैसे का भी घाटा नहीं है तो हम लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की। जो एक सेंट्रल ऐक्ट है सन् ४८ का जिसमें बिजली की दर निश्चित करने के लिये एक प्रोफार्मा बना हुआ है उसको देखा और इसके अतिरिक्त प्रदेश में दूसरे बिजली के कंसर्न हैं, दूसरे प्रदेशों में जो बिजली के आदान प्रदान और उसके मूल्यांकन की विधि है उन सारी विधियों को देखा और उनको देखने के बाद यह स्पष्टतया मालूम होता है कि उससे बहुत बड़ा घाटा होता है.....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप अपनी राय दे रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय—तो ३ तारीख को हमने पत्र लिखा माननीय मुख्य मंत्री को कि आप कृपा करके अपने किसी अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट करा दें कि बिजली का जो मूल्य निर्धारित किया गया है उसका क्या आधार है ताकि समझ में आ जाय कि सरकार का इसमें कोई घाटा नहीं है। उन्होंने एक पत्र में मुझे यह लिखा ५ तारीख को कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री मुझे यह सारी बातें स्पष्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, उनका पत्र मिलने के बाद में सार्वजनिक निर्माण मंत्री से मिला। उन्होंने अकेले व्यक्तिगत रूप से उसे स्पष्ट करने में अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा कि यह टेकनिकल मामला है। इसलिये ९ तारीख को साढ़े बारह बजे दिन का समय निश्चित किया जब कि उनके विभाग सचिव, मुख्य अभियन्ता विद्युत् विभाग, और मुख्य अभियन्ता रिहन्द डैम स्वयं ये सभी व्यक्ति एकत्रित हुए। मैं भी वहां उपस्थित हुआ और मेरे साथ विधान परिषद् के सदस्य श्री मदनमोहन जी भी थे। उनसे कहा गया कि वह बतावें डेढ़ सौ रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से तो बहुत जबर्दस्त घाटा होने वाला है, इसलिये मोटी-मोटी बातें बता दी जायं कि उसके क्या आधार हैं। हमने जानना चाहा कि आपके इण्टरेस्ट का रेट क्या है। हमने

जानना चाहा कि डेप्रिसियेशन का रेट क्या है और दूसरे खर्चों का रेट क्या है । अध्यक्ष महोदय, इस बीच में यह भी मैं बता दूं कि मुझे यह मालूम हुआ है कि वह जो रिहन्द डैम की एस्टीमेटेड कास्ट थी बनाने की --पहले उसकी ३५ करोड़ रुपये कास्ट थी और बाद में ४६ करोड़ हो चुकी है--उस पर अधिक खर्चा होता चला जाता है। तो उसी पहले ३५ करोड़ रुपये की कास्ट को सामने रखकर यह दर निर्धारित की गई थी। फिर ४६ करोड़ बाद को हो गई। अगर ३५ करोड़ खर्चा मान लिया जाय तो मुझे ही नहीं बल्कि सदन के और भी माननीय सदस्यों को भय है कि इससे अधिक नुकसान होगा। कल उन अफसरों और मंत्री जी ने हमसे कह दिया कि पब्लिक इन्टरेस्ट में वह हमें स्पष्टीकरण नहीं देंगे। उन्होंने यह कह दिया कि वह यह बताने के लिये तैयार नहीं हैं कि उनके कैलकुलेशन का बेसिस क्या है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही यह समझौता फाइनलाइज हो जायगा तो मालूम हो जायगा। कल सदन उठने जा रहा है। सदन के उठने के बाद अगर समझौते के कागज पर दस्तखत हो गये तो मेरा विश्वास है कि उससे बहुत हानि हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--इस विषय में मैं माननीय निर्माण मंत्री से कहूंगा कि वह इस विषय में कुछ बातें स्पष्ट करें। उनके कहने का मतलब यह है कि माननीय मुख्य मंत्री ने उनसे यह कहा था कि इस बात को निर्माण मन्त्री जी समझा देंगे। इसके लिये एक लिखित पत्र उनके पास भेजा गया। उसके पश्चात् वह निर्माण मंत्री के पास गये। उन्होंने सब डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर समझाने का प्रयत्न करने के लिये कहा। उसमें गौरीशंकर राय जी और एक दूसरे सज्जन गये। उस वक्त निर्माण मंत्री ने यह कह दिया कि पब्लिक इन्टरेस्ट में वे यह उचित नहीं समझते कि आपको समझायें। तो मैं इस विषय में सरकार से जानना चाहता हूं कि यह बात किस प्रकार की है।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, पहले मैं उस खत का जिक्र करना चाहता हूं जो मेरे पास भेजा गया था और जिसकी चर्चा माननीय गौरीशंकर राय जी ने की है। उन्होंने अखबारों में कोई चीज देखी जिससे उनका कहना है कि उनके मन में यह आशंका हुई कि गवर्नमेंट जिस भाव पर बिजली अल्मूनियम फैक्ट्री को देगी उससे नुकसान होगा। उन्होंने मुझे लिखा और एक सज्जन एम० एल० सी० हैं उन्होंने भी लिखा कि आप किसी अफसर को डिप्यूट करें जो हमको समझाये। उसके बाद उनको यह मैंने लिखा कि गवर्नमेंट को हमेशा इस बात की खुशी होती है कि सदन के माननीय सदस्य प्रदेश के मसले में अगर दिलचस्पी लेकर गवर्नमेंट को सहायता दें, लेकिन किसी अखबार में यूनामिनस राइटर की तरफ से कोई चीज निकाली जाय और हरएक के खंडन करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट अपने ऊपर ले, यह हो नहीं सकता।

फिर दूसरी बात उनको यह लिखी कि हमारे यहां दोनों सदनों को मिलाकर ५०० सदस्य होंगे और हर एक सदस्य के पास समझाने के लिये एक-एक अफसर को डिप्यूट किया जाय तो यह काम चल नहीं सकता। आप लोग निर्माण मन्त्री जी से मिल लें और मुझे आशा है कि वह सुविधा से इसे आपको समझा देंगे। मैंने निर्माण मंत्री जी से बात की थी। माननीय गौरीशंकर राय उन से मिले और माननीय निर्माण मंत्री जी ने उनको किसी बात के समझाने से इन्कार नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि जिस समय आप यह चीजें पूछ रहे हैं उस समय कुछ लोगों से हमारे नेगोशियेशन्स चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इन बातों का खोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी बातें होती हैं कि जिन लोगों को कम दाम पर बिजली देकर हम सस्ता माल लेना चाहते हैं उनके मुखालिफ लोगों को भी मालूम हो सकता है और नुकसान हो सकता है। इसलिये सार्वजनिक हित में इस समय बहस करना इस पर उचित नहीं है। नेगोशियेशन्स होने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

पर जब यह तय हो जाय तब हम बतला सकते हैं कि हमारा बेसिस क्या है। हमने पहले भी कहा है और हम अब भी कहते हैं कि किसी हालत में भी यह गवर्नमेंट ऐसी शर्त को मन्जूर करने वाली नहीं है जिससे गवर्नमेन्ट को या जनता को कोई नुकसान हो।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मैं खुद अब इस विषय में देखूंगा।

श्री गौरीशंकर राय---मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---क्या जो बात हुई है आपकी और उनकी उस सम्बन्ध में कोई और दूसरी बात आप कहना चाहते हैं?

श्री गौरीशंकर राय---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो कहिये।

श्री गौरीशंकर राय---इसके संबंध में जब हमसे यह कहा गया कि नेगोशियेशन्स के बीच कुछ बताना ठीक नहीं होगा तो मैंने उनसे बारबार निवेदन किया कि हमको डिटेल की जानकारी नहीं चाहिये। हम तो यह चाहते हैं कि मोटे तौर पर सरकार के जो सिद्धांत हैं, उसके ऐक्ट के जो तरीके हैं और दूसरी फर्म से डील करने के जो नियम हैं और बिजली बेचने के विषय में जो बातें ध्यान में रखी जाती हैं, वह जानकारी हम चाहते हैं। हमको भी कांस्टीट्यूशनल बातों से मतलब नहीं है मेरा विश्वास है कि पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर इस चीज को बताया नहीं जाता इसलिये कि कल जब सदन समाप्त हो जायगा तो उस के बाद सरकार इस डील को पूरा कर लेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस कार्य स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना है वह यह है कि आय के अलावा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग पूर्व में बसता है और उनकी सारी जिन्दगी और भविष्य की योजनाओं से इस का संबंध है। उनको चौगुने दर पर बिजली मिलती है.....

श्री अध्यक्ष---आप उसकी मेरिट्स जा पर रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण---आप एक मिनट मुझे सुन लें। मैं एक नयी बात कह रहा हूं। इस सवाल को मैंने आपकी सेवा में कम से कम तीन बार रखा और कल भी मैंने दफा ५२ के अन्दर इसको दिया था। आपसे निवेदन भी किया था कि यह रिहन्द डैम का मामला बहुत अहम है। एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य से निकलती है उसी को मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बैठें। आप मेरिट्स पर आ गये। मैं उसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण---अब पब्लिक इंटरेस्ट में कौन-सी बात है जिसको छिपाना है?

श्री अध्यक्ष---आप बहस कर रहे हैं। आप बैठें।

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष जी.....

श्री अध्यक्ष---मैं निर्णय देना चाहता हूं। आप दोनों बैठें।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे तब तक मेरिट्स पर कैसे जाया जायगा?

श्री अध्यक्ष---वही मैं भी कह रहा हूं। अर्जेंसी के बारे में मैंने गौरीशंकर राय जी से पूछा था, क्योंकि यह मामला दो, एक दफा पहले हाउस के सामने आ चुका है इसलिये पहले ही मैं इसको रिजेक्ट कर देता, लेकिन उन्होंने यह कहा था कि मुख्य मंत्री जी ने उनको निर्माण मंत्री जी के पास भेज दिया था जिससे वे हिसाब समझा दें परन्तु उन्होंने समझाने से इंकार कर दिया। इसलिये मैंने स्पष्टीकरण चाहा मुख्य मंत्री जी से। यह बात स्पष्ट हो गयी है मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के बाद और अभी भी वह कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा। नुक्सान होगा या न होगा उसकी सारी जिम्मेदारी शासन के ऊपर है, तो जब वह इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि बातचीत चल रही है और वह किसी चीज को स्पष्ट इसलिये नहीं करना चाहते कि प्रदेश का नुक्सान न होने पाये तो अधिक चर्चा की जरूरत नहीं है। क्योंकि वह चाहते हैं कि अल्मूनियम फैक्ट्री भी यहां प्रदेश में लगे, इस कारण बातचीत के दौरान बहस करना वे नहीं चाहते यदि वे चाहते कि कोई हर्ज नहीं अगर फैक्ट्री लगाने वाला भड़क जाय, यदि वे इस मत के होते तो सब बातें बता देते, लेकिन उनका मतलब यह है कि फैक्ट्री भी लगे और जो नेगोशियेशन्स हों वे प्रांत के हित में भी हों, प्रदेश का नुकसान न होने पाये इस प्रकार का भाव तय करें, इस कारण वह चाहते हैं कि वे इस समय ब्यौरे की बात नहीं बताना चाहिये ; लेकिन वह सदन के प्रति जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने कोई नुकसान कर दिया, तो सदन को पूर्ण अधिकार होगा कि इस शासन को बदल दे और इस शासन के ऊपर अपना अविश्वास प्रकट कर दे। यह सब चीज सदन कर सकता है ; तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बाद मैं प्रस्ताव के लिये इजाजत नहीं देता।

(श्री राजनारायण, श्री उग्रसेन तथा श्री गौरीशंकर राय के एक साथ खड़े हो कर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष---मैं किसी को इजाजत नहीं देता। आप लोग बैठ जाइये।

श्री गौरीशंकर राय---यह तो बाद में हम कर सकते हैं कि मंत्री जी हट जायं या सरकार बदल दें लेकिन जो रेकरिंग लास एक करोड़ के करीब होने वाला है अनन्त काल तक के लिये उसका क्या होगा ? आज सूखा पड़ा हुआ है, पानी की दर चौगुनी है रिहंद डैम की व्यवस्था के कारण....

श्री अध्यक्ष---आपकी जब सरकार होगी तो उनसे फिर से आप वसूल कर सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मैं व्यवस्था चाहता हूं। मामूली जरिस्प्रुडेंस के अनुसार जज अपनी व्यक्तिगत नालेज को फैसले में नहीं लिखता। अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो इधर या उधर वालों ने अल्मूनियम फैक्ट्री का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन रूलिंग में आपने उसका नाम लिया। क्या माननीय अध्यक्ष को अख्तियार है कि वह अपनी नालेज को इम्पोर्ट कर सकते हैं अपनी रूलिंग्स के अन्दर ?

श्री अध्यक्ष---आप अटेंशन पे नहीं करते हैं, प्रस्ताव में उसका जिक्र है।

श्री राजनारायण---जैसा कि आपने कहा है इस समय हम देखते हैं कि रिहंद के मामले में हम लोगों में और सरकार के नुक्तेनजर में बहुत फर्क है तो यही तो विषय होगा ऐडजर्नमेंट मोशन का। अगर हम सरकार की राय के हो जायं तो आकर क्यों शिकायत करें। डेढ़ सौ रुपया बिरला दे उतने पर एक हजार किसान दे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा---मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। एक आपने निश्चित व्यवस्था दे दी, उसके बाद भी फिर माननीय राजनारायण ने प्रश्न उठाया है, तो क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसे अनुचित समझता हूं।

(श्री राजनारायण के खड़े होने पर)

आप कृपा करके बैठिये, मेरे कमरे में बात-चीत कीजिये।

नियम ५२ के अन्तर्गत अलीगढ़ के श्री राधेश्याम मित्तल को गोली मारे जाने के संबंध में गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—५२ नियम के अनुसार मेरे पास नोटिस आये हैं, उसमें महत्व के विशेष दो हैं। इसमें सबसे महत्व का श्री मलखान सिंह जी का है। उसके बारे में सूचना देंगे या वक्तव्य देंगे माननीय गृह मंत्री वह इस प्रकार है:—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की धारा ५२ के अन्तर्गत मैं लोक महत्व का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे पास अलीगढ़ से सूचना प्राप्त हुई है कि श्री राधेश्याम मित्तल, सार्वजनिक कार्यकर्त्ता, प्रधान मंडल कांग्रेस कमेटी, हरदुआगंज चैयरमैन, टाउन एरिया, हरदुआगंज तथा मैनेजर अग्रवाल इंटर कालेज को जब वह कल तारीख ९-९-५९ की शाम को अपने घर को जा रहे थे, अचानक गोली मार दी गयी। जिले में कई और ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे वहां की जनता में भय और चिन्ता व्याप्त हो गयी है। आशा है कि आप इस विषय को उठाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।"

राजनारायण जी ने भी इसी विषय में कहा है कि राधेश्याम जी, जो अभी एलेक्शन पेटीशन में जीते थे उनको गोली मार दी गयी।

इस विषय में माननीय गृह मंत्री जी आज वक्तव्य देना चाहते हैं या कल?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मैंने टेलीफोन पर कुछ सूचना प्राप्त कर ली है।

श्री अध्यक्ष—अगर पूरी सूचना न दे सकते हों तो कल तक आप सूचना प्राप्त कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें जितनी सूचना आ गयी है वह दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—स्पष्टीकरण के लिये पूरक प्रश्न भी तो पूछे जाते हैं। अगर ब्यौरा न दे सकें तो सूचना प्राप्त होने पर दे दीजियेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो घटना घटी है, उसकी सूचना इसमें आ गयी है।

श्री अध्यक्ष—वह तो उनको भी सूचना है। लेकिन क्या घटना घटी, उसका क्या ब्यौरा है, वह आज आप देना चाहते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं दे दूंगा। अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से टेलीफोन पर पूछने से यह सूचना मिली है कि श्री राधेश्याम मित्तल जो हरदुआगंज की टाउन एरिया के चेयरमैन हैं, वह ९ तारीख को अलीगढ़ आये हुए थे और फिर अलीगढ़ से वह एक बस में बैठ करके हरदुआगंज वापस जा रहे थे, ७ बजकर २० मिनट पर वह बस के स्टेशन पर उतर कर हरदुआगंज कस्बे के नजदीक उनका एक बगीचा है उसमें वे गये। २-३-४ मिनट वह उस बगीचे में रहे, वहां से निकले और अपने घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में, जिससे वह जा रहे थे, वहीं एक मंदिर है और

ऐसा लगता है कि उस मंदिर में कोई लोग छिपे थे और जब वह मंदिर के पास पहुंचे हैं, श्री मित्तल, तो उनपर रिवाल्वर से गोली मारी गई। इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और सुपरिंटेंडेंट पुलिस को टेलीफोन पर तुरन्त ही दी गई। इसके थोड़ी देर बाद वह हरदुआगंज पहुंच भी गये। श्री मित्तल सदर अस्पताल में लाये गये और गोली उनके शरीर से निकाली गई। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनको अस्पताल में देखा भी और डाक्टरों की यह राय है कि श्री मित्तल अच्छे हो जायेंगे और जीवन के लिये कदाचित कोई खतरा दिखाई नहीं देता। जिस आदमी ने श्री मित्तल पर गोली चलाई थी वह अंधेरे में निकल गया और उसे श्री मित्तल भी पहचान न सके। पुलिस इस मामले में तफतीश कर रही है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि आक्रमणकारी गिरफ्तार किया जा सके। यही सूचना है।

श्री मलखानसिंह (जिला अलीगढ़)—घटना थाने से कितनी दूर हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—थाना कितनी दूर है यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस मंदिर के पास की घटना है जो आबादी में जाने के रास्ते में पड़ता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मलखानसिंह जी ने अपनी सूचना में यह कहा है कि अलीगढ़ में इस तरह सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की कई हत्याएं हो चुकी हैं और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अलीगढ़ में यह भी घटना हुई कि मंत्रिमंडल के एक सदस्य पर आक्रमण हुआ और उनकी हत्या करने का भी इरादा था, तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने अलीगढ़ में कोई विशेष प्रयत्न किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विशेष प्रबन्ध तो कुछ नहीं किया गया है, वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं वह इस मामले में सतर्क किये गये हैं, कई केसेज चले हैं और गिरफ्तारियां हुई हैं।

श्री मलखानसिंह—एफ० आई० आर० रिपोर्ट में किन-किन लोगों के नाम दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एफ० आई० आर० की कोई नकल मेरे पास नहीं आई है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बतायेगी कि टेलीफोन से किस व्यक्ति ने कलेक्टर और एस० एस० पी० को सूचना दी और कहां से टेलीफोन किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किस व्यक्ति ने सूचना दी, यह तो मालूम नहीं, यह पता चला है कि हरदुआगंज से उनको सूचना दी गई।

श्री मलखानसिंह—क्या यह सही है कि राधेश्याम जो अभी एलेक्शन पेटीशन में जीते, इसी वजह से उन पर हमला कराया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय सदस्य का यह विचार है, मुझसे भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन जबतक पूरी इंक्वायरी न हो जाय, मैं कुछ कह नहीं सकता।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जो हरदुआगंज टाउन एरिया का चुनाव हुआ था उस चुनाव में सरकारी मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का विशेष हाथ था ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं, यह इससे पैदा नहीं होता।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि इस प्रकार की हत्या के ये पांचवें व्यक्ति हैं जिन पर हत्या का प्रयास हुआ है ? क्या सरकार को ऐसी भी शिकायत मिली है कि इन हत्याओं के पीछे कांग्रेस की दलबन्दी है और मिनिस्टीरियल ग्रुप उसमें शामिल होता है और कलेक्टर को इस तरह से इंसट्रक्शन्स हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---श्रीमन्, यह तो आक्षेप है कि मंत्रिमंडल का इसमें हाथ है। रही यह बात कि पिछले दिनों अलीगढ़ में इस प्रकार की कई घटनायें हुई हैं जिनमें कई आदमियों की हत्याएं हुई हैं, यह सही है।

श्री अध्यक्ष---आपका सवाल था कि क्या उनमें कोई राजनीतिक व्यक्ति भी थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उनमें ऐसे लोग अवश्य थे जो सार्वजनिक कार्यकर्त्ता थे।

श्री कैलाशप्रकाश (जिला मेरठ)---क्या यह सही है कि राधेश्याम मित्तल की पिछले एक साल से यह शिकायत थी कि वहां की गुटबन्दी के कारण उनकी जान को खतरा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी थी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि पिस्तौल लगने के बाद भी माननीय मित्तल के मरने की संभावना नहीं रही तो दूसरे लोगों ने षड़यंत्र करने और किसी को बदनाम करने का प्रयास किया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मलखानसिंह---क्या मंत्री जी वहां से रिपोर्ट मंगा कर कल यहां उपस्थित करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---रिपोर्ट तो जरूर मंगा ली जायगी, लेकिन कल यहां पेश किये जाने में संदेह है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन सज्जन को मारने का प्रयास हुआ है, उनका अहेन कांड से कोई संबंध है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि श्री राधेश्याम जी के कितनी गोली लगीं और वे शरीर के किस अंग पर लगीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मालूम होता है कि एक ही गोली लगी थी जो निकाल ली गयी है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या यह सही है कि इस प्रकार की ४-५ घटनायें एक ही सुपरिंटेंडेंट पुलिस के जमाने में हुई हैं, इस प्रकार की शिकायत करने पर उसका तबादला नहीं किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो मुझे स्मरण नहीं है कि ये सारी घटनायें एक ही सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस के जमाने में हुई हैं या नहीं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि जो एहन कांड हुआ, उसमें यही एस० पी० वहां मौजूद थे या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या सरकार यह बतायेगी कि मित्तल जी का किस दल से विशेष संबंध है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मित्तल जी अकेले जा रहे थे या कुछ लोगों के साथ जा रहे थे जब उनको गोली लगी और उसके कितनी देर बाद थानेदार वहां पहुंचा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अकेले ही जा रहे थे।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)---जैसा कि आपने मंत्री जी से कहा कि पूरी रिपोर्ट वे मंगा लें, तो इससे यह साबित हो गया कि ये उत्तर उन्होंने बिना पूरी रिपोर्ट मंगाये हुए ही दिये हैं।

श्री अध्यक्ष---जिस वक्त रिपोर्ट आ जायगी मंत्री जी उसको सदन में पेश कर देंगे।

२० अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न २० से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन†

श्री अध्यक्ष---अब श्रम उपमंत्री जी श्री कल्याणचन्द मोहिले के तारांकित प्रश्न संख्या २० से संबंधित उनके द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य देंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा---मान्यवर, दिनांक २० अगस्त, १९५९† को श्री कल्याण चन्द मोहिले ने तारांकित प्रश्न संख्या २० के सम्बन्ध में निम्न अनुपूरक प्रश्न पूछा था :

"क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह मिल कुल कितने दिन बन्द रही ?"

इस का उत्तर मैंने सदन में इस प्रकार दिया था :

"मान्यवर, यह कहा गया कि ९ जून से बन्द थी।

१ अगस्त को उसमें समझौता हो गया।

१ अगस्त से वह चल पड़ी।"

अनुपूरक प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार है ---

"मान्यवर यह कहा गया कि यह मिल ३ जुलाई से बन्द (लाक आउट से) थी, ३१ जुलाई को उसमें समझौता हो गया।

१ अगस्त से वह चल पड़ी।"

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ की संयुक्त प्रवर समिति के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष---कल न्याय मंत्री के प्रस्ताव पर कि दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति बने जिसके १६ सदस्य हों, श्री प्रताप सिंह ने एक प्रस्ताव और किया था कि श्री रामनारायण त्रिपाठी इसके और सदस्य हो जायं। उन्होंने अभी मेरे पास लिख कर भेजा है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं क्योंकि उसकी वजह से फिर चुनाव की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें देर होगी।

---

†२० अगस्त, १९५९ की कार्यवाही में तदनुसार शोधन कर दिया गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि यह कानून के विरुद्ध है। श्रीमन्, प्रक्रिया नियमावली के नियम २६१ में दिया हुआ है कि अगर १५ या १६ मेम्बरों का चुनाव सेलेक्ट कमेटी के लिये करना हो तो वह किस तरह से किया जाय।

"Fifteen or sixteen members, as the case may be, of the Assembly to be elected by the method of proportional representation by means of the single transferable vote."

तो श्रीमन्, सिंगल, ट्रांसफरेबिल वोट से यहां सदस्यों का चुनाव होना चाहिये। आप श्रीमन्, उस नियम को देख लें, मुझे ऐसा याद पड़ता है कि नियम में यह है।

श्री अध्यक्ष--तो आप अन्दाजा लगा कर ही बातें करते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, मुझे याद है कि मैंने इसे पढ़ा है कि सिंगल ट्रांस्फरेबिल वोटिंग का जहां नियम है वहां यह भी है कि जो प्रपोजर और सेकेंडर हो वह उस प्रस्तावित नाम को वापस नहीं ले सकता है। संबंधित सदस्य स्वयं अपना नाम वापस ले लें तो वह अलग चीज है जब तक न ले दूसरा नहीं ले सकता। इसलिये श्रीमन्, श्री प्रताप सिंह चूंकि प्रपोजर है, वे उस नाम को वापस नहीं ले सकते हैं। जब तक कि श्री रामनारायण त्रिपाठी स्वयं ही अपना नाम वापस न ले लें तब तक यह नाम वापस नहीं हो सकता है। श्रीमन्, आप जो उस कुर्सी पर बैठे हुये हैं तो चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों, सब का आपके ऊपर विश्वास है और मुझे तो बड़ा दुख हुआ जब सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से उपाध्यक्ष के ऊपर एक अविश्वास का प्रस्ताव कल लाया गया। श्रीमन्, पूरा विश्वास करके ही आप को हम लोगों ने उस गद्दी पर बिठाया है।

श्री अध्यक्ष--आप सब चीजों को मिलाया न कीजिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, जब आप स्थान पर आये तो शासक पार्टी ने....

श्री अध्यक्ष--इसमें शासक पार्टी की बात कहां से आ गयी ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, मेरे सामने की बात है, आज शासक पार्टी की तरफ से आदमी श्री प्रताप सिंह जी के पास आये और उनकी जो बातचीत हुई उसे मैंने अपने कानों से सुना। उधर के व्हिप जब आये थे तो श्री राज नारायण जी ने विरोध भी किया था। तो मेरा अनुमान है यह.....

श्री अध्यक्ष--आप सब चीजें अनुमान से ही कहते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, जैसा कि मैंने अर्ज किया मेरे सामने बातें हुईं।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--श्रीमन् मैं भी इस वापसी का विरोध करता हूं। प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत आप के द्वारा निर्मित विनियम को देखा जाय, इस से साफ जाहिर है कि जिस का नाम प्रपोज किया गया है वही आदमी उस को वापस ले सकता है और दूसरा कोई व्यक्ति उस को वापस नहीं ले सकता। नियमावली के अन्तर्गत जो विनियम दिये हैं उस का जो विनियम ३ है वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ दूं--"नाम निर्देशन-पत्रों के निरीक्षण के उपरान्त यथाशीघ्र सचिव अध्यक्ष को एक सूची प्रस्तुत करेगा जिस में उन अभ्यर्थियों के नाम होंगे जो नियमित रूप से नाम निर्देशित किये गये हों। ऐसे अभ्यर्थियों के नाम अध्यक्ष द्वारा सभा के समक्ष घोषित किये जायेंगे या सदस्यों को संचारित किये जायेंगे और ऐसी घोषणा होने या संचार किये जाने पर किसी नाम-निर्देशित व्यक्ति को इस बात की अनुज्ञा होगी कि वह सभा के समक्ष वक्तव्य देकर भी नियत समय के भीतर सचिव को लिख कर निर्वाचन से अपने नाम को वापस ले ले"। तो इस से स्पष्ट है कि यह अधिकार किसी दूसरे को नहीं है, कल माननीय उपाध्यक्ष

जी स्वयं यहां मौजूद थे, यदि उनको अपना नाम वापस लेना होता तो वह ले लेते, वह आज भी मौजूद नहीं हैं, यदि वह वापस लेना चाहते तो लिख कर भेज सकते थे और वापस ले सकते थे। इसलिये मैं इस प्रस्ताव की वापसी पर अपना विरोध प्रकट करता हूं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो नाम पहले प्रस्तावित हुआ और श्री प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखा वह नहीं आ सकता था। नियम २६१ को देखा जाय, उस में लिखा है कि ऐसी प्रवर समिति बने तो उसके १५ या १६ ही सदस्य हो सकते हैं इसलिये १७ वां नहीं बढ़ाया जा सकता। इस तरह से माननीय प्रतापसिंह का संशोधन अनियमित था। इस तरह से कल यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता था। इस तरह से संयुक्त प्रवर समिति के बारे में जो नियम २६१ है उस के यह विपरीत है और १७ वां आदमी उस में नहीं रखा जा सकता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--अध्यक्ष महोदय, कल आप यहां नहीं थे, इस सम्बन्ध में मैंने भी कल कुछ निवेदन किया था और मेरा नम्र निवेदन यह था कि एक स्वस्थ परम्परा कायम करने के लिये किसी गैर-सरकारी सदस्य को, चाहे प्रवर समिति हो या संयुक्त प्रवर समिति हो, उसका चेयरमैन बनाना चाहिये। कल प्रतापसिंह जी ने उपाध्यक्ष महोदय का नाम प्रस्तावित किया था और अगर वह आ जाते हैं तो अवश्य ही वह उस के अध्यक्ष होंगे। कल जब यह विषय स्थगित हुआ था तो यह हुआ था कि बात आपस में कर के सब लोग किसी निर्णय पर पहुंच जायेंगे और कोई समाधान निकाल लेंगे। माननीय विष्ट जी ने सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट की बात की, माननीय सदस्य गोरखपुर ने अभी कहा कि नाम वापस ही इस तरह से नहीं हो सकता, माननीय मोती लाल जी ने कहा कि नाम प्रस्तावित ही नहीं हो सकता था। इन सब बातों में तर्क है और उन के तर्क में बल है क्योंकि माननीय प्रतापसिंह जी ने किसी नियम के अन्तर्गत प्रस्ताव नहीं किया था उन्होंने यह नहीं कहा था कि फलां आदमी हट जाय। उसकी जगह श्री रामनारायण रहें उनकी तो चिट्ठी थी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि ५ विरोधी दल के और १० कांग्रेस दल के सदस्य रहें और कांग्रेस दल के एक व्यक्ति को कम कर के माननीय रामनारायण त्रिपाठी का नाम रखा जाय।

श्री अध्यक्ष--(श्री प्रताप सिंह से) आप का प्रस्ताव ऐसा था ?

श्री राजनारायण--जी नहीं, ऐसा नहीं था। मैं कानून की बारीकी में फंसने वाला आदमी नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--आप ने आज ऐसा ऐडमिशन कर तो लिया।

श्री राजनारायण--गलत कानूनों को रद्द करने के लिये, और तोड़ने के लिये हर साल जब से यह सरकार बनी है हम जेल जाते हैं, क्योंकि इसके बुरे कानून को हम तोड़ते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी क्या इस बात को स्वयं उचित नहीं समझते हैं कि प्रवर समिति का चेयरमैन कोई गैर-सरकारी व्यक्ति हो ? अगर सरकार इसको मानती है तो कोई ऐसी व्यवस्था निकाली जाय जिससे कि मामला ठीक हो जाय। श्रीमन्, प्रतापसिंह और नरेन्द्र सिंह विष्ट जी से बात हुई थी। फिर माननीय उपाध्यक्ष से हुई और नरेन्द्रसिंह जी फिर गये और फिर आये। आज भी मैं देख रहा हूं कि सदन बैठने के आधा घंटा पहले से यह सब हो रहा है। तो हम लोगों की कथनी और करनी में एकता होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विवाद इस समय उठ खड़ा हुआ है उसके सम्बन्ध में वैधानिक प्रश्न पर तो मुझे कोई बात नहीं कहनी है, उसका निर्णय तो आप स्वयं कर लेंगे। लेकिन विवाद के औचित्य के बारे में आपसे और सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष का पद ऐसा है कि उनका नाम चुनाव के मामले में डालना हमारे लिये ठीक नहीं है और अगर हम चाहते हैं कि वह हर कमेटी में या किसी कमेटी में सदस्य हों तो मैं विरोधी दल की ओर से कहता हूं कि विरोधी दलों को चाहिये कि उनका नाम अपने में से एक नाम वापस करके रख दें। तब तो सरकार को मानना पड़ेगा। लेकिन अतिरिक्त नाम के तौर पर उनका नाम पेश करना और चुनाव कराना जान बूझकर उनकी प्रतिष्ठा घटाना है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि कोई गैर-सरकारी सदस्य समिति का चेयरमैन हो, इसके बारे में यह बात सही है कि जब प्रवर समिति में यह बात हो रही थी तब यह प्रश्न उठा था और वहां सर्वसम्मत भावना यह थी कि ऐसी समितियों में, जो संबंधित मिनिस्टर होते हैं, वह अध्यक्ष न हों क्योंकि वह एक पार्टी होते हैं। हम लोगों ने यह बात रखी थी और इस पर सरकारी दल की ओर से कहा गया था जिसमें श्री लक्ष्मीरमण आचार्य और हाफिज भी थे, कि इस बात को रूल में न रखा जाय लेकिन परम्परा के रूप में यह चीज रहे। परम्परा के रूप में यह इस प्रकार से हो सकता है कि आपको चेयरमैन को मनोनीत करने का अधिकार है तो आप उसके लिये गैर-सरकारी सदस्य को मनोनीत कर दें। मैं समझता हूं कि इस विवाद को यहां उठाना तो मुनासिब नहीं है। नाम वापस लें और आपसे प्रार्थना की जाय कि आप किसी गैर-सरकारी सदस्य को चेयरमैन मनोनीत कर दें। तो समस्या का हल हो सकता है।

श्री प्रतापसिंह---मान्यवर, मैंने जो प्रस्ताव रखा...

श्री अध्यक्ष---मैं उसे पढ़े देता हूं:---

"मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी और हाउस के सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि पार्लियामेंटरी पद्धति को यहां सही रूप देने के लिये जो स्टैंडिंग कमेटियां हम बनायें उनमें एक नान आफिशियल चेयरमैन हो। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से हाउस ने पिछली बार जिला परिषद् के लिये कमेटी बनायी उसके चेयरमैन उपाध्यक्ष महोदय को बनाया था, उसी प्रकार मैं इसमें माननीय राजनारायण त्रिपाठी का नाम प्रस्तुत करता हूं जिनका नाम इसमें नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हाउस मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।"

इसमें आपने कहीं यह नहीं कहा था कि सरकार की तरफ से एक नाम काट कर उनका नाम उसकी जगह पर रखा जाय।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, मेरा जो मन्तव्य था वह यही था। यह नहीं था कि माननीय उपाध्यक्ष का नाम पेश करके चुनाव कराऊं। श्रीमन्, आपको अधिकार है चेयरमैन मनोनीत करने का और यह भी रूल है कि उपाध्यक्ष किसी कमेटी में होंगे तो वही उसके चेयरमैन होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुये हमने यह आवश्यक समझा। श्रीमन्, गैर-सरकारी सदस्य को चेयरमैन बनाने की परम्परा को स्थापित करने के लिये सरकार ने कदम नहीं उठाया। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, यह आपका अधिकार है---कि नान-आफिशियल सदस्य को चेयरमैन मनोनीत करने की कृपा करें।

श्री राजनारायण---जरा एक बात कहनी है। माननीय प्रतापसिंह जी ने जो पत्र लिखा और निवेदन किया---उसे प्रस्ताव की शक्ल में मानना तो ठीक है, लेकिन वह स्टैंडिंग कमेटी के लिये है या संयुक्त प्रवर समिति के लिये?

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठिये। माननीय गौरीशंकर राय।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन्, मैं कोई कानूनी राय नहीं देना चाहता। एक बात निवेदन करनी है कि इस सदन में यह परम्परा रही है कि एक तिहाई अपोजीशन के लोग किसी भी समिति में लिये जाते हैं। तो जब वह संख्या १६ होती है तो सवा ५ तो होंगे नहीं इसलिये ६ सदस्य लिये जाते रहे हैं, जैसा कि नगर निगम समिति में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की कमेटी में और रूल्स कमेटी में भी हुआ। अब पिछली बार से अपोजीशन से ५ और उस तरफ से १० के बजाय ११ किये जाने की बात हुई। जब डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल के बारे में बात हो रही थी तभी कांग्रेस व्हिप ने कहा था कि ५ से अधिक नहीं लेंगे। उस कमेटी में नेता विरोधी दल को सर्व करना था इसलिये उसमें मान लिया। तो मेरा निवेदन है कि जो ६ की संख्या अभी तक हमारी होती थी वही कायम रहे। मैं समझता हूं कि अगर ६ की संख्या कायम हो जायगी तो माननीय उपाध्यक्ष को लेने की बात भी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---वैधानिक प्रश्न यह उठाया गया है कि इस तरह से नाम का जो प्रस्ताव है---वापस नहीं लिया जा सकता। नियम २६१ में है कि १५ या १६ सदस्य प्रवर समिति में होंगे और वे जैसी परिस्थिति हो एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जायेंगे। यहां अभी तक यह प्रथा रही है कि प्रवर समिति के लिये नामों का प्रस्ताव ले लिया जाता है सर्वसम्मति से और पारित कर दिया जाता है, जिसमें चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह जो प्रस्ताव लिया जाता है वह एकल संक्रमणीय चुनाव की नामजदगी नहीं है। नियम का अर्थ यह है कि यह जो प्रस्ताव होते हैं वह तो सिर्फ यह बात मालूम करने के लिये होते हैं कि कितने व्यक्ति लोग चाहते हैं कि इस समिति में आ जायं। अगर एकमत सदस्य हो जाते हैं तो चुनाव की आवश्यकता नहीं होती। इसलिये यद्यपि किसी ने दो प्रस्ताव कर दिये दो नामों के और फिर समझौता होने से उन्हें वापस ले लिया तो वे वापस हो सकते हैं और होते रहे हैं। वे कोई नामजदगियां चुनाव की प्रक्रिया में से नहीं हैं। जब चुनाव होना अनिवार्य हो जाता है तब नियमानुसार नामजदगी लिखित होगी और नामजदगी का तरीका एकल संक्रमणीय मत से होगा। इस पद्धति के नियमों में दिया हुआ है कि पहले नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि निश्चित होती है, सूक्ष्म परीक्षा के लिये तिथि निश्चित होती है और फिर नामजदगी होती है किसी कागज के ऊपर। जब इस प्रकार नामजदगी हो जाती है किसी सदस्य की तब तो यह संभव नहीं है कि बिना उसकी रजामंदी के जिसका नाम नामजद किया गया हो---नाम वापस हो सके। वही अपना नाम वापस लेता है नामजदगी के बाद लेकिन सदन में प्रस्ताव करना उस प्रकार की नामजदगी नहीं है। अभी तो यह परिस्थिति है कि मिल कर यह जाना जाय कि सर्वसम्मति से सदन किन-किन लोगों को चुनता है और इसी प्रथा पर आज तक कार्य चला आ रहा है। सर्वसम्मति में प्रतापसिंह जी का प्रस्ताव बाधक होता था क्योंकि सदस्यों की तादाद में एक नम्बर बढ़ जाता था। अगर एक नम्बर बढ़ जाता है तो परिणाम यह होता है कि चुनाव करना लाजमी हो जाता है। फिर मैं उसके लिये कोई समय नियुक्त करता और फिर नामजदगी करता, ये सब बातें होतीं। लेकिन जब उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस लेने को कहा तो वह फिर वापस ले लिया जा सकता है, लेकिन सदन की राय से ही वापस लिया जा सकता है। मैं सदन की इसलिये राय लिये लेता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---एक निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष---आप बीच में न बोलें, आप कृपा कर बैठें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा संशोधन मान लिया जाय तो समस्या का समाधान हो जायगा।

श्री अध्यक्ष ---जी नहीं, समाधान के लिये मैं बैठा हुआ हूं, आप भी कृपा कर बैठें।

(कुछ देर ठहरकर)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रतापसिंह जी ने कल किया है उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में--११३,

विपक्ष में--३१।)

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यह बात सही है जैसा कि पालीवाल जी ने कहा कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, इनका नाम चुनाव के सम्बन्ध में कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहिये। मैं भी इसी मत का हूं। अगर आज यहां पर उपाध्यक्ष मौजूद होते और उन्हें पता होता कि उनका नाम कंट्रोवर्सी में इस प्रकार आने वाला है तो वे स्वयं अपने नाम को वापस ले लेते, लेकिन आज वे यहां मौजूद नहीं हैं, वे फैजाबाद चले गये हैं। इस वास्ते प्रतापसिंह जी ने जो कार्य किया है वह इस दृष्टि से ही किया है कि कंट्रोवर्सी में उनका नाम वे लाना नहीं चाहते। उपाध्यक्ष यहां नहीं हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है।

दूसरे उन्होंने मेरे सामने प्रश्न रखा है कि कोई असरकारी सदस्य इसका चेयरमैन होना चाहिये। इसके ऊपर मैं कल फैसला दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, आपकी जो व्यवस्था हो चुकी वह मान्य है लेकिन इसी के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतापसिंह जी ने कल नाम प्रस्तावित किया। अगर उन्होंने न किया होता तो मैंने किया होता या और किसी ने प्रस्तावित किया होता। मैंने या किसी और सदस्य ने इसलिये प्रस्तावित नहीं किया और नामांकन पत्र इसलिये नहीं भरा क्योंकि प्रताप सिंह जी की उस प्रस्तावना को प्रस्ताव मान लिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में जो दूसरे लोग प्रस्तावित करने से रह गये और माननीय रामनारायण जी वापस लेने से भी रह गये, तो ऐसी अवस्था में आपकी क्या व्यवस्था है कि जो बाद में दें वे कभी भी वापस ले सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि वापस लेने का तो अधिकार था ही, लेकिन सदन की राय से। मैंने यह निर्णय दे दिया और सदन ने राय दे दी। अब इसकी वजह से कोई अड़चन नहीं पैदा होती। जब निर्णय हो चुका उसके बाद कोई नया प्रश्न उठाया नहीं जा सकता।

श्री गौरीशंकर राय---भविष्य के लिये ऐसे मामलों में क्या होगा?

श्री अध्यक्ष---जब भविष्य में प्रश्न उठेगा तो पूछियेगा।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव के द्वारा चुनाव की मांग करता हूं कि चुनाव किया जाय, उसके लिये दिन मुकर्रर किया जाय।

श्री अध्यक्ष---चूंकि अब १६ ही नाम रह गये हैं इसलिये चुनाव की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि ये १६ नाम सर्वसम्मति से स्वीकृत हुये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन एक अर्ज है कि इसमें चुनाव अनिवार्य होता है। इसलिये कि सबकी एक राय नहीं है। हम लोग इस लिस्ट से इत्तफाक नहीं करते हैं। जब रूल्स में साफ दिया हुआ है कि चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट से होगा तो ऐसा जरूर होना चाहिये। यदि सबकी एक राय होती तो बात दूसरी थी।

श्री अध्यक्ष—खैर मैंने अपना निर्णय दे दिया है कि यह १६ व्यक्ति प्रवर समिति के लिये चुने गये।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, दूसरा वैधानिक प्रश्न है कि जैसी आपने रूलिंग दी है कि बाकायदे लिखकर नामांकन नहीं हुये हैं इसलिये नहीं मानता हूं। इसलिये जो भी नाम पेश किये गये हैं वह कागज पर लिख कर नहीं दिये गये हैं इसलिये मैं समझता हूं कि वह सब अवैधानिक हैं। इसलिये आप व्यवस्था दें कि फिर से चुनाव क्यों न किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कोई अवैधानिक बात नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था कि जब १६ व्यक्ति चुने जाने हैं और १६ व्यक्तियों के ही नाम प्रस्तावित रह गये हैं तो चुनाव की आवश्यकता नहीं है और एकल संक्रमणीय पद्धति से चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को माना जायगा कि सदन की सर्वसम्मति से यही राय है। आज तक सदन की यही परम्परा रही है और यही व्यवस्था मैं देता आ रहा हूं। इसमें कोई अन्तर नहीं हुआ है। केवल गर्मी इसलिये पैदा हो गई है कि सिद्धांत सामने रखा गया है कि असरकारी व्यक्ति इसका अध्यक्ष होना चाहिये। यह सिद्धांत कुछ लोगों ने प्रतिपादित किया है। यह पृथक् सवाल है और चुनाव से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसमें अध्यक्ष असरकारी व्यक्ति के होने के सम्बन्ध में क्या प्रथा होनी चाहिये, इस विषय में मैं विचार करके, क्योंकि मुझे नामजदगी करने का अधिकार है, इसलिये कल मैं नामजदगी करूंगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, सीलिंग का बिल अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें जितने दल विशेष हैं उन सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इन दलों की नीति में भी अन्तर है। इसलिये जो सेलेक्ट कमेटी बनी है उसमें हमारे विचारानुसार प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व रहना चाहिये। कल हमने इसलिये नाम पेश नहीं किये कि माननीय प्रतापसिंह जी ने रामनारायण जी त्रिपाठी का नाम पेश कर दिया था इसलिये हमने नाम पेश नहीं किये। इसलिये आप इसका खयाल रखें कि हमारे दल का भी इसमें प्रतिनिधित्व हो।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर कल प्रश्न उठाया गया होता तो माननीय उपाध्यक्ष उसका फैसला दे देते, लेकिन वह चीज कल नहीं हो पाई और आज के लिये रखी गई तो इतनी बातें करनी पड़ी। आइन्दा के लिये मैं समझता हूं कि जो महत्वपूर्ण दल हैं उनको प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न आपस में मिलकर ह्विप्स कर लिया करें और अगर समझौते के लिये लोग तैयार न होते हों तो चुनाव का रास्ता खुला है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अगर प्रवर समिति के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष अपने को उपयुक्त समझते हों तो किसी सदस्य से अपना नाम रखवा सकते हैं। इसमें कोई एतराज तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जी हां।

श्री अमरनाथ—श्रीमन्, महत्वपूर्ण दल कौन से हैं, इसको साफ कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—वह तो तादाद के हिसाब से महत्वपूर्ण समझे जायेंगे और प्रायोरिटी भी उसी तरह से रहेगी। अगर ४ व्यक्ति चुने जाने वाले हैं और ६ दल हैं तो यह नहीं हो सकता कि सब दल के तीन-तीन चौथाई सदस्य लिये जायं। एक ही एक व्यक्ति चार बड़े दलों में से लिया जायगा और अगर ६ लेने हैं तो सब दलों में से एक-एक व्यक्ति तसफिये से ले लिया जायगा।

श्री राजनारायण—एक बात और हो सकती है कि सरकार से मेल-जोल कर लें।

श्री अध्यक्ष—अब असरकारी कार्य प्रारम्भ होता है।

चीनी उद्योग मजदूरों की वेतन वृद्धि आदि सुविधाओं के संबंध में संकल्प

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन के सम्मुख निम्न प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं:—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य के चीनी उद्योग मजदूरों के हित में निम्नलिखित कार्यवाही अवलिम्ब सरकार की ओर से की जाय—

(१) चीनी उद्योग में सर्वाधिक प्रतिनिधि मूलक महासंघ को ही मान्यता देने के लिये राज्य की चीनी मिलों में मतगणना करायी जाय।

(२) राज्य की चीनी मिल मजदूरों के वेतन में तुरन्त २५ फीसदी वृद्धि की जाय।

(३) चीनी उद्योग के मजदूरों को बोनस १९५१ के लेबर अपीलेट ट्रिब्युनल के फैसले के अनुसार दिलाया जावे।

(४) चीनी उद्योग के मजदूरों को बिहार की भांति रिटेनिंग एलाउन्स दिलाया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन करने के पहले मैं इस सदन को आपके द्वारा मजदूरों की जो उपेक्षा इस सरकार के जमाने में होती रही है उसकी तरफ दो शब्दों में आकृष्ट करूंगा। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि श्रम मंत्री हमारे मुख्य मंत्री जी हैं। जब वह मुख्य मंत्री नहीं थे तब भी श्रम मंत्री का पद उनके पास था। इसलिये कहा जा सकता है कि जब से कांग्रेस सरकार है, यहां की श्रम नीति पर मुख्य मंत्री जी का एक प्रकार से परपीचूअल असर रहा है।

(इस समय १ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती पीठासीन हुईं।)

इसमें जो खामियां और खूबियां रही हैं इनमें उनका प्रतिबिम्ब बहुत हद तक है। बड़ी खुशी की बात है मेरा यह प्रस्ताव उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व और श्रममंत्रित्व काल में पेश हो रहा है। १९३८ से ही मजदूरों के प्रति जो उपेक्षा की नीति कांग्रेस सरकार की रही है और उसके प्रति मजदूरों की आत्मा में जो एक प्रकार से क्षोभ है आज इस प्रस्ताव में वह प्रतिबिम्बित है। इस प्रस्ताव के चार खंड हैं। इन चारों खंडों की बाबत अलग-अलग मैं विचार प्रगट करूंगा। पहला है चीनी उद्योग में सर्वाधिक प्रतिनिधि मूलक महासंघ को मान्यता देने के लिये राज्य की चीनी मिलों में मतगणना करायी जाय। इस खंड में जो मतगणना कराने का अनुरोध किया गया है, सरकार से इससे पहले कई बार किया जा चुका है उसका भी लम्बा इतिहास है। यह इतिहास १९४८ से शुरू होता है। १९४८ में खड्डा में चीनी मिल मजदूरों के एक संघ की नीव जब से माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने अपने कर कमलों से डाली, तब से इस प्रश्न का प्रारम्भ हुआ कि चीनी मिल मजदूरों में कौन सा महासंघ सर्वाधिक प्रतिनिधि मूलक है। इसके पहले यूनाइटेड यू० पी० एंड बिहार चीनी मिल मजदूर फेडरेशन नाम की संस्था एक अर्से से चीनी मिल मजदूरों के सम्बन्ध में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी और वह मजदूरों की हित-रक्षा करती थी। जहां तक लेबर लेजिस्लेशन का ताल्लुक है, जहां तक मजदूरों के लिये प्रगतिशील मेजर्स बनाने का सवाल है जब तक दूसरी फेडरेशन नही बनी थी इस प्रकार का विवाद नहीं पैदा किया गया और सरकार के तब तक के लेजिस्लेशन दुनियां के अन्य कई देशों की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील रहे हैं। लेकिन १९४८ में जब खड्डा में एक सम्मेलन द्वारा इंडियन नेशनल शुगर मिल वर्क्स फेडरेशन की स्थापना की गयी और जब कांग्रेस के द्वारा जब आई० एन० टी० यू० सी० आल इंडिया मजदूर जमात के रूप में सर्वाधिक प्रतिनिधि मूलक कही गयी तो उसके द्वारा यह समस्या मजदूरों के सामने पैदा हो गयी। उससे पहले मजदूर एक था, जहां कहीं भी उसे खड़े होने की आवश्यकता होती थी वह एक होकर खड़ा होता था लेकिन

जब से दूसरा फेडरेशन पैदा हुआ सन् ४८ में उस वक्त से दो कैम्प में मजदूरों को बांट दिया गया। हम अंग्रेजों के मत्थे एक आरोप लगाते हैं कि डिवाइड ऐंड रूल उनकी गाइडिंग पालिसी थी और उसी के सहारे उन्होंने करीब डेढ़-दो सौ वर्ष तक हमारे ऊपर हुकूमत की। उन्हीं की उत्तराधिकारी जो यह सरकार है उसके मंत्री और कारिन्दे जो लेबर अधिकारी के रूप में बिठाये गए हैं, उन्होंने इसी नीति का अनुसरण किया और माननीय मुख्य मंत्री जो तत्कालीन श्रममंत्री थे उन्हीं के हाथों से इस दूसरे फेडरेशन का सूत्रपात हुआ और वहीं से सारी गड़बड़ी शुरू हुई। अधिष्ठात्री महोदया, अब मैं आपके द्वारा इस प्रश्न की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब यह विवाद खड़ा हुआ तो उसके बाद किस शक्ल में यह जनता, सरकार और मजदूरों के सामने आया। कल का पैदा हुआ फेडरेशन जो था उसके लिये यह दावा किया गया (सरकार के पृष्ठ-पोषण पर) कि वही सर्वाधिक प्रतिनिधि मूलक महासंघ चीनी मजदूरों का है और उसी को सरकार रिकग्नाइज करे। सरकार ने पक्षपातपूर्ण ढंग से उसकी मदद करना शुरू किया। इस पक्षपात के विरुद्ध अनशन वगैरह हुए तब विवश होकर सरकार ने मतगणना कराने का फैसला किया। उस वक्त उनको मिल मालिकों की तरफ से सम्भवतः यह सूचना दी गई कि मतगणना होने पर उनकी जीत हो जायगी। यह बड़ी खुशी की बात है कि यह फैसला चाहे सरकार ने गलत ढंग से ही किया हो, चाहे गलत सूचनाओं के आधार पर किया हो, मतगणना का फैसला जो है उसने सबकी आंखें खोल दीं।

१५ मार्च, सन् ५० को जो मतगणना हुई उसका क्षेत्रवार रिजल्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरठ रेंज में कुल वोटरों की संख्या १७, ६४० थी जिसमें से १४,२४७ वोटरों ने चुनाव में भाग लिया। ३,३७४ वोट इंडियन नेशनल शुगर मिल वर्कर्स फेडरेशन को मिले और १०,८७३ वोट यूनाइटेड यू० पी० ऐंड बिहार चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को मिले। बरेली रीजन में कुल वोटर संख्या थी १९,६९४ जिनमें से १५,३५१ ने भाग लिया। ५,९५३ ने इंडियन नेशनल शुगर मिल वर्कर्स फेडरेशन को वोट दिया और ९,३९८ ने यूनाइटेड यू० पी० ऐंड बिहार चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को वोट दिया। गोरखपुर में कुल संख्या ३२,८८७ थी जिनमें से २,९०,४८४ ने मतगणना में भाग लिया। इंडियन नेशनल शुगर मिल वर्कर्स फेडरेशन को ८,५१३ वोट मिले और यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को २०,९६९ वोट मिले। इसी तरह लखनऊ में १२,७७८ कुल मत देने वाले थे जिनमें से ९,०६० ने मतगणना में भाग लिया। २१,६०९ मजदूरों ने इंडियन नेशनल शुगर मिल वर्कर्स फेडरेशन को वोट दिया और ६,४५१ ने यूनाइटेड यू० पी० ऐंड बिहार चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को वोट दिया। इस प्रकार कुल टोटल इनका है ८२,९९९ कुल वोटर, ६८,१४२ ने मतदान में भाग लिया, २०,४४९ में इन्डियन नेशनल शुगर मिल वर्कर्स फेडरेशन को वोट दिया और ४७,६९१ मजदूरों ने यूनाइटेड यू० पी० ऐंड बिहार चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को वोट दिया। ६ मिलें उस वक्त तक बन्द हो चुकी थीं। उनके नाम हैं मोवाना शुगर वर्कस, मोवाना, मेरठ। मोदी शुगर मिल लिमिटेड, मोदी नगर, मेरठ। जसवन्त शुगर मिल लिमिटेड, मेरठ। लक्ष्मी शुगर मिल ऐंड आयल मिल्स लिमिटेड हरदोई। ऐरा शुगर फैक्ट्री, ऐरा एस्टेट, लखीमपुर खीरी और कैर्यू ऐण्ड कम्पनी, लिमिटेड, रोसा, शाहजहांपुर। पता नहीं इतनी मिलों के बन्द हो जाने के बाद भी जो मतगणना कराने पर जोर दिया गया था, सरकार की तरफ से बावजूद इसके उसका विरोध किया गया था सम्बन्धित पार्टी यूनाइटेड फेडरेशन की तरफ से, लेकिन उनको शायद यह आशा थी कि उसी वक्त चुनाव कराने से इंडियन नेशनल शुगर मिल वर्कस फेडरेशन को ही ज्यादा मत मिल जायेंगे, इसलिये उन्होंने उसी समय चुनाव कराने का फैसला किया। लेकिन उसमें मजदूरों ने जो अपनी सालिडैरिटी यूनाइटेड यू० पी० ऐंड बिहार चीनी मिल मजदूर फेडरेशन की तरफ दिखाई उससे स्पष्ट हो गया कि जो पूरी की पूरी तादाद थी उसमें से अधिकतर सब इसी फेडरेशन के साथ थे और सरकार के लिए लाजिमी था कि वह इसको मान्यता प्रदान करती। उस वक्त गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन हुए उनमें उन्होंने यह कहा कि सर्वाधिक प्रतिनिधिमूलक यही महा संघ है और हम इसको इस परपजेज के लिए रिकग्नाइज करेंगे।

[श्री मदन पांडेय]

लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से बन्दर बांट का किस्सा है उसी प्रकार हुआ। एक बन्दर को, जो दो बिल्ली आपस में रोटी की बांट के लिये लड़ रहीं थी उन्होंने पंच मान लिया। पंच मान लेने के बाद जिधर रोटी तोल में ज्यादा हो वह खा जाय। इसी प्रकार सरकार के पास, पता नहीं किसी एक आदमी ने लिखकर कुछ दे दिया। यह उनकी राय थी कि कौन उस फेडरेशन के प्रतिनिध हैं। लेकिन इस बहाने पर कि एक व्यक्ति ने लिख कर दे दिया तो उन्होंने यह कह दिया कि इस फेडरेशन को मान्यता नहीं देंगे।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—उसका नाम तो बतलाइये।

श्री मदन पांडेय—आप भी तो कुछ कहियेगा। हम ही सब कुछ बतलायेंगे तो फिर आप क्या कहियेगा। इसलिये वहां पर इस सरकार ने वही किया जो कि ब्रिटिश जमाने में डिवाइड ऐण्ड रूल करने की पालिसी थी। तो सारे फेडरेशन को मान्यता इस बहाने पर नहीं दी गई कि किसी व्यक्ति ने कुछ लिख कर दे दिया है। आप गौर करें कि जो २९ परसेन्ट जिसके प्रतिनिधि हों उसको तरजीह दी गयी बमुकाबले ७१ परसेंट का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के। सन् १९५० में यूनाइटेड फेडरेशन जो एक संगठित मजदूरों की प्रतिनिधि संस्था थी और जिसके पक्ष में मत प्रदान करके मजदूरों ने अपनी सोलिडिरिटी को दिखाया था उन सारी चीजों पर पानी फेर दिया गया और सारे न्याय तर्क कर दिया गया। आज उसका नतीजा यह कि ५० से ५९ तक ९ सालों में मजदूरों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

इसी प्रकार से जो मजदूरों के प्रतिनिधियों को मान्यता देने का सवाल है उसके सम्बन्ध में बता चुका और जो पीछे बीत चुका उस पर प्रकाश डाला। हो सकता है माननीय मंत्री जी को, हो सकता है सरकार को और हो सकता है और लोगों को यह भ्रम हो कि ५० की मत गणना के बाद जो ९ वर्ष का समय बीता है इस ९वर्ष में फिर से शायद आई० एन० टी० यू० सी० फेडरेशन को अधिक मत मिलने की संम्भावना हो गई हो और या यह हो सकता है कि ज्यादा भलाई करके मजदूरों के दिल को जीत लिया हो। हमें इस शक को दूर कराने में भी कोई एतराज नहीं है। जिस प्रकार से पहिले मतगणना का प्रस्ताव रजिनेबिल था उसी प्रकार से इसको फिर से प्रयोग कर देख लिया जाय। सरकार के सामने गत ९ वर्षों में बहुत सी योजनायें रखी गईं। हम समझते हैं कि जो ९ वर्ष का समय बीत चुका है उसमें मजदूरों के साथ बहुत ज्यादती हो चुकी है। जिस प्रकार से सन् १९५० में मत गणना कराई गई थी उसी प्रकार से अब कराई जाय। यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आप उनके कौन हैं?

श्री मदन पांडेय—मुझे भी मजदूरों के प्रतिनिधि की हैसियत से बोलने का हक है। फेडरेशन की कार्य-समिति का मैं भी एक मेम्बर हूं। उसकी हैसियत से मैं कहता हूं कि यदि सरकार की तरफ से बहुगुणा जी यह स्वीकार करते हों कि जो प्रतिनिधि मूलक महासंघ है उसको रिकग्नाइज करने के लिये फिर से सरकार शीघ्र मतगणना कराने के लिये तैयार हो तो तब तक के लिये हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे साधारण कार्य में कोई कठिनाई हो। जब तक मतगणना न हो तब तक बोनस आदि महत्वपूर्ण कार्य में आई० एन० टी० यू० सी० का भाग लेकर पोस्टपोन करने के लिये आप भी तैयार हो। अगर यह घोषणा सरकार की ओर से हो तो हम भी तैयार हैं। अगर इसको आई० एन० टी० यू० सी० पूरा नहीं करती तो फिर सरकार के सामने यह मसला आयेगा ही और हम उसी को मानने के लिये कहेंगे। हमारे सामने जो मतगणना का सवाल है उसके बारे में जो पीछे हो चुका वह हुआ लेकिन उस मतगणना के फलस्वरूप मजदूरों की जो आशा थी, उस पर जिस प्रकार से पानी फिर गया उसका आपको अन्दाजा नहीं है। इसलिये इस प्रस्ताव के दूसरे खंड के जरिये से हम सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि किस प्रकार एक गलत आर्गेनाइजेशन को मान्यता देने से मजदूरों का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

अब मैं दूसरे खंड पर आता हूं कि राज्य के चीनी मिल मजदूरों के वेतन में तुरन्त २५ फीसदी की वृद्धि की जाय। २५ फीसदी की जहां तक वृद्धि का सवाल है यह ऐसी मांग है जिसके लिये रीजनेबिल एटीट्यूड रखने वाली सरकार के दिल में यदि मजदूरों के लिये स्थान होता तो मैं समझता हूं कि उसको स्वीकार करने में कोई भी एतराज न होता और वह इसको फौरन स्वीकार कर लेते। मैं सरकारी आंकड़ों को रखना चाहता हूं। शायद आप भी माननीय बहुगुणा जी सरकार को राजी कर सकें हमारी बातों को सुन कर और मजदूरों की तकलीफ की तरफ ध्यान दें। मैं सबसे प्रथम निवेदन यह करना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने आंकड़े बतलाये हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में १८ प्रतिशत् की वृद्धि आमदनी में हमारे प्रदेश और देश की हुई है और प्रथम पंचवर्षीय योजना को समाप्त हुये तीन साल हो चुके हैं। यह तीसरा वर्ष है। परसों के अखबार में इस्तफा जी ने और बहुगुणा जी ने पढ़ा होगा कि ६ प्रतिशत् आमदनी में वृद्धि होने का अनुमान, इसका डेफिनिट एश्योरेंस प्लानिंग कमीशन की तरफ से दिया गया है। मैं अधिक दूर नहीं जाता। जो ६ प्रतिशत् की वृद्धि बतलाई जाती है उस हिसाब से तीन साल में १८ प्रतिशत की आमदनी में वृद्धि हुई और १८ प्रतिशत की वृद्धि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई। तो कुल मिलकर ३६ प्रतिशत की वृद्धि आमदनी में होनी चाहिये। हमारी मांग २५ प्रतिशत की है और यह रीजनेबिल मांग से भी कम है। यह मांग कम क्यों रखी गई है इस ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि मजदूरों को पूरी मजदूरी मिले और इसके लिये बड़ी-बड़ी अथारिटीज ने हमको हक भी दे रखा है। उनके आधार पर हमको यह हक हासिल है। लेकिन हम २५ प्रतिशत की मांग इस लिये कर रहे हैं कि सरकार की ओर से वेज बोर्ड का एक ढांचा खड़ा किया गया है। उसमें भी वही प्रतिनिधि हैं जिनको कि चीनी मिल मजदूरों ने वोट देकर कहा था कि तुम हमारे प्रतिनिधि नहीं हो। काशी नाथ पांडेय जी, जो प्रेसीडेंट हैं उसी फेडरेशन के, आज भी वेजबोर्ड के सदस्य हैं और इसलिये मजदूरों का सही प्रतिनिधित्व उसमें होता है इसमें आज भी मुझे संदेह है। लेकिन एक वेज बोर्ड जो बैठा है उसको उसके फैसला करने से पहले हमको ललकारना नहीं चाहिये, इसलिये हम यह मांग लाये हैं कि जब तक फैसला न हो तब तक के लिये २५ प्रतिशत की वृद्धि वेतन में की जाय और फैसले के बाद हम इसे ऐजस्ट कर लेंगे। यह मिनिमम मांग है और बहुत ही वाजिब है और इसका औचित्य सरकार के आंकड़ों द्वारा भी सिद्ध किया जा चुका है।

यूनाइटेड फेडरेशन की तरफ से जब यह मांग की गयी थी तो चीनी मिल मजदूरों के वेतन में ५ प्रतिशत की वृद्धि करना सरकार ने स्वीकार कर लिया। ५५ रुपये की जो तनख्वाह सन् ४९ से चली आ रही है यह सही है कि नाकाफी है। लेकिन पता नहीं हमारी सरकार किस स्टैंडर्ड से सोचती है। वह लेजिस्लेटर्स की तनख्वाह तो २०० से २५० करने की बात करती है, उनको फ्री पास दिलाने की बात सोचती है, लेकिन मजदूरों को कुल ५ रुपया ही देना चाहती है। मिनिस्टरों की सुविधाओं में वह वृद्धि कर सकती है लेकिन मजदूरों की तनख्वाह ५५ से ५८ होगी यह सरकार की बुद्धि की बलिहारी है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान निंबकर इंक्वायरी कमेटी की ओर ले जाना चाहता हूं। उसकी स्थापना श्री आर० आर० भौखले की अध्यक्षता में हुई थी। सन् ४६ से ४८ तक उस कमेटी ने जिस तरह से मिल-मिल और फैक्ट्री-फैक्ट्री जा कर जांच की, मजदूरों की तकलीफों की जानकारी की और बड़े-बड़े विशेषज्ञों के आंकड़े इकट्ठा करके उनकी जरूरतों को देखा, उनके बारे में रिपोर्ट दी, उस के सम्बन्ध में अधिक न कह कर मैं उसके कुछ हिस्सों की तरफ माननीय बहुगुणा जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं। जिस समय मैं उस ओर ध्यान दिलाऊं उस के पहले मैं, निंबकर साहब ने अपनी रिपोर्ट कंक्लूड करते समय जो कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, उनको मैं पहले पढ़ देना चाहता हूं ताकि कंटेंट्स के बारे में विचार करते समय मेरी बातें सुन कर सरकार का हृदय कुछ पसीजे। एफिश्यैंसी आफ लेबर शीर्षक से जो अन्त में निम्बकर साहब ने इस सरकार से और जो मजदूर वर्ग के हितैषी लोग हैं उनसे एक अपील की है, उन्होंने कहा है कि,

"In conclusion we point out that all our recommendations will come to naught unless they are implemented in the right spirit by all the parties concerned."

[श्री मदन पांडेय]

उन्होंने मिल मजदूर और मालिक से कहा है--

"We have no doubt that such spirit will be forthcoming. India to-day is facing a crisis on all fronts. In such a crisis social justice is sound economy. It means a great impetus in production and simultaneously an equitable distribution of wealth. In regard to the latter, we believe that our recommendations will be of material assistance. Therefore, the duty of labour is to be efficient in national interest as well as in its own. An independent India can ill-afford to tolerate inefficiency. We cannot have A1 production with C3 labour. We are, therefore, constrained to say that inefficient labour has no place in the productive system. It is no doubt difficult to define efficiency on an *a priori* basis and the matter had better be left to the Works Committees. After the reference, however, if a worker be found to be inefficient, i.e. below the average over a considerable period, then the management will have right of dismissal on the expiry of three notices spread over three months or three wage periods, whichever is longer. With this safeguard we feel sure that neither the employer nor the employee should have any cause of complaint."

यह जो मार्मिक अपील निम्बकर साहब की है जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाकर इस सरकार ने तमाम पैसा खर्च किया और उससे एक वैलुएबिल रिपोर्ट तैयार हुई है उस पर सरकार ध्यान दे। उनके इन शब्दों को अगर माननीय उप-मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी गौर करें। यह सरकार मजदूरों के हित में एक ऐसा कदम उठा सकती है जो मजदूर इतिहास में अमर होगा।

वेजेज़ के सम्बन्ध में मैं निम्बकर साहब की रिपोर्ट से ही उद्धृत आंकड़े रखूंगा। उन्होंने ६६ फैक्टरियों में से ३३ फैक्टरियों में, प्रत्येक में जाकर जितना आंकड़ा उनको मिला वह इकट्ठा किया और उन्होंने मजदूर की आवश्यकता आंकी। जो उस समय का प्राइस इंडेक्स था उसके आधार पर उन्होंने सजेस्ट किया है कि अनस्किल्ड लेबर के लिये बेसिक पे ३० रुपया सरकार मुकर्रर करे। बेसिक पे के सम्बन्ध में लिखा है कि बेसिक पे से हमारा मंशा कम से कम एक परिवार मजदूर का जिसमें एक स्त्री, एक पुरुष, एक बच्चा और एक उसका डिपेंडेंट हो, इस तरह से ४-५ आदमियों के भरणपोषण की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं उससे है। उन्होंने कहा है कि अगर इसमें गलती हमने की है तो लोअर साइड में की है, अपर साइड में नहीं की है।

(लाल बत्ती होने पर)

क्या कुछ समय मुकर्रर है?

श्री अधिष्ठाता--२५ मिनट मुकर्रर है।

श्री मदन पांडेय--मेरा कितना समय बाकी है?

श्री अधिष्ठाता--२ मिनट और रह गये हैं।

श्री मदन पांडेय--५-७ मिनट और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--औरों को भी बोलना है।

श्री मदन पांडेय--दो ही हिस्से अब तक हुए हैं, इसलिये समय चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--नियम के अनुसार ही अध्यक्ष महोदय समय निर्धारित करके गये हैं।

श्री मदन पांडेय--लेकिन डिस्क्रिशन होता है अधिष्ठात्री महोदया का।

तो उन्होंने अन-स्किल्ड लेबर के लिये ३० रुपया, सेमी-स्किल्ड के लिये ४० रुपया, स्किल्ड के लिये ५० रुपया, हाईली स्किल्ड के लिये ७५ रुपया, इस तरह से उन्होंने मजदूर की बेसिक पे मुकर्रर करने की सिफारिश की और उसके बाद उन्होंने ढाई आना फी आंकड़ा, जो प्राइस इंडेक्स कानपुर में सरकार की तरफ से रेकार्ड होता है उसके हिसाब से वृद्धि मानी थी। आज के हिसाब से ३० रुपया और बेसिक पे मान ली जाय तो मजदूर की जो दुर्व्यवस्था है वह ठीक हो जाय। मुझे ठीक तो आंकड़े नहीं मालूम हैं, लेकिन इस समय ४६० के करीब प्राइस इंडेक्स है उसके हिसाब से ८६ रुपये ४ आने आज मजदूर की पे आयेगी। ये सब सुझाव वेज बोर्ड के सामने रखे गये हैं और मेरा खयाल है कि इनके ऊपर कंसीडरेशन भी कर लिया गया होगा। तो मैं समझता हूं कि निम्बकर साहब ने जो सिफारिश की है उसी हिसाब से बेसिक पे और ढाई आने फी प्वाइंट के हिसाब से प्राइस इंडेक्स उनको डियरनेस मिलना चाहिये। तो इस रिकमेंडेशन को जो और इंडस्ट्रीज में भी जैसा कपड़ा इंडस्ट्रीज इत्यादि ने नाम किया है उनको इम्पलीमेंट करके सरकार मजदूरों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको दूर करने की कोशिश करे।

अब बोनस का मसला है, यह भी जरूरी है। बोनस का मसला बहुत लम्बे अर्से से मिल मालिकों और मजदूरों के बीच चला आता है। यह इश्यू इस तरह का है कि जिसको लेकर कभी-कभी मुकदमेबाजी की भी नौबत आई। लेबर अपीलेंट ट्रिबुनल के सामने मिल मालिकों के इसरार पर मुकदमा भेजा गया। वहां पर फैसला हुआ कि प्रोडक्शन बेसिस पर बोनस दिया जाय। बड़े-बड़े मिल मालिक मुनाफा कम दिखाते हैं और उनकी बैलेन्स शीट विश्वसनीय नहीं होती है, ऐसा बारम्बार कहा जा चुका है और साबित भी हो चुका है। तो लेबर अपीलेट ट्रिबुनल के जज महोदय ने १९५१ में फैसला दिया कि १ लाख से २ लाख मन के प्रोडक्शन पर २ आने फी मन के हिसाब से, २ लाख से साढ़े ३ लाख मन तक ४ आने फी मन और ३ लाख से ५ लाख मन तक ६ आने फी मन के हिसाब से और ५ लाख मन से ऊपर की पैदावार पर ८ आने फी मन के हिसाब से बोनस दिया जाय। २९ फी सदी का प्रतिनिधित्व करने वाली फेडरेशन को मान्यता देने का नतीजा यह निकला कि १९५४-५५ और १९५५-५६ में मजदूरों की तरफ से विवाद उठा और सरकार ने मिल मालिकों और उसी फेडरेशन के नेताओं को मिलाकर एक समझौता कराया और उससे आज मजदूरों को इस प्रोडक्शन के आधार पर जो मिलना चाहिये था बोनस वह १०० में ६० ही मिल रहा है। इस सम्बन्ध में कितनी बड़ी रकम इन्वाल्व्ड है वह आपके सामने आंकड़ों से साफ हो जायगी।

सन् १९५६-५७- में जो समझौते से रकम मिली वह ७१,६८,०१० रु० है। लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के हिसाब से १,१९,४६,६८४ रुपये मिलन चाहिये थे। तो एक करोड़ से ऊपर बजट की रकम काट कर ५५-५६ में ६९,४५,९०० रुपये मिलने थे। तो मैं निवेदन करूंगा कि मजदूरों के हिस्से की रकम मिल मालिकों के पास सरकार ने रख छोड़ी है क्योंकि उसका कुछ भाग सरकारी पार्टी को भी चुनाव में मिल जाता है और दूसरी पार्टी I. N. T. U. C. को भी कुछ भाग सम्भवतः मिल जाता है और इसमें आई० एन० टी० यू० सी० को भी शामिल कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से मजदूरों का गल्ला काटना बन्द किया जाय और प्रोडक्शन के आधार पर उसको बोनस दिलवाया जाय। तो जिस फेडरेशन को २९ फीसदी मतदान मिला है उसकी मार्फत मजदूरों का गला काटा गया है। सन् ५४-५५ में मजदूरों ने बोनस तथा रिटेनर का विवाद दाखिल किया था। इसके पहले बिहार के मजदूरों ने अपना विवाद उसी सम्बन्ध में दाखिल किया था। हाईकोर्ट में वह जीते, सुप्रीमकोर्ट में मिल मालिकों ने अपील की। वहां पर मुकदमा चलाया जा रहा था। इस मुकदमे से बिहार के मुकदमे का कोई सम्बन्ध नहीं था लेकिन I. N. T. U. C. फेडरेशन के नामधारी नेता हैं उन्होंने मिल मालिकों से मिलकर मुकदमा दाखिल किया। जब मजदूरों की तरफ से गवाहियां होने लगीं तो इसी कांग्रेसी सरकार के लेबर सेक्रेटरी ने जज को टेलीफोन किया कि प्राइवेट निगोशियेशन हो रहे हैं, फैसला रोक दिया जाय तथा इस तरह वह मुकदमा विदड्रा किया गया। उसका आज नतीजा यह है कि बिहार के मजदूरों को रिटेनर अलग से मिलता

[श्री मदन पांडेय]

है लेकिन यहां की सरकार मिल मालिकों के साथ इतनी रियायत करती है कि यहां पर रिटेनर नहीं मिलता है, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है।...

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद) --अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से श्री मदन पांडेय के संकल्प में यह संशोधन पेश करता हूं कि संकल्प की पंकित १ में शब्द "उद्योग" तथा शब्द "मजदूरों" के बीच में शब्द "यथा सम्भव अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करे और किसानों तथा" रख दिये जावें।

मेरा सौभाग्य है कि यदाकदा सदन में साल में एकाध बार मुझे बोलने का अवसर मिल जाता है और आज पंत जी की ७२वीं वर्षगांठ पर यह अवसर मिला है। आप भूली नहीं होंगी कि मजदूरों के लिये पंत जी ने क्या-क्या किया है। पहले मजदूरों की तनख्वाह ३०,३२ रुपये थी लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार ने सन् ३७ में शासनभार सम्भाला तो सन् ३९ में मिनिमम वेजेज ऐक्ट में तरमीम की गई और ३० से बढ़ा कर १५ रुपये कम से कम तनख्वाह मजदूरों की की गई। यह उस समय किया गया जबकि गेहूं का भाव १ रुपये का १६ सेर का था। मैं भगवान से कामना करता हूं पूज्य पंत जी स्वास्थ्य लाभ करें और चिरायु हो कर दुःखियों के सहारा हों। यही नहीं अभी इसी साल १९५९ ई० की बात है कि जिस समय श्रम विभाग का बजट पेश हुआ था तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो श्रम सम्बन्धी मामलों के और समाजवाद की व्यवस्था के महापंडित हैं, मजदूरों के वेतन को २-३ रुपये से ५ रुपये तक बढ़ा दिया। इसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है।

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का और फेडरेशन का जहां तक सवाल है, यह मजदूर संस्थाओं के प्रतिनिधित्व का सवाल है। मैं ४९ से लेकर ५१ तक फैजाबाद में केन कोआपरेटिव यूनियन का डायरेक्टर था और केन कौन्सिल का चेयरमैन था। जिला डेवलपमेंट बोर्ड कमेटी का भी जिला मेम्बर था। मुझे मजदूरों से मिलने का काफी अवसर मिला और फेडरेशन और अन्य यूनियन के बारे में जानकारी हासिल हुई। मुझे भूला नहीं है। जैसा मदन जी पांडेय कहते हैं, यह उनका विचार है। मोतीलाल चीनी मिल, मसौदा, फैजाबाद में कुछ लोग बिहार से आये और मजदूरों को बरगलाया कि तुमको बोनस, भत्ता और बैठकी मिलेगी, इसलिये तुम हड़ताल कर दो। हड़ताल हुई और गोलियां चलीं सारे के सारे मजदूर निकाले गये। अंग्रेजी जमाना था। बाहर से मजदूर मंगाये गये और फैजाबाद के मजदूर बेकार हो गये। इसका नतीजा यह हुआ कि जिनका खेत गया मिल बनाने में उनकी रोजी भी मिल से छूट गयी। जब गत वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री जी गये और फेडरेशन का वहां फैजाबाद में कोई जोर नहीं रह गया। मुख्य मंत्री जी का मजदूरों ने स्वागत किया और आज वे शान से अपना काम कर रहे हैं। मजदूरों ने अपने काम में कोई कोताही नहीं की है। चीनी मिलों के मजदूरों ने सन् ५६ में ९,०९,००० टन चीनी पैदा की थी, ५७ में १०,८०,००० टन और ५८ में ९,४२,००० टन चीनी पैदा की। इन आंकड़ों से साबित होता है कि मजदूर ने कितना परिश्रम किया, इसमें मिल मालिकों को कितना लाभ हुआ। २५ प्रतिशत तनख्वाह बढ़ाने की मांग, बोनस और बैठकी भत्ता मिलना अनुचित नहीं है।

यहां गन्ने का १ रुपये १२ आने मन भाव तय हुआ लेकिन वह अमल में नहीं आया। पहले १३ आने सेर चीनी थी और अब कन्ट्रोल में साढ़े १५ आने सेर है और बाजार में तो २० आने सेर तक है। मुख्य मंत्री जी ने बड़े परिश्रम से वेज बोर्ड द्वारा मजदूरों के ३ रुपये से ५ रुपये तक बढ़वाये और उसका नतीजा यह हुआ कि मिल मालिकों ने चीनी का भाव बढ़ा दिया। जैसे हम मजदूरों के लिये तनख्वाह इत्यादि की मांग करते हैं वैसे-वैसे मिल मालिक उपभोक्ता के ऊपर अपना भाव बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसका मिल-मालिकों के लाभ पर कोई असर नहीं पड़ता है। आज भी किसानों को अपना गन्ना १ रुपया ७ आने मन ही देना पड़ता है जबकि

चीनी का भाव १३ आने सेर से इतना बढ़ गया है। भारत सरकार को इसका कंट्रोल करना पड़ा। इसलिये सरकार को सूचना चाहिये कि मिलमालिक फायदा उठाते चले जाते हैं और मजदूरों को कुछ बढ़ोत्तरी इस मंहगाई के जमाने में नहीं देते हैं तो उसे चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये या नहीं। मेरा विचार है कि यदि हम ये मांगें २५ प्रतिशत इत्यादि की मनवा भी लेते हैं और मिनिमम वेजेज ऐक्ट में १०० रुपये वेतन कर ा देते हैं तो उसका असर चीनी मिल के मालिकों पर नहीं पड़ेगा बल्कि वे उसे उपभोक्ताओं पर डाल देंगे, ऐसी दशा में चाहे सहकारिता में चीनी मिल चले या राष्ट्रीयकरण हो एक उपाय रह जाता है। आज ५५ रुपये की तनख्वाह में, जबकि एक रुपये का १।। सेर और २ सेर ही गेहूं मिलता है, मजदूर और उनके बालबच्चे कैसे गुजर करते होंगे, उनके शिक्षा दीक्षा का क्या प्रबन्ध हो सकेगा इसे आप स्वयं सोच सकती हैं। दूसरी ओर आप देखें कि मिल मालिक कितना मुनाफा उठा रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा। चीनी मिल से हजारों मन शीरा निकलता है। वह जाता है जहां मद्य बनता है। ६ आने मन के करीब शीरा जाता है। मद्य की बोतल ६ रुपये की होती है जिसमें ६ पैसे का शीरा लगता है। मद्य के बाद स्प्रिट और फिर पेट्रोल और तारकोल बनता है जो सड़कों पर गिराया जाता है। इस प्रकार इस सबका फायदा मिलमालिक उठाते हैं। यही हाल अन्य मादक द्रव्यों के उत्पादकों का भी है कि गरीब मजदूर पेट भर अन्न भी हाड़ तोड़ श्रम करने के बाद भी नहीं पाता। ऐसी दशा में मजदूरों की जबतक मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है तब तक हमारी मजदूरों की समस्या हल नहीं हो सकती। कम से कम थोड़ा ही सही आदर्श स्थापित करने के लिये आप राष्ट्रीयकरण करें जिससे और मिल वाले भी उसको देखकर अपना भी कदम उठायें। उससे वे लोग समझ लेंगे कि और किस प्रकार से मजदूरों को फायदा पहुंचाया जाय।

अधिष्ठात्री महोदया, कल उच्चकोटि के समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने हमारे सामने समाजवाद की व्याख्या की। आज सौभाग्य से हमारे मुख्य मंत्री जी भी आचार्य नरेन्द्रदेव जी के बाद समाजवाद के बड़े भारी पंडित हैं, जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जयप्रकाश नारायण जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया कि पुरानी व्यवस्था क्या थी और अगर हम सच्चा समाजवाद लाना चाहते हैं तो हमें पुरानी व्यवस्था को लाना होगा। हमारा जो शूद्र वंश था जिसमें पासी, अहिर गड़रिया, कुर्मी, चमार, लुहार, बढ़ई, धोबी आदि थे, वे सब कर्म के ऊपर श्रम करने वाली जातियां थीं और उनमें जाति पांति तथा ऊंच नीच का कोई भेदभाव न था। वे श्रम करते थे और देश भक्त और राष्ट्र भक्त थे। लेकिन बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने अपने स्वार्थ के लिये धर्म, जाति, अर्थ और राष्ट्र के नाम पर अपने विशेषाधिकार प्राप्त किये। इसलिये जब तक इन विशेषाधिकारों का अन्त नहीं किया जाता है, स्वयंत्याग नहीं किया जाता है जब तक वे विषमतायें मिटायी नहीं जाती हैं तब तक सच्चा समाजवाद नहीं आ सकता है।

विश्वामित्र जी सबसे बड़े समाजवादी थे। उन्होंने यह व्यवस्था की थी कि प्रजा के सुख के लिये ही शासन चलेगा। "प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानांच हिते हितम्, नात्म प्रिय हितं राज्ञाः प्रजानां तु प्रियं हितम्।" इसका मतलब यह है कि प्रजा का हित ही राजा का हित है, उसका कोई अपना हित नहीं है, राजा की प्रिय कोई चीज नहीं है, प्रजा का प्रिय राजा का प्रिय है। इसलिये कांग्रेस सरकार ने बड़े-बड़े राज्यों को, जमींदारों को समाप्त कर दिया। जब जमींदारी एबोलीशन हुआ था तो १ जुलाई, १९५२ को अकबरपुर (फैजाबाद) में जो सरदार बरबन्ड देव भर पासी का बरिबन्डपुर गढ़ था जहां आज थाना व तहसील है, के किले में चौधरी चरणसिंह गये। जहां कि देश की स्वतंत्रता के लिये बड़े-बड़े लोग जूझे थे। वहां चौधरी साहब ने ३० हजार जनता के बीच कहा कि जमीन जोतने वाले की ही होगी। जो अपने हाथ से हल जोतेगा वही मालिक है। गांधी जी ने कहा और वेद में भी वही कहा गया है। "न सो अस्माकम् समिति गच्छेत, यो न कर्षति हलान क्षेत्रः" अर्थात् जो अपने हाथ से हल नहीं जोतता है उसका बहिष्कार किया गया है समितियों में से। इस प्रकार से हमारे भारतीय

[श्री नारायणदास पासी]

इतिहास में बताया गया है कि भारतीय संस्कृति में किस प्रकार का समाजवाद था। मैं प्रार्थना करता हूं कि किसान मजदूर जो समाज की रीढ़ है मिलों का राष्ट्रीयकरण करके उनका वाजिब हक दिलाया जाय।

†श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---प्रधिष्ठात्री महोदया, मेरे दो संशोधन हैं जिनको मैं प्रस्तुत करता हूं।

मेरा एक संशोधन यह है कि "संकल्प की पंक्ति दो के अन्त में शब्द 'ताकि अनावश्यक हड़ताल न हो, तथा उत्पादन बढ़े" जोड़ दिये जायं।

दूसरा संशोधन है कि संकल्प के खंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित वाक्य रख दिये जायं:

"हर एक कारखानों में योग्य और सच्चरित्र प्रचारक रक्खे जायं जो कि मिल के कर्मचारियों और मजदूरों में अनुशासन की प्रवृत्ति और कर्त्तव्य परायणता उत्पन्न करें।"

इस सिलसिले में मुझे यह अर्ज करना है कि इसमें कोई शुबहा नहीं है कि हमारी सरकार ने एक लेबर आफिसर भी मुकर्रर कर दिया कि वह मिलों में जाकर मजदूरों की मदद करे, उनको कंट्रोल करे और उनको ठीक बाते बतलावें, लेकिन मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की गयी। हड़तालें होनी नहीं बन्द हुई, वे बराबर होती रहती है। अपनी सरकार है, मजदूरों के वोट पर चुनी हुई सरकार है फिर भी हड़तालें होती हैं

एक सदस्य---तालाबन्दी भी होती है।

श्री सीताराम शुक्ल---आप फरमा रहे हैं कि तालाबन्दी भी होती है। हड़ताल का हो जाना उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक तालाबन्दी का होना है, इसलिये कि जब मिल मालिक देखते हैं कि हमारा घाटा होगा तो वह हजारों रुपये रोज का नुकसान करके मिल बन्द कर देते हैं। गवर्नमेन्ट की कोशिश है कि उत्पादन बढ़े और वह किसानों व मजदूरों की मदद करे, अगर उत्पादन न बढ़े तो मदद कहां से दी जा सकती है। उत्पादन बढ़े, तरक्की हो, खेती की तरक्की हो, कल कारखानों की तरक्की हो, इस प्रयोजन से सब को मदद दी जा सकती है, लेकिन यहां तो उत्पादन ही नहीं बढ़ता, हड़तालें होती हैं और काम में रुकावट पड़ती है। इसलिये मैंने इन संशोधनों को रखा कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाय और जहां तक मैं जानता हूं लेबर आफिसरों की जहां ट्रेनिंग होती है वहां तो उनको यह बतलाया जाता है कि वे मजदूरों के साथ पक्षपात करें, उनकी तरफदारी करें। मेरी गुजारिश है कि तरफदारी से हुकूमत नहीं चलती है। तरफदारी करके, या धोखाधड़ी करके कुछ वोट मिल सकते हैं, लेकिन शासन तो नहीं चल सकता है। अगर कोई बड़े से बड़ा आदमी भी गलती करे तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिये और छोटे से छोटा आदमी भी बेकसूर हो तो उसके साथ न्याय करना चाहिये। पक्षपात से शासन नहीं चला करता, वह तो न्याय से चलता है।

आखिर हड़तालें होती क्यों हैं? हमको उन मजदूरों से शिकायत नहीं है, हमें तो शिकायत है राजनीतिज्ञों से। मजदूर बेचारे तो फटे कपड़े पहनते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और मजदूरी करके खाते हैं। उनकी मजदूरी बढ़ायी जाय तो हम उसका सोलह आना समर्थन करते हैं। अब प्रश्न यह है कि बढ़ायी कैसे जाय, कहां से बढ़ायी जाय। चाहते हैं कि आराम से रहें लेकिन पैसा पास में न रहे तो दिल मसोस कर रह जाते हैं। वे बेचारे खाना, कपड़ा और रहने के लिये मकान की मांग करते हैं जो उनके पास नहीं है लेकिन वोट का खजाना उन किसानों और मजदूरों के पास है, यह ताकत उनके पास है। छोटे बड़े सभी इस बात को जानते हैं कि उस खजाने को पोलिटिशियन्स उनसे लेना चाहते हैं। इसके लिये कम्पटीशन इस बात में है कि कौन मजदूरों को अधिक मजदूरी दिलाता है। पहले सच्चरित्र बन कर, त्यागी और तपस्वी बन कर वोट मांगा जाता था, लेकिन अब तो त्यागी और तपस्वी बन कर वोट मांगने

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये टाइम लगाना पड़ेगा। घूस देकर वोट लेने में कोई समय की जरूरत नहीं, मजदूरी कम है, १ रुपया रोज है तो २ रुपया होनी चाहिये, ३ होनी चाहिये ४ होनी या ५ रुपया या १० रुपया होनी चाहिये, तुम बड़े दरिद्र हो, एक भारी कम्पीटीशन है कि ज्यादा गालियां पूंजीपति को कौन दे सकता है, कांग्रेसी देता है, सोशलिस्ट देता है, जनसंघी देता है, कम्युनिस्ट देता है या प्रजा सोशलिस्ट देता है और कम्पीटीशन इसमें है कि मिल मालिकों पर कौन ज्यादा टैक्स बढ़वाता है, उनको सरकार का देना है, उन पर बाकी है, उनके सामने दिक्कतें हैं। सरकार का फैसला हो गया कि गन्ने के ये दाम होंगे.....

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं कितने मिनट बोल चुका और अभी मेरा कितना समय बाकी है ?

श्री अधिष्ठाता---आप का जो समय कोरम में लगा है वह दे दिया जायगा।

श्री सीताराम शुक्ल---अभी बाकी कितने मिनट हैं ?

श्री अधिष्ठाता---अभी १० मिनट बाकी हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---१० मिनट बाकी हैं तो संक्षेप में ही अपनी बात खत्म करूंगा। दोस्त लोग कहते हैं कि मजदूर बड़ी तकलीफ में हैं, मजदूरों का शोषण हो रहा है और यह मिलमालिक मोटर में घूमते हैं, कोठियों में रहते हैं, मजा उड़ाते हैं। लिल्लाह मेरी प्रार्थना है कि :

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---कोरम कहां है ? कोरम नहीं है, ३७ आदमी हैं।

(घंटी बजाई गई और कोरम होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सीताराम शुक्ल---मैं कहता हूं कि मजदूरों को इस तरह से वोट के चक्कर में न डालो और परेशान न करो, अगर कोई बीमार हो और उससे कहा जाय कि तुम बीमार हो, कमजोर हो तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती है और वह और ज्यादा बीमार हो जायगा, लेकिन अगर कोई बीमार है और उससे कहा जाय कि दवा आ रही है, अच्छे हो जाओगे तो उससे उसको मदद मिलती है, मेहरबानी करके अगर उनको आराम न दे सकिये तो वोट के वास्ते कह कर परेशान न कीजिये। हजूरवाला, यह शोषण है या पोषण है। मजदूर देहात में कभी ८ आना पाकर रहता है, कभी १ रुपया पाता है और कभी बेकार भी रहता है। वह मिल में जाता है तो उसे २ रुपया मिलता है। तो यह शोषण है ? देहात में अगर कम पाता था और यहां ज्यादा मिला तब तो वह पोषण हुआ। कहा जाता है कि मजदूरी कम देते हैं और उनसे आमदनी ज्यादा लेते हैं। मैं कहता हूं जरा तौल कर बोलिये। आपके प्वाइंट आफ व्यू से देखा जाय तो सरकार भी शोषण करती है। तहसीलदार को ढाई सौ रुपया देती है और उससे दो तीन हजार वसूल कराती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक हजार देती है लेकिन कमाती बहुत ज्यादा है। लेकिन यह शोषण नहीं है। ऐसे ही मिल मालिक मजदूरों का पोषण करते हैं, शोषण नहीं। समझदार मजदूर चाहेगा कि ज्यादा काम करें ताकि मिल का फायदा बढ़े। बेवकूफ मजदूर चाहेगा कि कम काम करे।

समझदार मिल मालिक चाहेगा कि मजदूरी ज्यादा से ज्यादा दूं ताकि मजदूर प्रसन्न रहें। बेवकूफ मिल मालिक चाहेगा कि कम मजदूरी दूं। मेरा कहना है कि झगड़ा मिल मालिक और मिल मालिक में है और मजदूर मजदूर में है। मजदूर और मालिक में नहीं है, क्योंकि माल तैयार हुआ तो उनमें कम्पटीशन होता है कि वह सस्ता बेंचे और दूसरा चाहता है कि वह सस्ता बेंचे। किसी मिल-मालिक ने मजदूर को निकाला तो उसकी जगह दूसरा मजदूर

[श्री सीताराम शुक्ल]

पहुंच जाता है कि मैं काम करने के लिये तैयार हूं। तो कम्पटीशन तो गरीब गरीब में है, मिल मालिक और मिल-मालिक में है, लेकिन हमारे दोस्त लोग कहते हैं कि मिल-मालिक और मजदूर में संघर्ष है। यह सही है कि कहीं-कहीं मिल मालिक आर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। यह भी सही है कि कहीं-कहीं मजदूर भी एकराह हो जाते हैं और पूरी हड़ताल कर देते हैं, लेकिन वास्तव में कम्पटीशन मजदूर-मजदूर में और मिलमालिक-मिलमालिक में होता है।

एकतरफा बात से ठीक पता नहीं चलता। आप मिल मालिकों को जानते हैं कि वह क्या हैं? उनमें भी बहुत से हिस्सेदार हैं। विधवा औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। हर मिल-मालिक कर्ज लेते हैं बैंक से और उस पर सूद देते हैं। बैंक में भी बहुत से लोग हिस्सेदार होते हैं, वह भी सूद पाते हैं। जरा सा धोखा हुआ, देर हुई, तो सूद बढ़ता जाता है। रूस ने कर्ज दिया हिन्दुस्तान को और वह सूद लेता है उस से तो क्या वह शोषण करता है? अगर वह शोषण नहीं करता तो मेरी गुजारिश है कि यहां भी जो पैसे वाले हैं और पैसा लगाते हैं और उससे फायदा उठाते हैं तो वह शोषण नहीं करते बल्कि पोषण करते हैं। इस प्रकार का प्रचार करके झगड़ा पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। इसी सिलसिले में मेरी गुजारिश है और मुझे अपनी सरकार से भी अर्ज करना है कि यह कुछ नहीं है। आप कुछ न दें कम्पटीशन में, आप जीत नहीं सकते मजदूरी बढ़ाने में। कहां तक मजदूरी बढ़ाइयेगा, हमेशा मांग बढ़ती ही रहेगी। जमींदारी टूटी, शिकायत बन्द नहीं हुई, सीलिंग हुई फिर भी शिकायत बनी रहेगी तो कहीं आपको रुकना पड़ेगा, आप एक जगह पर रुकें, वोट मिले या न मिले इसकी परवाह न रहे। वोट तो आचरण के पीछे घूमता फिरता है। जो गुबार थे वह आखिर गिर पड़े, जो सितारे, थे वह चमकते रहे। इसलिये मजदूरों में सही प्रचार कीजिये। वह मजदूर जो स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ते थे, अपना पेट काट कर चंदा देते थे, आज सरकार का हुक्म नहीं मानते। एक आदमी उठ गया लम्बी चौड़ी बात कर दी, उन्होंने हड़ताल कर दी। इसका मुकाबला करने के लिये मजबूत प्रचार हो। पेड आदमी या नौकर वह प्रचार नहीं कर सकते जो एक सच्चा जनसेवी कर सकता है। आप उनको खाना दीजिये, किराया दीजिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या कोई माननीय सदस्य हाउस में बैठकर अखबार पढ़ सकते हैं? माननीय गोविंद सिंह बिष्ट जी अखबार पढ़ रहे हैं। आप कृपया अपनी व्यवस्था दें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---यह इसी से रिलेट करता है। कानून की बात है, प्रिन्सिपल लोग इसे समझ नहीं सकते जो रिटायर हो गये हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---अगर हमारा प्रचार विभाग ठीक रहेगा और संतों को बुलाकर, सच्चरित्रों को बुला कर भेजेंगे तो उससे आपको मदद मिलेगी। वे महात्मा लोग तनख्वाह पर नहीं मिलेंगे, बल्कि प्रार्थना और प्रतिष्ठा से मिलेंगे। जो उनका प्रचार होगा वह पेड आदमी नहीं कर सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी---महोदया, मैं चाहता हूं कि समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---समय तो नियम ९९ के अनुसार निर्धारित है। हर वक्ता को १५ मिनट और प्रस्तावक को २५ मिनट का समय है।

श्री राजनारायण---माननीया, माननीय अवस्थी जी का आशय यह है कि ३,४ प्रस्ताव हैं और २ दिन का समय है। इसलिये वह चाहते हैं कि इस प्रस्ताव के लिये कुछ समय निर्धारित कर दिया जाय ताकि और प्रस्ताव भी इन दिनों के अन्दर हो जायं। यही उनका मकसद है।

श्री अधिष्ठाता---जब क्लोजर आयेगा तब देखा जायगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं माननीय मदन पांडेय जी के प्रस्ताव में एक संशोधन करना चाहता हूं जो इस प्रकार है कि संकल्प में चौथे भाग को निम्न प्रकार रख दिया जाय :

"(४) चीनी उद्योग के मजदूरों को सीजन के बाद अपने वेतन का पच्चीस प्रतिशत रिटेनिंग एलाउन्स दिया जायगा।"

इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जो मूल प्रस्ताव था उसमें यह लिखा गया था कि बिहार में जिस भांति रिटेनिंग एलाउन्स दिया जाता है उसी भांति यहां भी दिया जाय। मैं समझता हूं बिहार में जो रिटेनिंग एलाउन्स दिया जाता है वह कम है, उससे अधिक यहां दिया जाना चाहिये। क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की शुगर इंडस्ट्री की काफी क्षमता है और वह बिहार की शुगर इंडस्ट्री से अधिक अपने श्रमिकों को वेतन दे सकती है और बिहार में भी वह मामला फाइनल नहीं है, वहां भी एक झगड़ा ही चल रहा है। शुगर फैक्ट्री वालों की तरफ से और कुछ मजदूरों से मामला थोड़े दिन के लिये तय हो गया था उसके मुताबिक वह देते आ रहे हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि वहां की सरकार और श्रमिक दोनों मिल मालिकों को राजी करने में सफल हो गये और श्रमिकों को सरकार से सहायता मिली और उससे रिटेनिंग एलाउन्स मिलने में जो मदद मिली वह अब तक मिलती जा रही है, यद्यपि वहां क मिल मालिकों न सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है और उसमें ऐसा लगता है कि मिल मालिक भी चाहते थे कि मुकदमे के दौरान में देना बन्द कर दें, लेकिन इंडस्ट्रियल पीस कायम रहे, उत्पादन को धक्का न लगे, मजदूरों में असंतोष की भावना पैदा न हो, लिहाजा मिल-मालिकों को अन्त में लाचार हो कर वह रिटेनिंग एलाउन्स देते रहना पड़ा।

मैं इस मामले को इसलिये निवेदन कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने यहां के मजदूरों को २५ प्रतिशत रिटेनिंग एलाउन्स दे दिया जाना चाहिये। अनेक कमेटियां हमारे प्रदेश में बैठी और इसमें भी कोई शक नहीं कि उन कमेटियों की सिफारिश पर सरकार ने उचित ध्यान नहीं दिया। अगर सरकार ने उचित ध्यान दिया होता तो आज शुगर इंडस्ट्री के कर्मचारियों की हालत दूसरी होती और मैं संक्षेप में उन कमेटियों का थोड़ा-थोड़ा हवाला देना चाहता हूं।

एक कमेटी १९३८ में खेतान कमेटी के नाम से बैठी और उसकी एक राय नहीं हो सकी। खेतान कमेटी की दो रिपोर्ट्स सरकार को मिलीं। एक में तो किसी रिटेनिंग एलाउन्स की चर्चा नहीं थी और खेतान साहब के सपोर्ट में जो रिपोर्ट आई उसमें रिटेनिंग एलाउन्स की चर्चा थी उसको सरकार ने नहीं माना। फिर एक कमेटी बिहार की सरकार ने बैठाई जिसकी इस सदन को प्रतिष्ठा करनी चाहिये। उसके सदर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद थे, जो आज राष्ट्रपति हैं। उस राजेन्द्र प्रसाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें सभी लोगों को जिसमें अनस्किल्ड लोग भी शामिल हैं १० प्रतिशत अपने वेतन का रिटेनिंग एलाउन्स दिये जाने के के लिये सिफारिश की थी। १९३९ में इस कमेटी की रिपोर्ट आई थी। फिर १९४४ में एक रेक कमेटी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बैठाई और इसने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी चर्चा की और इसके बाद १९४६ में भाटिया कमेटी यू० पी० सरकार ने बैठाई और उसने वेतन का ५० प्रतिशत स्किल्ड को, २५ प्रतिशत सेमी स्किल्ड को और १० प्रतिशत अनस्किल्ड को देने की सिफारिश की। फिर निम्बकर कमेटी बैठी और उसने यूनीफार्म तरीके पर २५ प्रतिशत सभी की रिटेनिंग एलाउन्स देने की सिफारिश की। निम्बकर कमेटी ने यह भी कहा कि कुछ लोग ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, जैसे सुपरवाइजरी स्टाफ नहीं बना सकता। शिफ्ट केमिस्ट, शिफ्टइंजीनियर, हेड पेनमेन, लेबोरेटरी इंचार्ज और लेबोरेटरी केमिस्ट ये लोग सुपरवाइजरी स्टाफ में हैं और अपनी ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। उन्होंने उनके लिये भी रिटेनिंग की व्यवस्था करने को कहा और यह भी कहा कि ये लोग अगर अपने अपने खाली वक्त में किसानों की मदद करें.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी--हाउस में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदासिंह--मैं यह कह रहा था कि रिटेनिंग एलाउन्स देना क्यों वाजिब है। अगर टेक्निकल स्टाफ को १२ महीने के लिये रख लिया जाय तो हम उनसे ऐसा काम ले सकते हैं जिससे किसानों को मदद मिल सके, जैसे ये स्वाइल एनालिसिस करें, बीज को देखें, गन्ने की बीमारी को देखें। अगर गन्ने की उपज बढ़ सके तो इससे शुगर इंडस्ट्री की बड़ी मदद हो सकती है और शुगर इंडस्ट्री के बढ़ने से राष्ट्रीय हित हो सकता है, उससे अधिक एक्साइज ड्यूटी मिल सकती है, इन्कम टैक्स में अधिक रुपया आ सकता है, शकर बाहर भेजी जा सकती है।

अब जो अनस्किल्ड लेबर है उसके साथ बड़ा अन्याय है। जो महीने सबसे अधिक काम करने के होते हैं, यानी जाड़े, उनमें तो शुगर इंडस्ट्री वाले उनको कुछ पैसे देकर बुला लेंगे और गरमी में कम काम होता है और बरसात में अपने घर बैठे रहते हैं तो बरसात और गरमी में उस अनस्किल्ड लेबर को छोड़ देंगे। अगर शुगर इंडस्ट्री का उसको भरोसा न रहे तो कोल माइन्स में या और कहीं वह काम कर सकता है जहां वह १२ महीने लगा रहे। इसके अलावा वैसे तो यह ग्रामीण उद्योग धंधा नहीं है लेकिन ६८-६९ फैक्टरियां सारे प्रदेश भर में हैं। तो अगर २५ प्रतिशत रिटेनिंग एलाउन्स हम देंगे तो उससे थोड़ी बहुत तो गांव की माली हालत में मदद मिलेगी ही। ६०-७० हजार मजदूर इसमें हैं। सब तो रिटेनिंग एलाउन्स पायेंगे नहीं, इसमें से कुछ जो परमानेन्ट हैं वे तो निकल ही जायेंगे। जो बाकी लोग रिटेनिंग एलाउन्स पायेंगे तो जो ग्रामीण ढांचा गड़बड़ हो रहा है उसमें कुछ पैसा चला जायगा। कोई बड़ी रकम नहीं जायगी, यह मैं भी समझता हूं। अब देखना यह है है कि शुगर इंडस्ट्री इसको दे सकती है या नहीं। मैं ६/७ साल के अथेन्टिक फीगर्स सदन के समक्ष रखना चाहता हूं :--

वर्ष	अन्य इडस्ट्रीज में लाभ	शुगर इंडस्ट्री में लाभ
१९४८	२५९.९	३८१.५
१९४९	१८१.५	२१६.४
१९५०	२४६.६	२६२.४
१९५१	३१०.५	४२०.८
१९५२	१९०.६	४०९.१
१९५३	२६१.२	४१९.८
१९५४	२९२.०	३१९.८
१९५५	३१९.६	३५४.४

यह मैंने कुछ वर्षों के फीगर्स आपके सामने रखे हैं। हिन्दुस्तान की सारी इंडस्ट्रीज से इसने सब से ज्यादा रुपया कमाया है। मैंने १९५४-५५ तक के फीगर्स दे दिये हैं अब १९५६-५७-५८ इनके सम्बन्ध में आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से अंदाजा लगा लें।

मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह नेशनल हैरेल्ड १० सितम्बर का है। यह कांग्रेस का आरगन है और कांग्रेस को बदनाम नहीं करेगा। मैं कानपुर के भाव बता रहा हूं कि किसी भी फैक्टरी का बोरी का भाव १२६ रुपये से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है और गोडाउन डिलीवरी है। श्रीमन्, ४४--४५ रुपये मन का हिसाब पड़ता

है। उस जमाने के भाव हैं जब गन्ने की कीमत ज्यादा मिलती थी, लेकिन अब तो सरकार ने तय कर लिया है कि गन्ने की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, चाहे असेम्बली प्रस्ताव पास कर दे। प्रजातंत्र के ऊपर आधारित यह सरकार प्रजातंत्र की प्रमुख संस्था विधान सभा के फैसले को नहीं मानेगी। गन्ने के दाम नहीं बढ़ेंगे चाहे २० लाख किसान मरें। उनको उनके भाग्य पर छोड़ दिया है। यदि उनमें ताकत होगी तो लेंगे, अन्यथा मिल मालिकों के सामने समर्पण करेंगे। मैं जानता हूं कि सरकार नहीं सुन सकती। देश की जनता सुनेगी, सरकार सीधा रास्ता नहीं पकड़ेगी और हमें सरकार से कोई आशा नहीं है। सरकार जो कुछ चाहे करे और दमन के लिये तैयार रहे, किन्तु हम भी दमन सहने के लिये तैयार हैं।

मजदूरों के मामले में गर्मी की कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मदन जी का प्रस्ताव बहुत उत्तम है। जब इस इंडस्ट्री में इतना मुनाफा है तो एक छोटा सा टुकड़ा मजदूरों को भी दे देने में मैं समझता हूं कि कोई बुराई की बात नहीं है। यू० पी० में सब से अधिक सीजन मजदूरों का है और मद्रास में इतना नहीं है। यह कोई भले ही कहे कि साउथ इंडिया में ऊंची रिकवरी आती है और सीजन लम्बा आता है। मैं कहता हूं कि यह गलत है, मैं तो आपसे कहता हूं हमारे पास शुगर मैनुअल है। मैं उसको कोट कर रहा हूं। कई ग्रुपों में फैक्टरियां बंटी हुई हैं। यू० पी० के पश्चिमी जिले ग्रुप ए में लिखे हुए हैं। इनका ड्युरेशन आफ सीजन १९५७-५८ में १४८ दिन है। ग्रुप बी में कुछ पूर्वी जिले की फैक्टरियां हैं। इन का ड्युरेशन आफ सीजन १४८.५ दिन दिया गया है। कुछ यू० पी० की और फैक्टरियां हैं जो बिहार की फैक्टरियों से मिली हुई हैं। उनको ग्रुप सी में रखा गया है। उनका ड्युरेशन आफ सीजन १३३ दिन है। मदरास और कुछ अन्य प्रदेशों में जायेंगे तो ग्रुप ई में १३५ दिन है। बम्बई में जरूर ज्यादा है। मैसूर का ज्यादा है। वह मैं मानता हूं। लेकिन रिकवरी का जहांतक ताल्लुक है वह भी यू० पी० से ज्यादा न मदरास में है, न पंजाब में, न बंगाल में और न आंध्र में। बम्बई में जरूर है। कुछ सूबों का जरूर है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की फैक्टरियां बिलकुल क्षमता रखती हैं। जो कुछ भी मदन जी ने प्रस्ताव रखा है कि उस प्रस्ताव के अनुसार जो पैसे निकलते हैं वह दे दें। कितना पैसा देना पड़ेगा? ६८ हजार कुल मजदूर हैं जिसमें रिटेनिंग एलाउंस सब को मिलने वाला नहीं है। सारी रकम अगर दे दी जाय, उसमें चीनी के दाम पर एक रुपये मन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।

३६ रुपये मन पर चीनी बेचने का तय है और २७ रुपये में १९५२-५३ में तय था। २७ रुपये मन में बेच कर एक रुपया सात आना किसान को देते थे। अगर उसकी जगह पर ४५ रुपये मन पर बेंच रहे हैं तो किस से लोहा लिये हुए हैं मिल वाले? मजदूर के लिये बहुगुणा जी का साफ्ट कार्नर है। वह मजदूर नेता रहे हैं। अगर एक रुपया चीनी में बढ़ जाता है तो कंज्यूमर पर बोझ नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अगर एक रुपया सेर हम चीनी दे सकें तो कंज्यूमर से हम माफी मांग लेंगे, लेकिन एक रुपया सेर चीनी बेंच कर हम किसानों को गन्ने की कीमत भी दो रुपये दे सकते हैं, मजदूर को रिटेनिंग एलाउंस भी दे सकते हैं। सरकार को सोच समझ कर कोई ऐसा फारमूला निकालना चाहिये जिससे करोड़ों रुपया जो शुगर इंडस्ट्रियालिस्ट्स के पास पानी की तरह बहा चला जा रहा है वह मजदूर के पास आये, किसान के पास आये। अगर सरकार शुगर इंडस्ट्री में मजदूरों और किसानों के साथ खिलवाड़ करेगी तो वह अपनी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करेगी, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री के आधार पर हमारा आर्थिक ढांचा खड़ा है जिससे इतने बड़े किसानों के और मजदूरों के समूह का संबंध है। टेक्सटाइल की डेटेरियोट करती हालत को देख कर यह कहा जा सकता है कि यह हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। मैं चाहता हूं कि इसको नैशनलाइज कर लिया जाय। शायद प्लानिंग कमीशन में भी इसकी चर्चा होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया बड़ी कृपा करके और मैं बहुगुणा जी से भी बात करने वाला हूं, लेकिन जब तक नैशनलाइज न हो जाय तब तक मजदूरों और किसानों के लिये विचार जरूर होना चाहिये जिससे इंडस्ट्री फले फूले।

श्री राजनारायण—श्री मदन पांडेय जी का जो संकल्प है उसमें मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"(५) गन्ना उत्पादकों को गन्ने का मूल्य दो रुपया प्रति मन से कम नहीं दिया जावे।"

माननीय मदन जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उससे पूर्ण सहमत हूं और माननीय गेंदासिंह जी ने जो माननीय मदन जी के संकल्प में अपना संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उनके संशोधन से भी सहमत हूं। इस प्रकार इस सदन में जो संकल्प आया है माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन को लेते हुए उस सबको मैं अपने संकल्प के रूप में मानने के लिये तैयार हूं और उसे अपने संकल्प के रूप में मानकर आखिर में इसको बढ़ाना आवश्यक समझता हूं कि गन्ना के जो उत्पादक हैं उनको दो रुपये प्रति मन से गन्ने की कीमत नहीं मिलनी चाहिये। मैंने यह देखा कि यदि यह संशोधन इसमें नहीं प्रस्तुत होता है तो जो प्रस्ताव है वह एकांगी रह जाता है। किसान जो मजदूरों के साथ जुटा हुआ है वह छूट जाता है और जो संकल्प प्रस्तुत करने का मकसद रहा होगा उस मकसद में किसान मजदूर जरूर रहे होंगे। इसलिये जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि उसको स्वीकार कर लेने में माननीय मदन जी पांडेय को कोई एतराज नहीं होगा।

अब देखा जाना चाहिये यह कि हमने जो यहां पर संशोधन प्रस्तुत किया उसका औचित्य है या नहीं। इसके लिये मैं आपके द्वारा इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अपने प्रदेश में चीनी का जो रोजगार चल रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में जायं। सारे प्रदेश में करीब ६८ चीनी की मिलें छिटकी हुई हैं, पश्चिम, पूरब और बीच के सभी जिले उसमें शामिल हैं। देखा जाना चाहिये कि ५१–५२ तक इस सरकार की ओर से गन्ना के किसानों की कीमत भी तय होती रही है और चीनी की कीमत भी तय होती रही है। किसी समय दो रुपये मन गन्ना, ३२ रुपये मन चीनी, किसी समय १ रुपये १२ आने मन गन्ना और ३० रुपये मन चीनी, किसी समय १ रुपया १० आने मन गन्ना और २८ रुपये मन चीनी, इस तरह से बराबर सन् ४७–४८ से देखा जाय तो ५१–५२ तक लगातार गन्ने और चीनी के मूल्यों का यह अनुपात रहा है। टैरिफ बोर्ड एक बैठाया गया था इस बात को जांचने के लिये कि गन्ने और चीनी के मूल्यों में क्या अनुपात होना चाहिये।

टैरिफ बोर्ड ने जितनी लागत लगती है १ मन गन्ना पैदा करने में उन तमाम लागतों को जोड़ करके इस बात को साफ किया था कि जितने आने मन गन्ना हो उतने ही रुपये मन चीनी की कीमत होनी चाहिये। यह भाव टैरिफ बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक सही पाया गया था। यह तथ्य और यह रहस्य प्रकट नहीं हो पाया। ५१–५२ के बाद एकाएक सरकार के दिमाग में पता नहीं किसका हित समा गया? मजदूरों का हित समा गया या किसानों का हित समा गया या समाज की आम जनता का हित समा गया कि उसने एकाएक गन्ने की कीमत पर तो रोक लगायी १ रुपया ४ आने मन के हिसाब से और चीनी को बिलकुल अनियन्त्रित कर दिया, चीनी को छूट दे दी और यह कह दिया कि चीनी पर अब कोई नियंत्रण नहीं लगेगा। मिल मालिक जिस तरीके से चाहे और जिस भाव से चाहे चीनी बेंचे? मैं जानकारी के लिये सदन के सम्मानित सदस्यों के सम्मुख और अच्छी तरह से अगर समय मिलेगा तो तमाम आंकड़ों को बाद में पढ़ दूंगा, मगर इतनी बात अवश्य बता देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से १ रुपया ४ आने मन गन्ने की कीमत एकदम से कर दी गई, १ रुपया १० आने और १ रुपये १२ आने की जगह पर। ५१–५२ तक गन्ना १ रुपया १२ आने मन रहा है। अब यह देखा जाना चाहिये कि १ रुपया १२ आना मन गन्ना और २८ रुपया मन चीनी ५१–५२ में थी। ५०–५१ में १ रुपया १२ आना मन गन्ना और २८ रुपये मन चीनी। ४९–५० में १ रुपया १२ आना मन गन्ना और २८ रुपये मन चीनी थी। ४८–४९ में १ रुपया १२ आना मन गन्ना और २८ रुपये मन चीनी की कीमत थी। ४७–४८ में केवल २ रुपये मन गन्ना था और चीनी की कीमत करीब ३४ रुपये मन थी। तो लगातार ४७–४८ से ५१–५२ तक

एक भाव में तारतम्य था। उसका एक अनुपात था और वह अनुपात टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक होता है। अब ५२–५३ में भाव घट गया और १ रुपया १२ आना की जगह १ रुपया ४ आना गन्ने का दाम कर दिया गया।

गन्ने पर १ रुपया ४ आना कीमत निश्चित करके और चीनी की कीमत को बिलकुल छूट प्रदान करने से कि मिल मालिक जिस भाव से चाहें उस भाव से चीनी बेचें, तो इसको मैं एक ही शब्द से पूछना चाहता हूं कि इससे किसका हित हुआ? मैं सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य जो यहां पर उपस्थित हैं उनसे अदब के साथ अपील करूंगा कि जरा गहराई में जाकर इस बात को देखें। अपने व्यक्तिगत हित साधन की दृष्टि से यहां पर ओतप्रोत न हों, और यदि समाज के हित को सामने रखें तो मेरा निश्चित मत है कि अगर समाज के हित को सामने रखकर देखेंगे तो सरकार को सब कंडेम करेंगे और इस सरकार की निन्दा करेंगे। १ रुपया १२ आना जब गन्ना और २८ रुपये मन चीनी का भाव है तो गन्ने का दाम १ रुपया १२ आना की जगह १ रुपया ४ आना क्यों कर दिया गया? और चीनी पर कोई रोक नहीं की गई। इसमें श्रीमन्, रहस्य की बात है। उस समय चुनाव आने वाला था, सन् १९५२ का आम चुनाव सामने था। जहां तक मेरी जानकारी हो पाई है करीब ३ करोड़ रुपया चीनी के मिल मालिकों से कांग्रेस पार्टी को चन्दा मिला और उस पैसे से उन्होंने सन् ५२ के चुनाव को नियंत्रित किया। सन् ५२ के चुनाव को जीतने के लिये उस पैसे को मनमाने तरीके से बहाया गया। जब इतना पैसा मिल मालिकों की तरफ से मिला तो लाजिमी था कि चीनी मिलमालिक किसानों से बलपूर्वक कमायें।

(इस समय २ बजकर ४१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुये।)

किसानों का हित का अहित किया गया। किसानों का अहित करके सरकार ने चीनी मिल मालिकों को खुले हाथ कमवाया और उनको रियायत दी गई और उनको कानूनी डाके डालने का अवसर दिया गया। कानून के संरक्षण में उनको डाका डालने की इजाजत दी गई। एक डाकू अगर किसी के घर में डाका डालता है तो कानून के मुताबिक उनको सजा हो जाती है। यहां पर यह सरकार अपने लिये, अपने दल विशेष के लिये और पूंजीपतियों के लिये कानूनी ढंग पर डाके डलवाती है। अभी तक इस सरकार को समाज ने सजा नहीं दी। मैं वह दिन जल्द देखना चाहता हूं जब कि जनता इस सरकार को इसके बुरे पापों के लिये सख्त से सख्त सजा दे। मुझे मालूम नहीं इसके उत्तर में बहुगुणा जी कौन सा अपना तर्क उपस्थित करेंगे। इसके जवाब में यह कह सकते हैं कि गन्ने की खेती आगे बढ़ाकर किसानों का लाभ करना चाहते हैं और यह कहेंगे कि मिल मालिक मिलों को लेकर यहां से भागना चाहते हैं। वह मिल लेकर यहां से न भागे इसलिये यह रियायत उनको देना चाहते हैं। जो भी तर्क उनकी तरफ से आये मगर ५१–५२ के बाद से लगातार ५७–५८ तक यह चीनी पर कोई नियंत्रण नहीं रख रहे हैं।

३० जून सन् ५८ को एक्स फैक्टरी प्राइस के लिये केन्द्रीय सरकार के फूड डिपार्टमेन्ट ने एक परिपत्र भेजा जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि १९५८ जून के बाद से चीनी की कीमत अब एक्स–फैक्टरी ३६ रुपया मन रहेगी। जब ३६ रुपया मन पर चीनी की कीमत तय की गई तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो चीनी का खरीदने वाला था, कन्ज्यूमर था उसको ३६ रुपये मन चीनी मिल पाई। चीनी ४० रुपये मन, ५० रुपये मन और ६० रुपये मन तक बिकी है। यह माननीय सदस्यों की जानकारी होगी तिस पर भी इस सरकार की नीति के पक्ष में बहुत से माननीय सदस्य चले जाया करते हैं। चाहे इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ हो या और स्वार्थ हो लेकिन समाज का वह हित नहीं देखते हैं। आज इस सरकार के साथ चलना और इस सरकार की नीति का पक्षपात करना राष्ट्रद्रोह है, जनद्रोह है और देशद्रोह है। इन शब्दों को कहने में मुझे तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है, इसके और आंकड़े देखे जायं। एक दिन एक मंत्री महोदय बतला रहे थे कि अब तो चीनी की पैदावार, गन्ने की पैदावार कम हो रही है। मैं कहना

[श्री राजनारायण]

चाहता हूं कि इस के लिये किसान जिम्मेदार नहीं है, चीनी के खाने वाले इसके जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिये जिम्मेदार है सरकार की नीति। काउन्सिल में महाराज सिंह भारतीय के प्रश्न के उत्तर में बतलाया था मुख्य मंत्री जी ने कि १९५८-५९ में चीनी की मिलें कब कब चलीं। अक्तूबर में एक मिल चली जब सीजन शुरू होता है, नवम्बर में ४६ मिलें चलीं और दिसम्बर में २१ मिलें चलीं। तो मैं जानना चाहता हूं कि अक्तूबर में ही सारी मिलें क्यों नहीं चलायी गयीं नवम्बर में क्यों नहीं चलायी गयीं। दिसम्बर के पहले मिलों को चलवाने की व्यवस्था सरकार ने क्यों नहीं की ?

इसके बाद बतलाया गया कि इस साल चीनी कम हुई और १९५६-५७ में सब से ज्यादा चीनी पैदा हुई। १९५४-५५ में २५.४४ करोड़ मन गन्ना मिलों में पेरा गया, १९५५-५६ में २७.७२ करोड़ मन पेरा गया, १९५६-५७ में ३०.३४ करोड़ मन और १९५७-५८ में २५.८१ करोड़ मन और १९५८-५९ में २५.१७ करोड़ मन रह गया। सरकार तह में लोगों को जाने नहीं देती। आंकड़ों का अवलोकन करने से साफ हो जायगा कि सरकार ने चीनी मिल मालिकों को रियायतें दीं और रियायतें देकर गरीब किसानों का गला काटा। जब ५६-५७ में ३०.३४ करोड़ मन गन्ना पेरा गया था तो मिलें चलते रहने की तारीख २२ जुलाई थी। २२ जुलाई तक मिलें चलीं। १९५८-५९ में जब गन्ना बहुत कम रह गया तो जून के अन्त तक ही मिलें चलीं उसके बाद नहीं चल पायीं। मिल खुलने के सवाल से भी गन्ने के पेरे जाने का सवाल संबंधित है। क्योंकि वह मिल पहले नहीं खोलते ? लगातार मजदूर संगठनों, किसान पंचायतों और नेताओं की ओर से यह मांग की जाती है कि मिल मालिक जानबूझ कर मिल देर से चलाते हैं ताकि उनका हित हो। इसलिये हमारी मांग है कि गन्ने की मिलों को जल्दी से जल्दी चला देना चाहिये। तो सरकार की नीति हर माने में दोषपूर्ण है चाहे वह मजदूरों का सवाल हो या किसानों का सवाल हो।

जिस किसी को लेकर देखा जाय, सरकार की नीति चतुर्दिक दोषपूर्ण रही है और जनता के हित में नहीं है। हो सकता है कि बहुगुणा जी जोश में आकर जवाब दें, लेकिन मैं मदन जी की बात की ताईद करता हूं। सम्पूर्णानन्द जी जब श्रम मंत्री थे तो मैंने उनकी चुनौती को स्वीकार किया था और सारे प्रदेश का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर चीनी मिल मजदूर के रेफरेंडम में आई० एन० टी० यू० सी० की यूनियन हार जायगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं समझता हूं कि वे अपनी बात पर बिलकुल कायम नहीं रहे, अपनी बात पर कतई कायम नहीं रहे, वह हटे और सरकार की ओर से क्या तिकड़म हुई, साजिश हुई कि फेडरेशन के लोगों को लड़वाया गया। एक नेता को बिना फेडरेशन से पूछे सरकारी कमेटी में नियुक्त कर दिया गया और इस तरह से फेडरेशन में फूट डालने की कोशिश की गयी। तो मैं अब भी चुनौती देता हूं, चाहे वह चीनी मिल के मजदूर हों, चाहे कपड़ा मिल के मजदूर हों, चाहे किसी मिल के हों अगर आई एन० टी० यू० सी० में हिम्मत है, जो सरकारी संस्था है, तो रिफरेंडम कराये। अगर उस सरकारी संस्था के पक्ष में मजदूर रहते हैं तो निष्पक्ष वोट देने में कोई हर्ज नहीं है। अब भी सुबह बहुगुणा जी के एक सवाल के उत्तर के सम्बन्ध में मैं ४-६ बार खड़ा हुआ, लेकिन मेरा कुछ ऐसा भाग्य है कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, या जो कुर्सी पर बैठते हों, उनकी आई कैच नहीं कर पाता, उनकी दृष्टि को आकर्षित नहीं कर पाता।

श्री अधिष्ठाता—सबसे ज्यादा आप ही बोलते हैं।

श्री राजनारायण—जो अपने विषय है उनमें तो समय पाते ही हैं। तो उस समय उन्होंने कहने की हिम्मत की कि हमारे यहां कोई ऐसा कायदा नहीं है, विशेष ऐसा कायदा नहीं है रिफरेंडम कराने का। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में माननीय सम्पूर्णानन्द के मजदूर मंत्री रहते हुए रिफरेंडम कराया गया और उसमें सरकार बुरी तरह से पराजित हुई, तब आज कैसे वह हिम्मत करते हैं। "मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू।" जहां कोई सरकारी नीति के पक्ष

की बात होती हो तो कहेंगे कि अमेरिका में, इंगलैन्ड में, बम्बई में ऐसा होता है, हम भी कर रहे हैं और जहां उल्टी चीज जाती हो तो कहते हैं कि कहीं और जगह नहीं होता है तो क्यों करें ? दूसरी जगह होता हो या न होता हो, दुनिया का मजदूर इतिहास अध्ययन करके तो हम यहां आये नहीं। पहले जब यहां हो चुका है तो फिर होना चाहिये। तो मैं चाहूंगा कि मजदूरों का हित कैसे होगा, उनको बैठकी किस तरह से मिलेगी, बोनस और तरक्की कैसे मिलेगी, इन तमाम सवालों पर आई० एन० टी० यू० सी० को कोई अधिकार नहीं होना चाहिये कि कोई राय दे और सरकार उसके अनुसार नीति बनाये, बल्कि रिफरेंडम होना चाहिये और उसके लिये मत लिये जाने चाहिये।

मैं आधे मिनट में एक बात कह दूं। मोदीनगर में भी यही सवाल है। जो भूख हड़ताल हो रही थी वह इसलिये हो रही थी कि सरकार ने गलत तरीके से आई० एन० टी० यू० सी० से संबंधित यूनियन को मान्यता दी।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजनारायण--क्या प्रश्न है, हम भी तो सुनें, कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--उनका व्यवस्था का प्रश्न है, कृपया आप बैठें।

श्री राजनारायण--तो आप हमसे कहिये कि हम बैठें।

श्री अधिष्ठाता--जी हां, आप बैठिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--माननीय राजनारायण को स्वयं बैठ जाना चाहिये था। यह संसदीय परम्परा है कि जब दूसरा सदस्य खड़ा हो तो बोलते हुए सदस्य को बैठ जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--नहीं, ऐसा नहीं है। जबतक वैधानिक प्रश्न नहीं होता तब तक सदस्य बैठने के लिये बाध्य नहीं है, क्योंकि "ही इज इन दि पाजेस्शन आफ दि हाउस (He is in the possession of the House)"।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--लेकिन मैंने तो कहा था कि व्यवस्था का प्रश्न है। मैं व्यवस्था का यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव चीनी मिल के मजदूरों के सम्बन्ध में है। मोदीनगर का मामला जो कपड़ा मिल से सम्बन्धित है क्या इस प्रस्ताव में आ सकता है ?

श्री अधिष्ठाता--माननीय राजनारायण जी, यह जो मोदीनगर का. . .

श्री राजनारायण--यह सही है कि वह कपड़ा मिल है। मगर आप जानते हैं कि उदाहरण के लिये हम प्रासंगिक विषय ला सकते हैं। हम कोई डिटेल में नहीं जा रहे हैं, प्रासंगिक बात कह रहे हैं। चीनी मिल में जो धांधली इस सरकार ने अख्तियार कर रखी है है वही कपड़ा मिल में भी है। यानी सरकार की मजदूर नीति के बारे में मैं कह रहा हूं कि जो कपड़े के बारे में हैं वही चीनी के बारे में है।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)--मैं माननीय मदन पांडेय जी का बहुत आभारी हूं कि इस वर्तमान सत्र में उन्होंने कम से कम मजदूरों का एक सवाल तो यहां रखा और उसका फायदा हम सभी को मिला। माननीय मदन पांडेय जी ने अपने संकल्प को प्रस्तुत करते हुए ४ बातें रखी हैं। एक यह कि मतगणना कराई जायं, दूसरे यह कि २५ फीसदी वेतन बढ़ाया जाय, तीसरे यह कि प्रोडक्शन बोनस दिया जाय और चौथे यह कि रिटेनिंग एलाउन्स दिया जाय। मैं इन बातों पर संक्षेप में समीक्षा करना चाहता हूं। जहां तक पहला प्रश्न है उस पर मैं बाद में बोलूंगा। जहां तक २५ फीसदी वेतन की मांग है उसके सम्बन्ध में मुझे यह

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

कहना है कि वेतन निश्चित करने के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान में कुछ आधार मुकर्रर हैं, कुछ नियम हैं और नियमों की मोटी बात यह है कि जिस उद्योग के भी मजदूरों का वेतन नियत करना हो तो देखना पड़ेगा कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। यह आधार माना गया है। इसमें दो तीन तरह के वेतन मुकर्रर होते हैं। एक तो मिनिमम वेज, एक लिविंग वेज और एक शेयर वेज। इस वेतनों के सम्बन्ध में अभी हमारा देश पहली ही सीढ़ी पर लड़खड़ाता हुआ चढ़ रहा है यानी मिनिमम वेज पर ही अभी आ रहा है। और अभी हमारे यहां मिनिमम वेज ही चन्द उद्योगों में लागू हुआ है। और वेतन के दो हिस्से होते हैं, एक उसमें बेसिक वेज होती है और दूसरे मंहगाई। उद्योग के हिसाब से मंहगाई अलग-अलग मिलती है। मिसाल के लिये जो टेक्सटाइल इन्डस्ट्री है उसमें ज्यादा मंहगाई मिलती है, तेल के उद्योग में यह कम है और इस तरह से लेदर या दूसरे उद्योगों में और भी कम है।

मैं कानपुर का ही उदाहरण देता हूं कि वहां पर एक टेक्सटाइल के मजदूर को ८० रु० मिलते हैं लेकिन उसी के मुकाबले में उतनी ही मेहनत करने वाले एक दूसरे मजदूर को तेल के मिल में २६ रुपये मिलते हैं। क्या उस मजदूर को सस्ता सामान मिलता है या कोई खास रियायत मिलती है, क्यों उसी शहर में एक को ८० और दूसरे को २६ रुपये मिलते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार की ही बात ले लीजिये, एक सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एम्पलाई कम से कम ८० रुपया पाता है और उसी के मुकाबले में प्रान्तीय सरकार का एक कर्मचारी जितनी तनख्वाह पाता है उसको मदन पांडेय जी अच्छी तरह से जानते हैं। यह इस लिये है कि किसी उद्योग की पेइंग कैपेसिटी क्या है, इस पर वेतन मुकर्रर होता है। मुझे नहीं मालूम, चीनी मिलों की स्थिति क्या है लेकिन जैसा पांडेय जी ने बताया कि उसमें इतना मुनाफा है तो मजदूरों को तरक्की जरूर मिलनी चाहिये। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि २५ फीसदी ही वेतन क्यों मांगा गया? उन्होंने बताया है कि उनके हिसाब से जो प्रोडक्शन बोनस होना चाहिये वह ३६ फीसदी होना चाहिये। मुझे ऐसा लगता है कि पांडेय जी कुछ आई० एन० टी० यू० सी० की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। जहां तक बोनस का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस समय सरकार ने दोनों संस्थाओं को मान्यता दे रखी है और साल में दोनों फेडरशनों की एक त्रिदल समिति बनती है बोनस का सवाल तय करने के लिये। उस त्रिदल समिति में पांडे जी के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं। यह अलग बात है कि उसमें पांडे जी नहीं बुलाये जाते या उन्हीं का फैडरेशन उनको नहीं भेजता तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हां केवल पांडेय जी के साथ में सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं कि उनको भी बुलाया जाना चाहिये। तो यह कमेटी हर वर्ष इस बोनस के सवाल को डिस्कस करती है और तय करती है।

श्री मदन पांडेय---इस समय जो त्रिदलीय सम्मेलन होते हैं उनमें आल इंडिया बेसिस पर जो आर्गेनाइजेशन मान्य हैं उनको ही बुलाया जाता है। स्टेट लेविल पर जो आर्गेनाइजेशन्स हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। इसलिये केवल आई० एन० टी० यू० सी० को ही बुलाया जाता है और यही हमारी शिकायत है। माननीय मित्र इसको अपने ध्यान में रखें।

श्री उमाशंकर शुक्ल---माननीय मित्र की बात यदि सही है तो मैं अपने आपको करेक्ट करता हूं।

अब दूसरा सवाल जो उठता है उसके बारे में मेरा कहना यह है कि एक सेन्ट्रल वेज बोर्ड बना हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है वह गोरखपुर में मदन पांडेय जी के दफ्तर के पास ही है और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मदन पांडेय जी ने शुगर वेज बोर्ड के सामने जाकर यह मांग नहीं की। असल बात यह है कि वेजबोर्ड में तो इस विषय के प्रकांड पंडित बैठते हैं, वहां तो अक्लका इम्तहान होता है। लेकिन असेम्बली में तो स्वतंत्रता है चाहे जो कुछ कह दिया जाय। इसलिये हमें इस बात को समझ लेना चाहिये कि प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय

सरकार के आदेश के खिलाफ कभी नहीं जा सकती और यह दूसरी बात है कि आपसी समझौते से कुछ हो जाय, सरकार कानून की अवहेलना करके यह नहीं कर सकती कि २५ प्रतिशत वेतन बढ़ा दे।

अब मैं मदन पांडेय जी के असली सवाल पर आता हूं। इस उद्योग में १९५१ में सेंसस हुई थी, यह बात सही है। मदन पांडेय जी के फैडरेशन की जीत हुई थी और आई० एन० टी० यू० सी० की हार हुई थी। लेकिन यह कभी हो नहीं सकता कि यूनियनों की हालत वही बनी रहे। आज के हिसाब से मैं कुछ चीजें सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मालिकों द्वारा भेजी गयी कर्मचारियों की संख्या इस समय ८५ हजार है जो सारे शु ार उद्योग में काम करते हैं। इनमें से ५५ हजार ऐसे हैं (रेजिस्ट्रेशन के लिये जो रिटर्न्स सबमिट होते हैं १९५८-५९ आधार पर कह रहा हूं) जो किसी न किसी यूनियन से सम्बन्धित हैं यानी यूनियनों के मेंबर हैं। उन ५५ हजार में बटवारा इस प्रकार से है--आई० एन० टी० यू० सी० के ३६ हजार और १९ हजार में बाकी सब है। इसके अलावा मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि २० यूनियन ऐसे हैं जो किसी फैडरेशन से सम्बन्धित नहीं है। ऐसी हालत में बाकी ३० हजार मजदूर ऐसे है जो किसी संस्था के मेंबर नहीं है। अगर मेम्बरशिप के आधार पर रेफरेंडम कराया जाय तब तो यह मदन पांडेय जी का प्रस्ताव जचता नहीं है। अब इस प्रश्न को दूसरी तरफ से देखा जाय कि यू नियनें कितनी हैं। ११९ रजिस्टर्ड यूनियन हैं जिनमें से ६७ आई० एन० टी० यू० सी० की हैं, २० यूनियन किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं हैं और ३२ यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की हैं। इस तरह से ११९ यूनियन रजिस्टर्ड हैं और मदन पांडेय जी के फेडरेशन की भी ३२ यूनियनें हैं। इसका सबूत यह है कि उन्हीं के फेडरेशन के एक सदस्य ने इलाहाबाद में एक विवाद के सिलसिले में ट्रिब्यूनल के सामने लिख कर बयान दिया था कि मेरे फेडरेशन में ३२ यूनियनें हैं। तो ऐसी हालत में इस प्रश्न को इस तरह से भी देखना है कि मदन पांडेय जी का यह प्रस्ताव कहां तक टिकता है?

इसके अलावा एक बात और है, वह यह है कि अगर रेफरेंडम कराया जाय तो उसमें इस बात का खासतौर से ध्यान रखा जाय जो पिछली बार नहीं रखा गया था कि उन्हीं मजदूरों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिये जो किसी न किसी यूनियन के मेम्बर हों। अगर इस विचार से माननीय मदन पांडेय जी मांग करते हों कि उनके फेडरेशन को मान्यता दी जाय तो इसके माने यह हैं कि वे ऐसे ही मजदूरों को अधिकार दिलाना चाहते हैं जो किसी न किसी यूनियन के मेम्बर हैं। ऐसी हालत में ३० हजार मजदूर जो किसी यूनियन के मेम्बर नहीं हैं वे वोट नहीं दे सकेंगे क्योंकि उन्होंने ट्रेड यूनियनिज्म के लिये अपने को क्वालिफाई नहीं किया है और अगर ऐसे अवांछनीय लोगों के जरिये रेफरेंडम कराने की मांग पांडेय जी करते हैं तब तो मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो ट्रेड यूनियन के मेम्बर हैं जिनके आधार पर वे रेफरेंडम कराना चाहते हैं तो हम मदन पांडेय जी के चैलेंज को स्वीकार करते हैं।

एक बात और है, श्रीमन्। गत वर्ष नैनीताल में जब इंडियन लेबर कांग्रेस हुई थी तो उस कांफ्रेन्स में सारे हिन्दुस्तान के मजदूर संघों ने इस बात में अपनी सहमति प्रकट की कि जो मजदूर-किसी न किसी यूनियन में अपने को दाखिल करें, और उसके मेम्बर हों उन्हीं के आधार पर मान्यता दी जायगी और इसको वेरिफाई करेगा रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स। रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन के वेरि ाई करने के फीगर्स मैं कोट कर चुका हूं। माननीय मदन पांडेय जी के नेता भी उस कांफ्रेन्स में थे और उन्होंने इसबात को मान्यता दी है। मैं नहीं जानता हूं कि इस बात को तोड़ने के आधार क्या हैं। नैनीताल के उस कांफ्रेन्स में ४ मजदूर संघों ने लिख कर दिया था। उसमें आई० एन० टी० यू० सी०, आल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इसके अलावा हिन्द मजदूर सभा, इन चारों ने लिख कर उसकी स्वीकृति दी है। अब यह देखने की बात है कि उन मजदूर संघों के हिसाब से इन यूनियनों का रेशियो क्या है। उन के हिसाब से यूनियनें इस प्रकार हैं--इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ६७, आल इन्डिया ट्रेड यूनियन

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

कांग्रेस की ६ है, हिन्द मजदूर सभा की १४ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ६ हैं। २६ ऐसी बच गयीं जो स्वतंत्र हैं। माननीय मदन पांडेय जो कह सकते हैं कि हमारा तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो उन २६ में उन की भी ६ यूनियनें हैं। जो हमारी जानकारी है।

श्री मदन पांडेय—हमारी भी तो यूनियनें हैं।

श्री उमाशंकर शुक्ल—मैं मजदूर संघों की बात कह रहा हूं। श्री मदन पांडेय जी की जो ६ यूनियनें हैं उन के आधार पर मतगणना कैसे कर ली जा सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। एक बात और भी है कि शुगर फेडरेशन जो श्री मदन पांडेय जी का है उस का उनके पदाधिकारियों से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वह तो शुद्ध रूप से शंकर जी की बारात है।

***श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)**—माननीय अधिष्ठाता जी, अभी मदन भाई ने जो मजदूरों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया है मैं उसी में थोड़ा सा संशोधन जोड़ना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—आप अब जोड़ नहीं सकते, केवल बोल सकते हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल—किसानों के सम्बन्ध में केवल यही जोड़ना चाहता हूं कि गन्ना उत्पादकों का भी ध्यान किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—आप ध्यान आकृष्ट करें, लेकिन संशोधन पेश नहीं कर सकते।

श्री बंशीधर शुक्ल—अच्छा साहब, जैसी मर्जी हो हजूर की। गन्ना उत्पादकों के समक्ष जो परेशानी सरकार द्वारा पैदा की जा रही है उसको निर्मूल होना चाहिए अन्यथा जो चीनी का उद्योग हमारा है और जमुना के पास नैपाल की सरहद में गन्ना अधिक पैदा होता है वह खत्म हो जायगा। दक्षिण भारत में भी कम होता है। अगर इस उद्योग को बढ़ाया जाय तभी यहां के किसान का कल्याण हो सकता है, लेकिन सरकार की ओर से जो पुस्तक मिली है उस में लिखा है कि गन्ना उद्योग कम किया जाय। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसानों का कल्याण किस में है। सरकार की तरफ से किसानों के लिए केन सोसाइटी कायम की गयी हैं इस वास्ते कि मिले बेईमानी न करें परन्तु इन सोसाइटी के आदमी जो काम करते हैं वे निन्दनीय हैं और घृणात्मक हैं और उन को मिल की तरफ से ३ पैसा मन कमीशन मिलता है जिस में एक पैसा मन में वह वेतन बांटती है और एक पैसा मन में रिजर्व फंड जमा करती हैं और १ पैसा विकास पर व्यय होता है। नाम रखा है 'गन्ना विकास', लेकिन होता है गन्ने का विनाश। सोसाइटी तो बीच में एक दलाल है, एक तरफ किसान है जो गन्ना पैदा करता है, दूसरी तरफ मिल वाले हैं। यह बीच में दलाली करती हैं, वह गन्ना विक्रय कराती हैं। उसका विकास से क्या सम्बन्ध है? उस में एक केन कमिश्नर है, सोसाइटी के डाइरेक्टर हैं, लेकिन डाइरेक्टरों को कोई अधिकार नहीं है, डाइरेक्टर कुछ करना चाहें तो केन कमिश्नर उस को रद्द कर सकते हैं और रद्द करते भी हैं। इसी सोसाइटी के कामदार गन्ने का सट्टा कराते हैं। किसानों के खेत को देखते नहीं कि कितना गन्ना है और जितना पैसा पा जाते हैं उस के अनुसार काम करते हैं। एक एकड़ में पेंड़ी हुई तो १०० मन प्रति एकड़ और अगर बैयर हुआ तो १५० मन प्रति एकड़—इस तरह का सट्टे का ढंग बहुत खराब है। दूसरे वह यह भी करते हैं कि २ साल का औसत भी निकाल लेते हैं सप्लाई के अनुसार, जैसे १०० मन इस साल हुआ और १५०० मन फी एकड़ दूसरे साल हुआ तो ऐसी हालत में उसका औसत निकाला करते हैं कि इतने गाड़ी गन्ना आप का हुआ, उस के अनुसार सट्टा करते हैं, जिस से किसानों को बड़ी भारी परेशानी होती है। पिछले साल गन्ना कम हुआ था इस साल ज्यादा है। हमारे जिले के गन्ने को गोला मिल के साथ लगाया गया है, लेकिन पिछले साल भी वहां दूसरी जगहों से गन्ना आया और १ मास वह ज्यादा चली। २ स्टेशन हमारे यहां हैं। तो हमारे यहां पर जो किसानों के साथ सरकार खेल, खेल रही है इसको बन्द कीजिये, अन्यथा मामला बड़ा भयंकर होने वाला है। हमारे यहां पर कोआपरेटिव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सोसाइटी से हम बीज लेने जाते हैं तो कहा जाता है कि एक बोरा खाद जरूर खरीदो। केन सोसाइटी से गन्ना का बीज लेने जाते हैं तो खाद खरीदने को कहा जाता है और कोआपरेटिव से रुपया लेने कोई जाता है तो खाद खरीदने के लिए कहा जाता है। तो उस खाद का क्या करें? वह खाद ले लेते हैं और फिर घाटे में बेचते हैं। गन्ना सोसाइटी सवा छः फीसदी और कोआपरेटिव वाले पौने नौ रुपया सूद लेते हैं। आज कोई बीज लेता है और एक महीने बाद पैसा दे दे तब भी साल भर का सूद ले लिया जाता है। तो क्या यह न्याय है? इस के अलावा किसानों से १० रुपया फी काश्तकार प्रति वर्ष काट लिया जाता है। वह किसी रूप में उसे मिल नहीं सकता। अगर कहीं मर जाय या गन्ना बोना बन्द कर दे तो पांच साल बाद केन कमिश्नर कह सकता है कि वापस दे दिया जाय। इन सब बातों को बन्द कीजिये।

लखीमपुर-खीरी में पलिया में मिल बनाने की एक बात हुई। काश्तकारों से दो आना मन कटौती हुई और १८ लाख रुपया जमा हुआ। मिल बनाने का परमिट भी मन्जूर होकर दिल्ली में आ गया, लेकिन हमारे भूतपूर्व मन्त्री जी ने गोला मिल के हकने से उसे रद्द कर दिया और रुपया भी बड़ी मुश्किल से मिला। श्रीमन्, १५-२० करोड़ मन गन्ना लखीमपुर जिले में होगा जब कि गोला मिल की शक्ति अधिक से अधिक पेरने की १ करोड़ १० लाख मन है और हरगांव मिल की भी इतनी ही शक्ति है। गोला मिल रामेश्वरलाल नेवटिया का है। उनका सरकार पर प्रभाव है। इस लिए वहां दो ही मिलें हैं, और नहीं हैं। इसलिए श्रीमती सरकार से मेरा निवेदन है . . .

श्री अधिष्ठाता—'श्रीमती सरकार' कैसे कहेंगे?

श्री बंशीधर शुक्ल—'सरकार' स्त्रीलिंग ही है, इस लिए 'श्रीमती' ठीक है। गन्ना अधिकारी मिल मालिकों के गुलाम होते हैं। तो मेरा कहना यह है कि लखीमपुर में कम से कम तीन-चार मिलें होनी चाहिए। गोला मिल के पास केवल गेट पर ७० लाख मन का सट्टा होता है और पलिया में इस वर्ष ६८ लाख मन का अभी से हो चुका है। हीरा में ५० और ४० लाख मन के बीच और कुकरा और मैलानी में २०-२० लाख मन। फरदहां और देवकली में भी हो चुका है। सब मिल बन्द हो जायेंगे तब भी गोला मिल चलता रहता है और बाद में जो गन्ना खरीदता है वह रिकवरी बेसिस पर खरीदता है जब कि पहले अगर १०० मन में १० मन चीनी बैठती है तो ज्येष्ठ और बैसाख में ११ और साढ़े ग्यारह मन बैठती है। आपको चाहिए कि मिल-मालिकों की गुलामी छोड़ दें और किसानों की ओर ध्यान दें, नहीं तो आपका गन्ना उत्पादन बढ़ेगा नहीं। मैंने इस वर्ष यह सोचा कि जितने में गन्ना बोया जाय उतने में धान बोया जाय। तो दोनों के खेत बराबर हैं, ४ एकड़ में गन्ना और ४ एकड़ में धान। तो गन्ना तो होगा, २, २ १/२ हजार मन और धान होंगे ज्यादा से ज्यादा ४०-५० मन। लिहाजा फायदा धानों के खेत में नहीं हुआ। ऐसी दशा में अगर किसान को खाद की जरूरत हो तो दिया जाय वरना मजबूर न किया जाय। इस के अलावा गन्ना सोसाइटियां बिलकुल तोड़ दी जायं, गन्ना विक्रय संघ रखा जाय और किसानों से सीधा सम्बन्ध रखा जाय। यह जो क्रशर्स पर आप ने आफत ढा दी है वह बहुत दुखदायी है। हमारे यहां जो गोला मिल है उसके गेट पर तो गन्ना १ रुपया ३ आने मन लिया जाता था और उसी के पड़ोस क्रशर वाले १ रु० ७ आने और १ रु० ८ आ० मन खरीद रहे थे। तो क्रशर्स पर आप को यह आफत नहीं ढानी चाहिए थी। इसके अलावा पलिया में एक मिल बननी चाहिए। वहां एक बड़े मजे की बात है। जितने बड़े-बड़े फार्मर्स हैं वे सब डेलीगेट हैं। तो २४ डेलीगेट इनके हैं और २१ किसानों के हैं। आप कहते हैं कि पिछले साल की सप्लाई के अनुसार आप सट्टा करेंगे और पिछले साल आपने पुरजी कम कर दीं। फिर बतलाइये कि गन्ने की सप्लाई कैसे होगी। एक तो जो कोआपरेटिव सोसाइटी यहां पर कायम है इस को तोड़ देना चाहिए। यह गन्ना सोसाइटी उसी के अन्तर्गत है। कुछ भी होता है कोआपरेटिव ऐक्ट के अनुसार लाकर रख देते हैं। एक बड़ा भारी ताल्लुकेदार, जिसके आप बहुत खिलाफ थे, मान लीजिये हजार गांवों से हजार

[श्री बंशीधर शुक्ल]

हजार रुपया इकट्ठा करता था तब कहीं उसके पास १० लाख रुपया होता था, लेकिन एक मिल वाला ५०० गांवों से २०–२५ लाख रुपया इकट्ठा कर लेता है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होता। यह तो वही मसल है कि—

"तिरछी कलम से सैकड़ों को मारा जाता है,
न तहकीकात होती है न थानेदार आता है।"

तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और जो गन्ना भवन है यहां से ही सारा संचालन होता है और केन अधिकारी क्या करते हैं यह किसी से छिपा नहीं है। सब जानते हैं कि यहां से वहां तक मिल-मालिकों की माया है। जो मिल-मालिक कहता है वही गन्ना अधिकारी करते हैं, उसके अलावा रंचमात्र भी कोई सुनता नहीं। तो यह सब अन्याय दूर होना चाहिए और उत्पादक के सामने जो भी परेशानी हो उसे दूर करना चाहिए।

इसके अलावा जो ढंग गन्ना बेचने का है वह बहुत ही खराब है। एक पुरजी हमें आज मिलती है तो दूसरी ६ महीने बाद मिलती है। कहा जाता है कि किसानों का गन्ना होलो तक ले लिया जाता है, लेकिन असलियत यह नहीं है। होता यह है कि एक पुरजी आज मिली और दूसरी तीन महीने बाद। अगर हमारा खेत जल्दी खाली हो जाय तो हम उसमें दूसरी फसल बोयें। तो नयी फसल के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है और न उसका ध्यान है कि काश्तकार के ऊपर क्या बीतती है। और सिंचाई व्यवस्था के बारे में तो अपने ऊपर बीती बता सकता हूं . . .

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—श्रीमन्, माननीय पांडेय जी के संकल्प के सम्बन्ध में सूक्ष्म में २, ३, बातें कहना चाहता हूं। उन्होंने अपने प्रस्ताव में ४ बातों का जिक्र किया। यह उद्योग, यानी चीनी उद्योग, हिन्दुस्तान में टेक्सटाइल उद्योग के बाद दूसरे नम्बर का है और इस में ३३, ३४ करोड़ रुपया लगा हुआ है देश में और करीब ७० मिलें तो हमारे प्रदेश में ही हैं। तो प्रश्न यह है कि चीनी उद्योग में कई पार्टीज हैं। एक पार्टी किसान, दूसरा मिल-मालिक और तीसरा मजदूर। अब एक अंग अगर कोई मांग करे और उस से दूसरे को असुविधा हो तो विचारना पड़ेगा कि उस की मांग में कहां तक तथ्य है। माननीय पांडेय जी ने कोई ऐसा तर्क नहीं रखा कि अगर २५ प्रतिशत रिटेनिंग एलाउन्स दें तो पूरे उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माननीय गेंदासिंह ने १९५४–५५ के आंकड़े दिये उस से कुछ अनुमान हुआ लेकिन लेटेस्ट आंकड़े माननीय पांडेय जी अगर दिये होते तो मालूम हो सकता था कि मजदूर को कितना दिया जाय, किसान को कितना और मिल-मालिक को कितना, जैसा टैरिफ बोर्ड ने तय किया था।

मैं भी कहता हूं कि मजदूरों को ५० फी सदी दिया जाय। आई० एन० टी० यू० सी० मजदूरों के हित की रक्षा करती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल मजदूर को ही दिया जाय? अगर उसी को देना है तब तो आप ५० फी सदी कर दें, लेकिन ऐसा तो नहीं किया जा सकता। माननीय पांडेय जी को बताना चाहिए किन आंकड़ों के आधार पर यह २५ प्रतिशत चाहते हैं। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि भाटिया कमेटी से कहा गया है कि २५ प्रतिशत मजदूरों को दिया जाय और वह रिपोर्ट १९४४ की है। लेकिन तब से काफी समय बीत चुका है। १९५१ ई० में तो संरक्षण था। अगर यह तय हो जाय कि मिल-मालिक को ज्यादा फायदा है तो किसी को मजदूरों को दिलाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा नक्शा नहीं रखा जिस से अन्दाज किया जाय कि मजदूरों को कितना दिया जाय। जहां तक रिटेनिंग एलाउन्स का सवाल है उस में अगर कोई वृद्धि हो सके तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यह मैं जरूर मानता हूं कि दो तरह के मजदूर हैं, एक तो मिल में लगे हुए हैं और दूसरे किसानों की यूनियन्स के हैं। तो किसानों के हित की रक्षा करने के लिए केन सोसाइटी यूनियन्स बनी हुई हैं। केन यूनियन्स और केन सोसायटी बनी हुई हैं। इतने बड़े उद्योगपतियों का मुकाबला करने के लिये किसानों की रक्षा करना आवश्यक है कि यूनियन्स हों क्योंकि

अकेला कृषक इतने बड़े उद्योगपति का सामना नहीं कर सकता। इसलिये केन सोसाइटीज की आज आवश्यकता है, उनके बगैर किसानों का हित होगा। किसानों के संरक्षण के लिये ही गन्ना संघ बने हुये हैं और वे किसानों के हित की रक्षा करते हैं।

राजनारायण जी ने एक प्रस्ताव रखा है कि किसानों के प्रतिनिधि होने का हम दावा करते हैं लिहाजा गन्ने का मूल्य २ रुपये प्रति मन कर दिया जाय, हम सभी लोग किसानों के प्रतिनिधि हैं। दो रुपया नहीं, ढाई रुपया कर दिया जाय और मदन पांडेय जी ने जैसा कहा उनको रिटेनिंग अलाउन्स २५ प्रतिशत दिया जाय, लेकिन देखना यह होगा क्या यह उद्योग चल सकेगा? अगर चल सके तो कोई कारण नहीं है कि किसानों को दो या ढाई रुपये मन न दिये जायं। मुझे शक है कि इस महंगी के जमाने में सब बातों का ध्यान रखते हुए जो प्रस्ताव है उसमें कोई जोर दीख पडता हो जिससे मैं उसका समर्थन कर सकूं। लेकिन सिद्धान्ततः मैं यह मानने को तैयार हूं कि टैरिफ बोर्ड की सिफारिशों के आने तक हमको इन्तजार करना चाहिये।

कितना उत्पादन में किसान का लगता है, कितना मजदूरों को वेतन मिलना चाहिये और कितना मुनाफा मिल-मालिकों को मिलता है, इन सभी समस्याओं को देखने के लिये टैरिफ बोर्ड की नियुक्ति की गयी है। उसकी सिफारिश आने पर ही निर्णय किया जा सकेगा कि क्या करना चाहिये। यह ठीक है कि पूंजीवाद का तरीका बहुत खराब है लेकिन यह भी सोचना है कि बगैर पूंजीपतियों के पूंजी का उत्पादन कैसे होगा? देवरिया गोरखपुर में अकेले १४ मिलें हैं। अगर ये मिलें न होतीं तो वहां की आर्थिक हालत इतनी गिर जाती जिसका आप और हम अन्दाजा नहीं लगा सकते। इन्हीं चीनी मिलों की वजह से देवरिया, गोरखपुर व बस्ती जिलों का आर्थिक ढांचा बना हुआ है। गन्ने के उचित दाम मिलने का ही नतीजा है कि किसानों ने बड़ी रुचि से गन्ने के उत्पादन को बढ़ाया और जो चीनी उद्योग की हालत इधर गिर गयी थी उसे संभाला। अकेले देवरिया में साढ़े ४ करोड़ मन गन्ना पैदा किया गया और इस गन्ने के उत्पादन से वहां का जो आर्थिक ढांचा है वह काफी सुदृढ़ बना रहा। काफी कठिनाई होते हुए, अभावग्रस्त जिले होते हुए इस उद्योग ने किसानों को पैसा दिया है। गन्ने उद्योग ने इन अभावग्रस्त क्षेत्रों में, जहां न बड़े उद्योग हैं, न छोटे उद्योग हैं और अन्न की जहां कमी है, वैसी आपदायें जहां प्रति वर्ष आया करती हैं, किसान की आर्थिक स्थिति को संभाला है। लिहाजा मजदूरों का वोट खींचने के लिये या किसी का मत अपने पक्ष में करने के लिये यह कहना कि किसानों को २ रुपये दिये जायं या ५० प्रतिशत रिटेनिंग अलाउन्स दिया जाय, यह कुछ तर्क संगत बात प्रतीत नहीं होती। पूरी समस्या को एक साथ विचारना पड़ेगा।

अब दूसरी बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि १९५१ के लेबर अपिलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार दिलाया जाय। सन् १९५१ में यह ट्रिब्यूनल बना और उस वक्त के अनुसार मजदूरों के लिये वैसे ही नियम बने और उसके बाद भी नियम बने। सन् १९५१ के नियमों को १९५९ में लागू करने के क्या अर्थ होते हैं? और कोई भी नजदीक की बात वह कहते तब तो मैं समझता कि ठीक है कह रहे हैं। सन् १९५१ में जब आपकी चीनी मिलों को संरक्षण मिला था उस समय क्या दशा थी? उस समय राशनिंग समाप्त हो रहा था। इन सब बातों को लेकर यदि हम इस प्रस्ताव को देखें तो उसका नक्शा ठीक नहीं बैठता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो उनकी मांग है वह तथ्यपूर्ण नहीं है।

श्रीमन्, अब रहा गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने का सवाल। गत वर्ष भी उसका जिक्र किया गया था और हमने उसको स्वीकार किया था कि गन्ने के मूल्य को बढ़ाया जाय। हम लोग भी चाहते हैं कि गन्ने का मूल्य बढ़े क्योंकि हम भी किसान हैं। पारसाल पूर्व में रिकवरी ९·६ थी और पश्चिम में ९·८ थी। चीनी का जो रेट उस समय था उसके आंकड़े से मालूम हुआ कि टैक्स आदि को निकाल कर और विभिन्न पहलुओं को देखने के बाद मालूम हुआ कि

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

पूंजीपति को एक मन चीनी के ऊपर केवल १५ आने या शायद साढ़े पंद्रह आने मन का लाभ मिलता था। अगर श्रीमन्, यह आंकड़े ठीक हैं तब तो कहीं कोई गुंजायश दिखाई नहीं देती। लेकिन इस वर्ष हमने देखा कि गन्ने के उत्पादन से मिलें एक महीने २० दिन ज्यादा चलीं और रिकवरी भी दस प्रतिशत हुई है। इसलिये अगर किसान ज्यादा गन्ना पैदा करता है, और रिकवरी भी ज्यादा होती है तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। कहा जाता है कि बम्बई और मद्रास में चीनी मिलें ज्यादा दिन तक चलती हैं इसलिये वहां पर गन्ने का मूल्य दो रुपये मन का पड़ता है। ऐसी हालत में यह प्रश्न विचारणीय अवश्य है और प्रशासन को भी केन्द्र से आग्रह करना चाहिये कि जब रिकवरी बढ़ गई है और उत्पादन भी बढ़ गया है तो यह आवश्यक है कि किसान को गन्ने के दाम बढ़ाकर मिलने चाहिये। यह देखने की बात है कि कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं।

इस उद्योग में किसान और मिल-मालिक दोनों प्रमुख हैं और मजदूर तीसरा फैक्टर है। अगर इसमें प्रायोरिटी फिक्स की जाय तो पहले किसान और मिल मालिक आते हैं। इसके बाद मजदूर आता है। जब तक उत्पादन के लिये पूंजी की आवश्यकता है तब तक हमें उनका भी ध्यान रखना होगा। यह बात दूसरी है कि इसको नेशनलाइज कर लिया जाय। लेकिन जहां तक बात यह है कि इन पूंजीपतियों की पूंजी की सहायता से उद्योगों को चलाना है और उनके लाभ पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर रुपया लेना है और उस रुपये को सार्वजनिक कार्यों पर वितरित करना है तब तक तो हमें पूंजीपतियों के हितों को भी देखना होगा। मुझे भय है कि यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे तो पूर्वी जिलों में जो चीनी मिलें हैं जिनके आधार पर ही वहां का आर्थिक ढांचा आधारित है, अगर वह दक्षिण में चली जायंगी तो बड़ी मुश्किल होगी। इसलिये हम इस प्रश्न पर इकतर्फा फैसला नहीं कर सकते हैं और सभी बातों को देखकर निर्णय करना होगा। टैरिफ बोर्ड के बाद अगर हम इस निश्चय पर पहुंचे तो उत्तम होगा।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता जी, आज माननीय मदन पांडेय जी ने जो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के समक्ष रखा है उसके विषय में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है। श्रीमन्, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत दिनों के बाद यह प्रस्ताव सदन में आया है। हमारी बदकिस्मती है कि माननीय उमाशंकर जी इस समय चले गये हैं। इस प्रस्ताव के विरोध में सरकारी पक्ष का ध्यान रखते हुये जिस खूबी के साथ उन्होंने वकालत की है, उसके लिये मैं उनकी तारीफ करूंगा। वैसे बात तो उन्होंने तथ्य से परे कही, न्याय के विरुद्ध कही, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत ही सुन्दर ढंग से वकालत की।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा उन फेडरेशनों के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा जो फेडरेशन्स उत्तर प्रदेश चीनी मिल मजदूरों में काम करते हैं। एक बड़ा लम्बा किस्सा है। जिस समय यह प्रश्न १९५० में उठाया गया उस समय माननीय सम्पूर्णानन्द श्री मंत्री थे। वे बहुत परेशान थे और एक बड़ा आन्दोलन था। मजदूरों, यूनियनों की तरफ से जितनी हड़तालें हुईं, जितनी मांगे हुईं, उससे वह परेशान थे। एक बड़ी जबरदस्त हड़ताल हुई और मुझे भी सरकार का मेहमान बनने का मौका मिला सरदारनगर की हड़ताल में। उसके बाद रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम में हमारी यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को ७१ फीसदी और आई० एन० टी० यू० सी० को २९ फीसदी वोट मिले। उसके बाद हरदोई में हमारी कान्फ्रेंस हुई। उसके बाद सरकार की तरफ से जो रवइया अख्तियार किया गया उसका नतीजा यह हुआ कि रेफरेंडम के आधार पर यदि यूनाइटेड फेडरेशन को मान्यता दे दी। तो आई० एन० टी० यू० सी० तो खत्म हो जायगी। पता नहीं हरदोई कान्फ्रेंस में बहुगुणा जी गये थे या नहीं। आई० एन० टी० यू० सी० की जमात को जमाने के लिए उनके नेता काशीनाथ पांडेय जो एम० पी० हैं उनको सामने रख कर जो इतना बड़ा रेफरेंडम १९५० में हुआ जिसमें ६६

फैक्टरीज और ८२,९९९ मजदूरों का नाम दर्ज था, हमारे शुक्ला जी कह रहे हैं कि अब ऐसा रेफरेंडम हो जिसमें उन्हीं मजदूरों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जो किसी न किसी यूनियन के मेम्बर हैं। आज शुक्ल जी यह कह रहे हैं और उस समय माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने सब को मतदाता सूची में ला दिया था। प्रश्न यह है कि अगर किसी संस्था को प्रतिनिधित्व दिया जाय तो रेस्ट्रिक्टेड वे में दिया जाय अथवा विस्तृत रूप में ?

कहा जाता है कि बालिग मताधिकार हो। यह सही है कि बहुत मजदूर यूनियनों में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनकी वकालत कोई न कोई यूनियन करती है। अगर यूनियन के द्वारा वह नहीं कराना चाहते हैं तो कानून में लिखा है कि सात मजदूरों की कमेटी बन जाय वह भी कर सकती हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि रेफरेंडम में वही वोट दें जो किसी न किसी यूनियन के मेम्बर हों। पांडेय जी को याद होगा कि जितने रीजनल कंसीलियेशन बोर्ड बनने वाले थे सब में नाम चले गये थे कि गोरखपुर में कौन रहेगा, बरेली में कौन रहेगा, लखनऊ में कौन रहेगा। उस समय सब बातें तय हो गयी थीं। लेकिन आई० एन० टी० यू० सी० को जमाने के लिए सब पर पानी पड़ गया। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि हमारे यहां बैतालपुर चीनी मिल यूनियन है. . . .

श्री अधिष्ठाता—आप तो सारी कथा बता रहे हैं। अब संकल्प पर आ जाइये।

श्री उग्रसेन—कहना यह है कि यूनियन में जिस यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन के चार, पांच सौ मेम्बर थे तो उनकी वर्क्स कमेटी मिलों में नहीं बनी। वर्क्स कमेटी आई० एन० टी० यू० सी० की बनीं जिसके चार-पांच हड़ताल तोड़ने वाले मजदूर थे, जो कम्पनी यूनियन और मिल-मालिकों के एजेंट थे ? उनकी वर्क्स कमेटियां बन गयीं। फिर गवर्नमेंट ने कहा यह बहुत गलत है। उसको फिर से कानून बना कर उस जाल को खत्म किया। वर्क्स कमेटी के जरिये से आई० एन० टी० यू० सी० को जमाने का प्रयत्न किया गया। आई० एन० टी० यू० सी० की यह औलाद कैसे पैदा हुई ? वह दिल्ली में पैदा हुई। उस समय पैदा हुई जब पूंजीपतियों के साथ गठबन्धन किया गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आई० एन० टी० यू० सी० एक जहर है जो मजदूरों का खून चूसने के लिए मजदूर क्षेत्र में काम कर रही है। मिल क्षेत्र में और मजदूर क्षेत्र में कायम है चाहे उसके नेता नेवटिया बनें, चाहें सरकार बने, चाहे मजीठिया बनें, कोई बने। मगर यह आई० एन० टी० यू० सी० कम्पनी यूनियन है, मैनेजमेंट यूनियन है, मैं साफ कहता हूं। शुक्ला जी आ गए। मैं अब भी दावे के साथ कहता हूं कि सही माने में चुनाव करा दिया जाय तो आई० एन० टी० यू० सी० आज भी हार जायगी और इसका सबसे बड़ा सबूत यह होगा कि शुक्ला जी अपनी सरकार से कह कर रेफरेंडम करा लें। तो यह दलील थोथी है।

दूसरी बात इंटेरिम रिलीफ के बारे में कही गई है कि २५ फीसदी क्यों मांगते हैं ? लेकिन यह २५ फीसदी तो हम इन्टेरिम अवधि के लिए मांगते हैं। हम जानते हैं कि विन्ध्यवासनी प्रसाद वेज बोर्ड बैठाया गया है। वह आगे चलकर अपना फैसला देगा। लेकिन वेज बोर्ड के फैसले में जैसा कि सबको जाहिर है कुछ समय लगेगा। बयानात उसके सामने हो रहे हैं, सारे कागजों को देखना है, बैलेंस शीट को देखना है और इसमें एक दो साल समय लग सकता है। उसके बाद जब फैसला आ जायगा तब गवर्नमेंट भी काफी समय लगायेगी उसके मानने में क्योंकि सरकार की तरफ से कमेटी तो बैठा दी जाती है लेकिन उनके निर्णयों को, उनकी सिफारिशों को सरकार मानती नहीं है। सन् १९४८ में निम्बकर कमेटी बैठायी गई थी। माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि निम्बकर कमेटी की सिफारिशें और उसके निर्णय क्या माने गए ? यही नहीं श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने सन् १९५० में जो वादा किया था कि उस कमेटी की सिफारिशों को किसी विन्ध्यवासनी प्रसाद जज सरीखे व्यक्तियों को बैठाकर उसकी जांच करायेंगे और टैरिफ बोर्ड कमीशन की रिपोर्ट की जांच करायेंगे वह भी नहीं कराया। सरकार कमेटी बैठाती है। डेमोक्रेसी में टालू मिक्सचर पिलाने का जो एक

[श्री उग्रसेन]

तरीका है उसको अख्तियार करके कमेटी तो बैठा देती है लेकिन उसकी सिफारिशों की परवाह नहीं करती। अभी एक रैशनलाइजेशन कमेटी बैठी। उसकी भी सिफारिश मानी नहीं गई। सरकार ने निम्बकर कमेटी बैठायी, उसकी भी रिपोर्ट पर अमल नहीं किया। अब यह वेज बोर्ड बैठा हुआ है। उसकी रिपोर्ट के आने में देर लगेगी। इसलिए हमने २५ प्रतिशत वृद्धि की मांग इंटेरिम अवधि के लिए की है। अभी तृतीय आयोजन में यह मिला है कि हम ६ प्रतिशत आमदनी प्रतिवर्ष बढ़ा देंगे। तो २५ प्रतिशत वेतन में वृद्धि की मांग हम इंटेरिम अवधि के लिए जो कर रहे हैं यह कोई बड़ी वैसी बात नहीं कर रहे हैं। ५५ रुपया जो उनके लिए कम से कम वेतन नियत किया गया है यह फ्लैट रेट पर कर दिया गया है। कोई हिसाब नहीं लगाया गया है। अगर उनके द्वारा लगाये गए हिसाब से वृद्धि दी जाय तो वह ज्यादा आयेगा। १०० रुपये के आस पास आ सकता है। इसलिए यह २५ प्रतिशत की उनके वेज में वृद्धि की मांग करके हम कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं।

तीसरी बात मैं बोनस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। उसमें क्या होता है? बोनस लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, १९५० के फैसले के आधार पर शुगर मिल मजदूरों को देना तय है, उसके बाद आई० एन० टी० यू० सी० जो कि उनकी रिप्रिजेंटेटिव बाडी है, उसका बहुमत है, जिसको रिकाग्नीशन प्राप्त है वह कोई केस दायर कर देती है। बाद में क्या करते हैं कि १०० फीसदी से ६० फीसदी पर समझौता कर लेते हैं। श्रीमन्, एक उदाहरण समझौते का मैं देना चाहता हूं। सन् १९५६-५७ में लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक जो उत्पादन के आधार पर बोनस देना तय हुआ उसके हिसाब से चीनी मिल मजदूरों को १,१९,४६,६८४ रुपया बोनस मिलता था। उसमें आगे बढ़कर समझौता कर लेने से उनको कुल ७१,६८,०१० रुपया ही मिला। अगर यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन का कोई प्रतिनिधि होता, काशीनाथ जी उसमें न बैठे हुए होते तो ६० फीसदी पर समझौता हरगिज न करता। और आगे देखिए। ५५-५६ में भी बराबर डेढ़ करोड़ के बोनस मिलना था और ७२ लाख कुछ रुपये पर समझौता कर लिया। हर साल श्रीमन्, ५० लाख, ४० लाख रुपये की छूट बोनस में से मजदूरों की गाढ़ी कमाई में से आई० एन० टी० यू० सी० के नेता लोग मिल मालिकों से समझौता करके उनको दे देते हैं। और जो सरकार के नुमायन्दे हैं और सरकारी पार्टी के नेता हैं वह क्या पाते हैं? वह पाते हैं चुनाव में चन्दा। पता नहीं काशीनाथ जी क्या पाते हैं। वह भी कुछ पाते होंगे, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मगर जो आधार तय हुआ त्रिदलीय सम्मेलन में उसके नुमायन्दे बन कर मजदूरों का बोनस खा जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से मजदूरों को बोनस नहीं मिल सकता। उनका हिसाब, जो बैलेन्स शीट के आधार पर निकले, वह दिया जाय। बम्बई में भी ऐसा होता है कि आई० एन० टी० यू० सी० के नेता टेक्सटाइल के नेता होने के नाते मुकदमा लगा देते हैं और फिर टेक्सटाइल के मालिकों से मिलकर लेबर मिनिस्टर से समझौता कर लेते हैं और बाकी रुपये का वहां पर बांट हो जाता है।

आई० एल० सी० में आपके नेता हैं। जो वहां का कोड आफ कंडक्ट है वह भी अजीब है। मैं सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कहता हूं कि वह ठीक नहीं है। आई० एल० सी० में भी मजदूर नेता काम करते हैं। वहां पर भी ऐसे समझौते नहीं होते जो कि सिद्धान्त की दृष्टि से ठीक हों। वहां पर भी वही समझौते उसी तरह से होते हैं जैसे कि अमेरिका में होता है। अमेरिका में भी आन्दोलन चला है। वहां पर बड़े-बड़े मसले होटल में बैठकर तय कर लेते हैं। चाय पर बैठ जाते हैं और जो बड़े-बड़े मसले वहां आते हैं तय होते हैं। मजदूरों के नेता भी बैठ जाते हैं और चाय पर बातचीत हो जाती है और फिर बड़े-बड़े मसले तय हो जाते हैं। उसमें क्या होता है। नेता लोग कहते हैं कि इतने तादाद में मजदूरों का हक छोड़ दो और तुम दोनों आबाद रहो। बस वे आपस में मिल जाते हैं। वे इसी तरह से मजदूरों के नेता बनकर, मजदूरों के हितैषी बनकर तय करते हैं। आई० एल० सी० में जाते हैं और वहां पर तय करते हैं। यहां पर यह होता है कि मजदूरों को नीची मजदूरी दिलवाते हैं। इसीलिए मजदूर, यूनियन का मेम्बर होना नहीं चाहता है। उसको बड़ा धोखा हुआ है। उसको यूनियन के धोखे में बहुत नुकसान हो गया है। अब वह डरता नहीं है। लेकिन

हमारा लेबर डिपार्टमेंट एक सफरमैना है वह पीछे-पीछे चलता है। पहले आई०एन० टी० यू० सी० अपना कोई रास्ता दिखाता है तो लेबर डिपार्टमेंट उसके पीछे-पीछे चलता है। उसका ही वह काम करता है।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय मणि जी ने एक बात कही कि रिटेनिंग एलाउन्स मजदूरों के लिए देने की मांग यहां पर है तो किसान भ रहते हैं उनका भी ध्यान होना चाहिए। पारसाल जब गन्ना आन्दोलन चलाया गया तो सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता उस समय सब जेल में थे। माननीय मणि जी के नाम से उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने एक पुस्तक छापी थी कि १ रुपया १२ आना गन्ने का दाम देने के लिए जो सदन ने पास किया है वह क्यों नहीं मिलना चाहिए। मणि जी के नाम से वह ५० हजार के लगभग किताब सारे प्रदेश के लिए छपी होगी। पूरी पूरी वकालत मणि जी ने १ रुपया १२ आना मन गन्ने का दाम न देने की की थी। अब मणि जी कहते हैं कि बोनस मिलना चाहिए रिटेनिंग क्यों मिले। टेक्सटाइल, जूट और चीनी मिल मजदूरों में बहुत अन्तर है। चीनी मिल का मजदूर एक भूमिहीन किसान है। वह मजदूरी भी करता है और अपनी खेती का काम भी करता है क्योंकि वह सीजनल काम होता है। टेक्सटाइल या जूट मिल के काम १२ महीनों तक चलते रहते हैं। चीनी मिल में १२ महीने काम नहीं हो सकता है। चीनी मिल का मजदूर उस समय हड़ताल करता है जब किसान कहता है कि मैं इतने भाव पर गन्ना नहीं दूंगा। हड़ताल तोड़ने में आई० एन० टी० यू० सी० का हाथ ज्यादा रहता है। मालिकों को मजदूरों से लड़ा दिया कि इतना बोनस नहीं मिलेगा। दूसरी मांग करते हैं। जैसा कहा जाता है कि रेल का किराया इस लिए बढ़ता है कि आप विकास कर रहे हैं। थर्ड क्लास की सुविधा नहीं बढ़ती है। एयर कन्डीशन की सहूलियत बढ़ायी जाती है। उसी प्रकार मजदूरों का वेतन नह बढ़ता है। मुनाफा मालिकों के घर में चला जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि किसान इस लिए यह गन्ना नहीं देते कि मजदूर हड़ताल कर देंगे। तो श्रीमन्, जहां तक बोनस का प्रश्न है, रिटेनिंग एलाउन्स का प्रश्न है, २५ प्रतिशत वेतन वृद्धि का सवाल है, यह सब अहम प्रश्न हैं और इन पर सदन को विचार करके राय देनी चाहिए। यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन चीनी मजदूरों की एक मात्र संस्था है और इसको रेफरेंडम करा कर देख लिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(डाक्टर जयगोपाल का नाम पुकारे जाने पर),

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—मैंने जयगोपाल जी को बोलने को कह दिया है, इस लिए इसको इस समय नहीं लिया जा सकता।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, इस समय मदन पांडेय जी का प्रस्ताव हमारे सामने है। उस में पहली चीज उन्होंने यह कही है कि कौन फेडरेशन मान्यता पाये और कैसे। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि जिस फेडरेशन की अक्सरियत हो उसको मान्यता दी जाये, लेकिन अक्सरियत को जानने का जो तरीका पांडेय जी ने बतलाया है उस से मुझे इख्तिलाफ है और उस की वजह यह है कि नैनीताल में जो लेबर कान्फ्रेंस हुई थी, उस में तमाम ट्रेड यूनियनों ने यह तय किया था कि उस संस्था को मान्यता दी जायगी कि जो आल इन्डिया में मान्यता रखती हो और सूबे में उस की ब्रांच या फेडरेशन कम से कम २५ परसेंट मेम्बरशिप रखती हो। तो अगर पांडेय जी चाहते हैं कि उन के फेडरेशन को मान्यता मिले तो उनको यह दिखलाना होगा कि उन के पास चीनी मिल मजदूरों के कम से कम २६ प्रतिशत मजदूर हैं और अगर वह यह दिखला सकें तो वह मान्यता के मुस्तहक हैं।

[डाक्टर जयगोपाल]

दूसरी चीज जो इसके मुताल्लिक में अर्ज करना चाहता हूं वह यह कि मान्यता के बारे में एक ऐसा उसूल है कि जिस को आई० एल० ओ० और हमारी नैनीताल की कान्फ्रेंस ने तस्लीम किया है। इस साल यह सवाल पैदा हुआ कि हिन्दुस्तान से कौन नुमाइन्दा हो कर आई० एल० ओ० में जाय। ट्रेड यूनियन कांग्रेस और आई० एन० टी० यू० सी० दोनों उम्मीदवार थीं। आई० एल० ओ० ने रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स की मार्फत इस बात की तहकीकात की कि किस का प्रतिशत ज्यादा है और जिसका प्रतिशत ज्यादा था उस को मुस्तहक माना गया, आई० एल० ओ० में जाने के लिए। इस लिए अगर वह फेडरेशन २६ प्रतिशत मेम्बरशिप रखता है तो वह रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन से इस बात को तय कराये। और रजिस्ट्रार उन फार्मों पर इस चीज को तय करता है कि जो मदन पांडेय जी के फेडरेशन के ओहदेदारान अपने दस्तखत से भर कर उसके यहां भेजते हैं। अगर वह ठीक रिपोर्ट भी रजिस्ट्रार को नहीं दे सकते तो इस से ज्यादा कमजोरी और मुसीबत क्या हो सकती है और उन को मान्यता दिलाने में उन की मदद कौन कर सकता है ? दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले साल इस यूनाइटेड फेडरेशन ने कुछ मांगों को लेकर, स्ट्राइक का नारा दिया। उस में उन की कामयाबी कितनी हुई, वही इस बात को जाहिर करती है कि उन के पीछे कितने आदमी हैं।

दूसरी बात यह कि जो उन्होंने तरीका पेश किया है कि सीधा वोट हो उस में कई चीजें पैदा होती हैं। कुछ तो लेबर अन-अटैच्ड होता है, इन्डिपेंडेंट होता है, उसका क्या होगा और वह आदमी नियमावली के मुताबिक बाकायदा मेम्बर नहीं माना जायगा जिस ने साल में कायदे से चन्दा न दिया हो। तो यूनियन में इस तरह के लोग रहते हैं। तो यह जो पुराना तरीका है यह डिफेक्टिव है। आज जिस चीज को हिन्दुस्तान और सारी दुनिया में मान लिया गया है, वह उचित है और मैं यह ऐलान करते हुए कहना चाहता हूं कि आई० एन० टी० यू० सी० को हरगिज मान्यता नहीं रखनी चाहिए अगर उस के पीछे अक्सरियत नहीं है और वह हर वक्त इस बात के लिए तैयार है कि इन माने हुए तरीकों से अक्सरियत की जांच करा ली जाय। जहां तक सन् १९५० की बात का जिक्र किया जाता है, यह मानने में मुझे कोई एतराज नहीं कि आई० एन० टी० यू० सी० हार गयी थी, युनाइटेड चीनी मिल फेडरेशन जीत गयी थी। मगर इसके बाद यह भी कहना गलत है कि सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी। सरकार ने उसको मान्यता दी। उनसे कहा कि वर्क्स कमेटी में अपने नुमाइन्दे भेजो। उन में दो पार्टियां हो गयीं, दो लीडरशिप की दो लिस्टें आयीं। वाकया यह है कि "कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा"। उसे लीडरशिप में जीत हुई, वोटिंग में वह जरूर हारी, मगर बतौर मौजूदा लीडर के वह जीती और अपनी मान्यता पायी। तो अपनी कमी को दूसरे के सर मढ़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।

दूसरा सवाल यह है कि २५ फी सदी तनख्वाह में बढ़ोत्तरी की जाय। यह वह नारा है जिसको गुलजारीलाल नन्दा ने १९५६ के एलेक्शन में अहमदाबाद में मजदूरों को ऐड्रेस करते हुए दिया था, जिस बात को सख्ती के साथ आई० एन० टी० यू० सी० ने बैक किया है और आज उसी नारे के मुताबिक वेज बोर्ड बन गया है। पांच फीसदी की इन्टेरिम तरक्की भी दी गयी है। २५ फी सदी क्यों नहीं दी जाती एक साथ ? दो एक सवाल उस के बारे में आकर खड़े हो जाते हैं। वेज बोर्ड को सिर्फ तरक्की ही नहीं देना है, बल्कि ओहदों को स्टैन्डरडाइज करना है और जाब का वैल्युएशन भी करना है। वह दोनों क्या चीज हैं ? एक पैन-मैन है। एक फैक्टरी में उसको ४५ रुपया तनख्वाह मिलती है, दूसरी में ३५ रुपये तनख्वाह है, तीसरी में ७५ रुपया होती है, तो इसके लिए एक ला होना चाहिए कि यहां से भर्ती हो और यहां से तब सब जगह मजदूर जायं मुख्तलिफ जगहों के लिए। लेकिन एक आदमी पेटी ढोता है, एक ब्वायलर में से आग निकालता है और सब को २ रुपया रोज, १५ रुपया मिलता है, यह उचित नहीं है। जो पेटी ढोता है उसका हार्ड वर्क होता है, उसके लिए ९ पैसे, आना दो आना ज्यादा दिया जाय, लेकिन जो ब्वायलर में से आग निकालता है उसका जाब जरा टेक्निकल है, तो उसको अलग से पैसा दिया जाय। अगर वेज बोर्ड इन चीजों को ठीक करने की राय रख रहा हो तो

एक दम तनख्वाह बढ़ा देने की बात कैसे हो सकती है ? इसका नतीजा यह होगा कि सब चीज गड़बड़ चौथ हो जायगी, कोई सिलसिलेवार चीज का रहना मुश्किल हो जायगा । तो जहां तक यह है कि आई० एन० टी० यू० सी० २५ फीसदी मजदूरों की तनख्वाह बढ़े, इसके हक में नहीं है, यह गलत है, बल्कि वह उस तरीके में विश्वास रखती है जिसको आल इन्डिया लेबर कान्फ्रेंस में हमारे मोअज्जिज दोस्त तस्लीम करते हैं, माकूलियत की बिना पर तस्लीम करते हैं । मगर जब बाहर निकल कर आते हैं तो १०-२० हजार मजदूरों के अन्दर मांग रखेंगे, आन्दोलन करेंगे, झगड़ेंगे और जो लीडरशिप को कायम रखने के तरीके हैं उन पर अमल करेंगे । यह भूल जाते हैं कि हमने क्या वादे किये थे और किन चीजों को देख कर आये थे । अगर मैं यह कहूं कि मेरे नेता, तुम अपने ही को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते, जो दूसरों को बताते हो उस पर चलने की कोशिश क्यों नहीं होती ? अगर यह करो तो हाउस में जो चीजें पेश की गयी हैं उनको पेश करने की कतई जरूरत पेश न आती । हो सकता है कि हमने गलती की हो ।

तीसरी चीज जो आपने पेश की है वह रिटेनर की बात है । जहां तक रिटेनर का ताल्लुक है उस बारे में सन् १९३८ से लेकर १९५५ तक यू० पी० सरकार मुख्तलिफ तरीकों से, कंटीज से, ऐजुडीकेशन से, और तरीकों से कोशिश करती रही है कि मजदूर को अच्छा रिटेनर मिले । इस समय यू० पी० के अन्दर स्किल्ड वर्कर को ५० पर्सेन्ट रिटेनर मिल रहा है, सेमी स्किल्ड को ५० परसेंट मिल रहा है लेकिन अनस्किल्ड को वाकई इस वक्त रिटेनर नहीं मिल रहा है । उसके बारे में जो एक लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, जब वह हुआ था, ट्रीपार्टाइट कान्फ्रेंस के जरिये से हुआ था और उसमें एक व्यू यह लिया गया था कि चूंकि अनस्किल्ड वर्कर ऐसा है कि जिसको आफ सीजन में कहीं न कहीं कुछ काम मिल जाता है इसलिए रिटेनर की कोई जरूरत नहीं है और स्किल्ड वर्कर चूंकि उस को पार्ट-टाइम काम नहीं मिलता इसलिए उसको रिटेनर दिया जाय और यह चीज चलती रही थी ।

जहां तक बिहार का ताल्लुक है, वहां का रिटेनर का जो तरीका है वह कुछ यू० पी० से अच्छा नहीं है । बिहार में स्किल्ड को ५० फी सदी मिलता है और सेमी-स्किल्ड को २५ फी सदी देते हैं और अनस्किल्ड को ५ फी सदी मिलता है । यू० पी० और बिहार में मुकाबला करने में सिर्फ अनस्किल्ड का ही ५ फी सदी ज्यादा होता है जब कि यू० पी० के अन्दर अनस्किल्ड रिटेनर नहीं पाता और सेमी स्किल्ड भी ५० फी सदी पाता है और जहां तक रुपये की क्वान्टिटी का सवाल है वह भी कम नहीं है । इस बारे में आप को मालूम होगा कि १९५७ में Tripartite कान्फ्रेंस के जरिये से तय हो गया है कि यहां के मिल मालिक ५ फी सदी रिटेनर रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट के साथ मजदूरों को देंगे बशर्ते कि बिहार का रिटेनर का मुकदमा जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है वह कामयाब हो जाय । मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन सी चीज सरकार ने या आई० एन० टी० यू० सी० ने ऐसी कर ली है जो मजदूरों के हित के खिलाफ जाती हो ? अब एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक बिहार का ताल्लुक है वहां पर एक और मसला पेश हुआ, जिस वक्त सन् १९५५ में यह एवार्ड हुआ कि रिटेनर ५० फी सदी, २५ फी सदी और ५ फी सदी के हिसाब से दिया जाय तो सुप्रीम कोर्ट में मैनेजमेंट गया और स्टे आर्डर ले लिया और इसी तरह से एक दूसरा एवार्ड हुआ ....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य के दो मिनट और रह गये हैं ।

डाक्टर जयगोपाल—इसके बाद बोनस वाली बात आती है । जहां तक बोनस का ताल्लुक है इसके सम्बन्ध में आई० एन० टी० यू० सी० के लिए जैसे खयाल माननीय पांडे जी ने जाहिर किये हैं वह बिलकुल गलत हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सन् १९४९-५० का बोनस सन् १९५१ के ऐवार्ड के मुताबिक मिला । उसके बाद सन् १९५३-५४ में एक लाख से दो लाख

[डाक्टर जयगोपाल]

पर ढाई आने, दो लाख से साढ़े ३ लाख तक ५ आने, साढ़े तीन लाख से ५ लाख तक साढ़े सात आने और ५ लाख से ऊपर १० आने हो गया, यह ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस में समझौते से तय हो गया था और एक साल तक चला और आगे के साल तक चलता रहा है। सन् ५४--५५ में जो मामले अदालत में गये थे उसमें आई० एन० टी० यू० सी० ने मांग की थी कि एक लाख के ऊपर ७ आने, दो लाख से साढ़े तीन लाख तक १४ आने, साढ़े तीन लाख से पांच लाख मन तक एक रुपया ५ आना और इस से ऊपर १ रुपया १२ आना मन दिया जाय . . . .

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प श्री मदन पांडेय जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही इस में जो संशोधन माननीय गेंदासिंह ने रखा है उसका भी समर्थन करता हूं।

(इस समय ४ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसके पूर्व कि मैं मुख्य विषय पर अपने विचार प्रकट करूं मैं माननीय मदन पांडेय जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने चीनी उद्योग में लगे हुये मजदूरों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर के उन की प्रमुख समस्याओं को हल करने के लिए यह संकल्प प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, इस संकल्प के ४ खण्ड हैं लेकिन इसका केन्द्र बिन्दु वह खंड है जिसमें उन्होंने कहा है कि चीनी उद्योग में सर्वाधिक प्रतिनिधि मूलक महासंघ को ही मान्यता देने के लिए राज्य की चीनी मिलों में मतगणना करायी जाय। सन् १९५० की १६ फरवरी को एक प्रेस नोट निकाल कर नोटिफिकेशन से सरकार ने यह निश्चय किया कि किस यूनियन को मान्यता प्रदान की जाय और उस समय के श्रम मंत्रीजी ने यह उचित समझा कि इस प्रश्न का निराकरण मजदूरों के मत-दान से करा लिया जाय और १६ मार्च को यह बात निश्चय हो गयी कि यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को ७० प्रतिशत मजदूरों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसी आधार पर उस फेडरेशन को मान्यता प्रदान की गयी। लेकिन धीरे-धीरे यह प्रयत्न होता रहा कि उस मान्यता को समाप्त किया जाय। मैं इस बात को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता कि किसी यूनियन के ऊपर मजदूरों का विश्वास बढ़ा और फिर भी किसी पर घटा हो और उस के आधार पर किसी यूनियन की सदस्य संख्या बढ़ी हो और किसी की घटी हो। लेकिन मुझे यह आशा थी कि मदन पांडेय जी के संकल्प का सरकारी पक्ष की ओर से खास तौर से स्वागत किया जायगा क्योंकि उनका दावा है कि ३६,००० मजदूर उनकी यूनियन के अन्तर्गत हैं और उनका विश्वास हर तरह से उन को प्राप्त है। लेकिन सरकारी पक्ष ने इस संकल्प का विरोध किया और यह कहा कि लेबर कान्फ्रेंस में मजदूरों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने आंकड़े प्रस्तुत किये कि किस महासंघ को कितने यूनियनों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। एक और तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि रजिस्ट्रार के यहां जो सदस्य-संख्या भेजी गयी है उस में जिस यूनियन को इस समय मान्यता प्राप्त है उस की सदस्य-संख्या ज्यादा है। एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया कि जिस फेडरेशन को इस समय मान्यता प्राप्त है उसके अन्तर्गत अधिक यूनियनें हैं। लेकिन जिस ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस का यहां पर हवाला दिया जा रहा है उस में यह भी निश्चय हुआ था कि हम किस यूनियन को मान्यता प्रदान करें। आज भी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय श्रम मन्त्री जी ने कहा कि ट्रेड यूनियन को मान्यता प्रादन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। और इस सम्बन्ध में ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस ने यह निश्चय किया था कि ट्रेड यूनियनों की ऐच्छिक

मान्यता के सम्बन्ध में एक क्राइटेरिया निर्धारित कराया जाय और ट्रेड यूनियनों की सदस्यता के प्रमाणीकरण की भी एक पद्धति स्वीकृत हुई। उसके सम्बन्ध में वहां पर एक नियम भी बना। हमारे देश में चीनी के दो फेडरेशन अपने ढंग के निराले हैं। ऐसा किसी उद्योग में नहीं है कि दो फेडरेशन हों और उन की सदस्य-संख्या भी लगभग बराबर हो। ऐसा होते हुये मैं कोई कारण नहीं पाता कि एक फेडरेशन को तो शत प्रतिशत मान्यता प्रदान की जाय और दूसरे को हर तरह से उपेक्षा की जाय।

मान्यवर, इस संकल्प में वेतन में २५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी की मांग है। हमारे प्रदेश में सन् १९३९ से १९४९-५०तक ३६ रुपये वेतन था लेकिन ४९–५०में यह ५५ रुपये कर दिया गया। अब इस बात की फिर मांग की गयी है कि उस में किसी न किसी तरह की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए और मांग यह की गयी कि २५ प्रतिशत इजाफा किया जाय। मान्यवर, आन्ध्र, मैसूर और महाराष्ट्र में चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूरों को ७० रुपये मिलते हैं। हमारे प्रदेश में ५५ रुपये मिलते हैं जब कि चीनी के दाम हमारे यहां ज्यादा हैं और गन्ने के कम हैं। कहा जाता है कि अगर २५ प्रतिशत वेतन बढ़ा देंगे तो इसे चीनी उद्योग बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं इस सम्बन्ध में इतना निवेदन कर दूं कि जब वहां ७० रुपया मिलता है और यहां ५५ रुपया मिलता है तो इस में १५ रुपये का अन्तर है। ५५ रुपया पर २५ प्रतिशत १३ ३/४ रुपया होता है जिसके बढ़ाने से यहां भी वेतन लगभग ७० रुपया हो जाता है। इसलिए इस प्रस्ताव में जो २५ प्रतिशत बढ़ाने के लिए कहा गया है वह न्यायोचित है। बजट अधिवेशन में जब श्रम अनुदान प्रस्तुत किया गया था उस समय भी इस प्रश्न को उठाया गया था और श्रम मन्त्री जी ने बड़ी खूबी के साथ बताया था कि वेज बोर्ड की स्थापना हो गयी है और इन्टेरिम रूप में ५ रुपये की वृद्धि भी कर दी गयी है जो कि इसलिए काफी है कि अगर वेज बोर्ड ने ३-४ रुपया ही बढ़ाना उचित समझा तो मजदूर इस हालत में नहीं होंगे कि वह ज्यादा पाये हुये रुपये को लौटा सकें। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि जब दूसरे प्रदेशों में यहां से अधिक वेतन मिल रहा है तो कोई कारण नहीं कि यहां पर २५ प्रतिशत उन के वेतन में बढ़ोत्तरी न की जाय।

तीसरा प्रश्न इसमें यह है कि मजदूरों को लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अनुसार बोनस प्रदान किया जाय। अगर इस विषय में चीनी मिलों में लगे हुए मजदूरों में दोनों संस्थाओं के मध्य रिफ़ेन्डम करा लिया जाय तो इस बात का फैसला हो जाय कि किस यूनियन के ज्यादा रिप्रेजेन्टेटिव्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। चूंकि लेबर ट्रिब्यूनल का फैसला मिल मालिकों के पक्ष में नहीं था इसलिए सरकार ने यही उचित समझा कि उस फैसले को लागू न किया जाय और उसको रोक लिया और एक नया तरीका ईजाद किया। अब हर साल एक कमेटी बैठती है। वह फैसला करती है कि मजदूरों को कितना बोनस मिलना चाहिए और लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो स्केल ले-डाउन किया था उस स्केल से पीछे हट कर मजदूरों को कम बोनस दिया जा रहा है और इस प्रकार से हर साल ५० से ८० लाख रुपये के लगभग मजदूरों को कम बोनस मिलता है। कहा यह जाता है कि मजदूरों, मिल मालिकों और सरकार के मिले हुए नुमाइन्दों की तरफ से इस तरह का फैसला होता है इसलिए मजदूरों को उसे मानना चाहिए। इस सम्बन्ध में हम सरकार के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि उसने जो यह तरीका अपनाया है उस तरीके से मजदूरों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। यदि मिल मालिक उचित समझते थे कि ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है वह उचित नहीं है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन वह नहीं गये। लेकिन इसको सरकार ने ही लागू नहीं किया।

मान्यवर, रिटेनर के सिलसिले में यह कहा गया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने यह नहीं बताया कि इन्डस्ट्री कहां तक इसको बरदाश्त कर सकती है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। आज तक चीनी इन्डस्ट्री सब कुछ बरदाश्त करती चली आयी है-- १९५२ का चुनाव फन्ड कांग्रेस का उसने बरदाश्त किया, १९५७ का कांग्रेस का चुनाव फन्ड उस ने बरदाश्त किया, लेकिन आज कहा जाता है कि मजदूरों का रिटेनिंग अलाउन्स

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

वह बरदाश्त नहीं कर सकते। हमारे ही पड़ोस में बिहार है। वहां पर चीनी मिल मजदूरों को जो बोनस मिलता है वह यहां से अधिक मिलता है जबकि वहां की मिलों की हालत यहां से ज्यादा खराब है। यहां से कम उत्पादन वहां होता है। जितनी मजदूरी यहां दी जाती है उससे ज्यादा वहां दी जाती है। तिस पर भी बोनस वहां ज्यादा दिया जाता है। वहां पर करीब-करीब हर मजदूर को रिटेनिंग अलाउन्स प्राप्त हो जाता है। इसके प्रतिकूल सरकारी पक्ष से यह कहा जाता है कि सीजनल काम करने वाले मजदूरों को किसी तरह का रिटेनिंग एलाउन्स नहीं प्रदान किया जाना चाहिए। और वह सिर्फ इस लिए है कि चीनी मिल के मालिकों और सरकार के बीच जो एक बड़ा प्रेम का सम्बन्ध है, जो एक दूसरे के नजदीक हैं उस के कारण ही इस तरह की सुविधा चीनी मिल के उद्योग मालिक उठा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज इस बात की जरूरत है कि आज यह सदन बड़े हिम्मत के साथ और बहुत अच्छी तरह विचार कर के इस बात का फैसला करे कि जो मिलों में काम करने वाले सीजनल वर्कर्स हैं उनको रिटेनिंग एलाउन्स अवश्य प्रदान किया जाय। वे सिर्फ तीन चार महीने तक तनख्वाह पाने के बाद ६, ७, ८ महीने तक बेकार बैठे रहते हैं। तो इस अर्द्ध बेकारी के सिलसिले को दूर करने के लिए यह परम आवश्यक है कि उनके परिवार के भरण पोषण के लिए यह रिटेनिंग एलाउन्स दिया जाय। अगर इन्हें यह अलाउन्स नहीं प्रदान किया जायगा तो मैं समझता हूं कि यह उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी और एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। इस प्रकार जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन भी इसी राय में होगा।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सदन में चीनी मिल मजदूरों के हकों के सम्बन्ध में विचार करने के लिए श्री मदन पांडेय ने जो संकल्प उपस्थित किया है उससे ऐसा जान पड़ता है मानो सरकार को इन चीजों का खयाल नहीं है। चार चीजें उन्होंने इसमें रखी हैं। पहली के द्वारा तो वे मान्यता के लिए मतगणना कराना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक जब यूनियन में इस संस्था का बहुमत नहीं हो सका तो इस तरह का प्रश्न उठाना यह कुछ उचित-सा नहीं प्रतीत होता। जब एक नियम बना हुआ है कि उसी संस्था को मान्यता मिलेगी जिस संस्था के सदस्यों की संख्या उसकी यूनियन के द्वारा देख कर अधिक होगी, तो फिर जनमत गणना कराने की मांग करना, इससे कुछ ऐसा मालूम होता है कि जैसे वह किसी खास उद्देश्य से, किसी खास पार्टी स्पिरिट से या किसी खास पार्टी का विरोध करने के लिए एक असम्भव मांग उपस्थित कर रहे हैं।

इस तरह की मांग से मजदूर संगठन को बहुत काफी धक्का पहुंच सकता है। जब एक नियम बना हुआ है कि उसको यूनियन का मेम्बर होना चाहिए और मेम्बरों की संख्या के आधार पर ही मान्यता मिलनी चाहिये तो इस चीज को उपस्थित करके मेम्बरों को इधर से विरत करना है कि वे यूनियन नहीं बनावें बल्कि यूनियन से अलग होकर इस तरह की चीजों की आशा लगावें, जो उनके काज को चिरन्तन के लिये हानि पहुंचा सकती है। यह एक ऐसी चीज है जो मजदूरों का ध्यान आकृष्ट करती है कि वे यूनियन बनावें और मजदूर संगठनों को उसी समय बल प्राप्त हो सकता है जब उनको यह विश्वास हो कि हम यूनियन बना कर अपनी मांगें पूरी करा सकते हैं और सरकार से हमको मान्यता मिल सकती है जब कि हम बहुमत में होंगे। इस तरह से एक कम्पटीशन की भावना उनके भीतर रहेगी और वे राजनीतिक चेतना भी अपने भीतर लाने की चेष्टा करेंगे। हर यूनियन को देखेंगे, उस पार्टी के संगठन को देखेंगे और उनके संगठन के नियमों को सोच समझ कर, लिख पढ़ कर और उनके मेम्बर बन कर सरकार की मान्यता प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। यह मांग एक ऐसी असम्भव मांग है जो मेरी समझ में मजदूरों के हित के बिलकुल खिलाफ पड़ेगी और मजदूरों की भलाई चाहने वाले श्री मदन पांडेय जी को इस तरह की मांग को हरगिज उपस्थित नहीं करना चाहिये था। एक दूसरी मांग उन्होंने रखी है कि चीनी मजदूरों का वेतन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

२५ प्रतिशत बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिये, कौन सा तर्क उनके पास है कौन से वह कारण हैं जिनके आधार पर वह २५ प्रतिशत वेतन बढ़ाने की बात करते हैं यह चीज हमारी समझ में नहीं आई। क्यों न ५० प्रतिशत या शत प्रतिशत वृद्धि उसमें की जाय ? इसका कोई उसूल होना चाहिये। वेतन का उसूल, जिस दल के जैसे विचार होते हैं उसी के अनुसार हर दल के सिद्धान्त होते हैं। पूंजीवादी सिद्धान्त अलग होते हैं और समाजवादी सिद्धान्त अलग होते हैं। पूंजीवादी सिद्धान्त सप्लाई और डिमान्ड के सिद्धान्त पर निर्भर हैं और समाजवादी सिद्धान्तों का निरूपण काम और काम की शक्ति और उत्पादन आदि चीजों पर निर्भर है, यह भी उसमें देखा जाता है कि कितनी चीजें बनती हैं। कितना समय लगता है और उनकी आवश्यकतायें क्या हैं। इन सब चीजों को देखकर वेतन निश्चित किया जाता है। उन्होंने समाजवादी आधार पर यह वेतन मांगा है या पूंजीवादी आधार पर, क्या सिधान्त है क्या आधार है यह बिलकुल स्पष्ट नहीं होता। जो भाषण उधर से सुनने को मिले उनसे भी यह जरा भी प्रतिध्वनित नहीं हुआ कि कौन सा सिद्धान्त उस मांग के पीछे है।

एक सिद्धान्त जरूर देखने को मिला कि आज हमारे देश में मजदूरों का संगठन करने वालों में इतना द्वेष इतनी प्रतिस्पर्धा, इतना संघर्ष बढ़ता जा रहा है कि मजदूर आन्दोलन पर धक्के पर धक्का लगता चला जा रहा है और जो आशा की जाती थी और जो हमारी घोषणा थी कि देश में किसान और मजदूरों का राज्य होगा और मजदूरों का देश में एक विशाल संगठन होगा वह पूरी नहीं होने पाती। आज अनेक मशरूम आर्गेनाइजेशन्स जिसको कहते हैं, छोटे छोटे संगठन, टुकड़ों-टुकड़ों में बिखर कर अलग-अलग काम कर रहे हैं और मजदूरों को बहका कर उनके आन्दोलन को पूरा धक्का पहुंचा रहे हैं। यह उसूल कोई अच्छा उसूल नहीं है। आज भले ही सदन में कोई मजदूरों का हिमायती अपने को दिखाने का प्रयत्न करे और अखबारों में और दूसरी ज ह पर मजदूरों का हिमायती बनने का दावा करे, लेकिन इस समस्या पर हमें ठंडे दिल से, गम्भीरता के साथ विचार करना होगा और किसान और मजदूरों के हिमायती लोगों को पहले अपने चरित्र को सुधारना होगा, जब तक हमारे चरित्र ठीक नहीं होते, जब तक हम मजदूरों के हित को दृष्टिकोण में रखकर, अपने स्वार्थों को अलग करके, अलग-अलग आपसी कशमकश को हटाकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और मजदूरों के व्यापक दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार नहीं करते तब तक मजदूरों का भला नहीं हो सकता। हमारे समझ में जो मांग पेश की गई है वह मांगे मजदूरों के व्यापक हित और स्वार्थ को सामने रखकर नहीं पेश की गई है, बल्कि सदन में और बाहर यह दिखलाने के लिये पेश की गई हैं कि चीनी मिल मजदूरों के अगर सब से बड़े हिमायती हैं तो हम हैं और यही उद्देश्य इस संकल्प के उपस्थित करने के पीछे मालूम होता है। जो भाषण इसके पक्ष में हुए हैं उनसे भी यही प्रतीत होता है कि वह दिखाना चाहते हैं कि हम ही मजदूरों के सच्चे हितैषी हैं। जहां तक सरकार का संबध है वह एक विशाल संस्था के पीछे काम कर रही है जिसकी कि घोषित नीति है मजदूर और किसानों का हित करना और जिसके सामने मजदूरों के उत्थान का एक नक्शा है, जिसके सामने किसान मजदूर की समस्याओं की एक तस्वीर है, जिसको सामने रखकर वह संस्था काम कर रही है। बिना किसी नक्शे के, बिना किसी तस्वीर को सामने रखे हुए इस प्रकार की मांग का रखना सामंजस्यपूर्ण नहीं है। उससे तो केवल यही उद्देश्य प्रतीत होता है कि लोगों को और इस सदन के सदस्यों को यह जानकारी हो जाय कि सिवा हमारे मजदूरों का कोई हितैषी नहीं है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य विशेष नहीं प्रतीत होता।

बौनस की बात कही गई कि लोगों को बोनस नहीं मिलता। कैसे मिलता है, कितना मिलता है, क्या होता है यह कुछ मजदूरों की तरफ से कोई बात नहीं आई, नेता लोग मजदूरों का मुंह बन जाते हैं यह कौन-सा सिद्धान्त है, कहां का सिद्धान्त है ? दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है और खासतौर से मार्क्सवाद के लोगों को तो इस बात को जानना चाहिये कि कभी भी जनता को प्रेसक्रिप्शन नहीं दिया जाता है कि हम कहते हैं कि ऐसा करो बल्कि जनता की ओर

[श्री रामलक्षण तिवारी]

से जो चीज आती है उसी को लेकर नेता को लड़ना होता है, उसको एक संगठितरूप में रखना होता है। अगर नेता खु बिना जनता की मांग के कई चीज लेकर चले और कहे कि मैं यह कहता हूं कि तुम्हें ऐसा करना होगा तो वह तो डाक्टर का प्रेसक्रिप्शन हुआ। यह बात मार्क्सवाद और समाजवाद में नहीं है और पूंजीवाद में तो उसकी गुंजाइश है ही नहीं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस वजह से इस मांग को पेश किया गया।

माननीय मदन पांडेय जी एक ऐसे नेता के पीछे हैं जो कुछ अपने सिद्धान्तों को आज तक निश्चित नहीं कर सके कि हमें किस सिद्धान्त पर विश्वास करना चाहिए और कभी किसानों में, कभी मजदूरों में एक अलग तहरीक चलाना शुरू कर देते हैं। उसी का नतीजा है कि न उनका कोई संगठन हो पाता है और न इस देश को कुछ उनसे लाभ पहुंचता है। बल्कि जिस क्षेत्र में इस तरह के लोग काम करते हैं उस क्षेत्र को, वहां की जनता को और वहां की राजनीतिक पार्टियों को बहुत ज्यादा धक्का लगता है। कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों को भी ऐसे लोगों से बड़ा खतरा हुआ करता है जिन लोगों का कोई सिद्धान्त न हो, कोई कार्यक्रम न हो, कोई घोषणा-पत्र न हो। तो मैं समझता हूं कि यह जो संकल्प पेश किया गया है वह ठीक नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी राम लक्षण तिवारी जी का भाषण बड़े गौर से सुना। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि माननीय तिवारी जी उस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़े हुए हैं जिसमें मजदूरों के वेतन बढ़ाने की मांग की गई है, जिसमें मजदूरों के लिये इस बात की मांग की गई है कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिले, उनकी यूनियनों को ठीक ढंग से रजिस्ट्रेशन मिले और मजदूरों को रिटेनर मिले। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाला व्यक्ति अपने को मजदूरों का हितैषी कहे और उस प्रस्ताव के पेश करने वाले को मजदूरों के आन्दोलन का विरोधी कहे तो मैं समझता हूं कि ऐसी बात वही आदमी कर सकता है जिसका दिमाग फिर गया हो। वरना इस प्रस्ताव का विरोध करने वाला अपने को मजदूरों का हितैषी कहे, यह अजीब बात है। माननीय मदन पांडेय के प्रस्ताव में यह साफ है कि उन मजदूरों के संगठनों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जो बहुमत में हों। यह एक प्रजातंत्र का माना हुआ सिद्धान्त है। मैं समझता हूं कि माननीय बहुगुणा जी भी जो स्वयं बहुत अर्से तक मजदूर आन्दोलन से संबंधित रहे हैं, इस बात को मानने में नहीं हिचकेंगे। जब १५ मार्च सन् १९५० को इस बात की मतगणना कराई गई कि कारखानों में किस मजदूर संगठन का बहुमत है और जब उससे सिद्ध हुआ कि यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन में मजदूरों की संख्या ७१ फीसदी है और आई० एन० टी० यू० सी० में केवल २९ फीसदी है तो उसके बाद इस बहुमत वाले संगठन को मान्यता न प्रदान करके २९ फीसदी वाले संगठन को प्रतिनिधित्व देना कहां का न्याय है? यह किस प्रजातंत्र का सिद्धान्त है? उसके बाद आज इस सदन में मांग की जा रही है कि आप रेफरेन्डम कराइए। अगर मजदूर आपके पीछे चलता है तो हम मांग करना छोड़ देंगे। इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि मजदूरों की यूनियनों का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भेद भाव की नीति बरती जाती है। जब विरोधी दल वाले अपनी यूनियनों के रजिस्ट्रेशन के लिये दरख्वास्त देते हैं तो बड़े पैमाने पर विक्टेमाइजेशन होता है। उसके रजिस्ट्रेशन में आवश्यकता से अधिक विलम्ब किया जाता है और सरकार इस बात का नाजायज फायदा उठाना चाहती है। सरकार के इशारे पर चलने वाली आई० एन० टी० यू० सी० पुंजीपतियों के हितों की रक्षा करने वाली यूनियन को रजिस्ट्रेशन दिया जाय यह कहां तक उचित है? इसलिये जरूरत है कि प्रत्यक्ष रूप से जो चुनौती दी गई है और सरकार की नीयत साफ है तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी माननीय उपमंत्री जी ने कहा कि मोदीनगर की मिल में दो यूनियन्स हैं। विरोधी-दल के संरक्षण में जो यूनियन चल रही है उसने लिख कर भेजा है कि उसके पीछे २,९०० मजदूर हैं। क्यों नहीं सरकार उसकी जांच कराती कि यह बात सही है, या गलत। अगर सही है तो जिस यूनियन को मान्यता दे रखी है, जिसके पीछे इतने मजदूर नहीं हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैन्सिल करके दूसरी यूनियन को दिया जाता जिसके पीछे २,९०० मजदूर हैं? लेकिन सीधी सी मांग को सरकार ठुकराती है।

इसके अलावा जब यूनियन्स के जलसे होते हैं उसमें विरोधी यूनियन्स के सदस्य भाग लेने जाते हैं तो अव्वलन तो उनको छुट्टी नहीं दी जाती है और अगर छुट्टी मिल भी जाती है तो जब लौट कर आते हैं उनके ऊपर बड़े पैमाने पर हमला होता है, नौकरियों से वे निकाले जाते हैं, तरह-तरह से उन्हें परेशान किया जाता है और जब वे ऐडजुडिकेशन की मांग करते हैं तो उनके मुकदमों पर सालों विचार नहीं किया जाता और जिन मामलों को आई० एन० टी० यू० सी० भेजती है उन मामलों पर जल्दी विचार किया जाता है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार भेदभाव की नीत दिखाती है। इसलिये आवश्यक है कि जो प्रस्ताव है उसको माना जाय। माननीय जयगोपाल जी ने कहा कि अनस्किल्ड बेकार लेबर को कहीं न कहीं काम मिल जाता है, इसलिये रिटेनर देने का सवाल नहीं है। क्या सरकार के पास आंकड़े हैं जिनसे मालूम हो सके कि जो मजदूर चीनी मिलों में काम करते हैं और ६ महीने से अधिक बेकार रहते हैं उनमें से किसको कहां-कहां काम मिला है? केवल कल्पना कर लेने से काम नहीं चला करता। बिहार की सरकार तो दे और यहां की न दे यह एक अजीब सी भेदभाव की नीति मालूम होती है।

गन्ने की कीमत की बात है। इसी सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि गन्ने के दाम १ रुपया १२ आने मन होना चाहिये। माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी द्वारा लिखी एक पुस्तक को सूचना विभाग के द्वारा बांटा गया उससे सदन को जाहिर है कि जनता की मांग को सरकार ठुकराना चाहती है। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमारी विवशता है, केन्द्रीय सरकार हमारी बात नहीं मानती, यद्यपि हम भी चाहते हैं कि १ रुपया १२ आने मन गन्ने का दाम मिले किसानों को, लेकिन उस मांग को प्राप्त कराने के लिये जब आन्दोलन चलता है तो माननीय मुख्य मंत्री आंकड़े पेश करते हैं, मिल मालिकों की वकालत करते हैं और कहते हैं कि मिल मालिक को मुनाफा बहुत कम होता है, ऐसी हालत में गन्ने के दाम नहीं बढ़ सकते। १९४७ में जब चीनी का भाव २१ रु० मन था उस समय गन्ना २० आने मन बिकता था। सीधी सी बात है जितने आने मन गन्ना बिकता है उतने रुपये मन चीनी मिलनी चाहिये। आज प्रदेश के अन्दर चीनी का भाव काफी बढ़ गया है, गांव में तो डेढ़ रुपया सेर तक चीनी मिलती है और थोक भाव ३७ रुपया मन है। तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि गन्ने की कीमत २ रु० ६ आने मन होना चाहिये? लेकिन हम तो उससे कम मांग रहे हैं केवल १ रु० १२ आने मन। माननीय तिवारी जी कहते हैं कि समझ में नहीं आता गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग क्यों की जाती है? समझ में नहीं आता कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ानें की मांग क्यों की जाती है। आपकी समझ में यह नहीं आयेगा और इसलिये नहीं आयेगा कि आपके दिमाग के अन्दर प्रदेश के बड़े-बड़े मिल मालिक बैठे हुए हैं, आपके दिमाग के अन्दर किसानों के हित की कोई बात नहीं है। आज करोड़ों रुपये मिल मालिकों की जेब में जाते हैं। पहले हमारे प्रदेश की स्थिति यह थी कि चीनी का उत्पादन करीब सवा करोड़ मन होता था और आज उत्पादन बढ़ कर पौने ३ करोड़ मन या ३ करोड़ मन हो गया है, दूने से अधिक उत्पादन हो गया है। आज चीनी का मूल्य पहले की अपेक्षा ७० फीसदी बढ़ा हुआ है। अगर ७० फीसदी चीनी की कीमत बढ़ती है तो क्या आज किसान को यह हक नहीं पहुंचता कि वह भी उस बढ़ी हुई कीमत में २५,३० प्रतिशत हिस्सा पा सके। फिर यह कहा जाय कि न्याय करती है सरकार और मजबूरियां हैं सरकार के सामने यह बात कुछ समझ में नहीं आती। इसी बात से अन्दाजा किया जा सकता है कि किसान को १ रुपया १२ आने मन मिल जाय जिसको कि यह सदन पास कर चुका है उसको भी मान लिया जाय तो हमारे प्रदेश के किसानों को १० करोड़ रुपया मिल सकता है जो कि बड़े-बड़े मिल मालिकों की जेब में चला

[श्री चन्द्रजीत यादव]

जाता है और सरकार फिर कहती है कि उसे इधर के बैठने वालों से कम चिन्ता मजदूरों व किसानों के लिये नहीं है और उसकी नीति किसानों व मजदूरों के पक्ष में है। इस बात का फैसला माननीय उपमंत्री जी स्वयं ही कर लेंगे इस बात को देख कर कि यह १० करोड़ रुपया क्यों मिल मालिकों की जेब में जाता है। आज प्रदेश के अन्दर न केवल किसान ही लूटा जा रहा है, बल्कि प्रदेश का साधारण उपभोक्ता भी लूटा जा रहा है। चीनी आज ६० रुपये पर खरीदी जा रही है यह इस सरकार की प्रो-कैपिटलिस्ट नीति का नतीजा है।

दूसरी बात यह है कि अगर अन्दाजा लगाया जाय तो २२ करोड़ रुपया उपभोक्ताओं के ऊपर भार पड़ता है और यह २२ करोड़ रुपया बड़े-बड़े सेठ साहूकारों की जेब में चला जाता है, चीनी मिल-मालिकों की जेब में चला जाता है और सरकार सेस बढ़ा कर शान्त रूप से मौन दर्शक के रूप-में बैठी रहती है। करोड़ों रुपये मिल-मालिकों पर बकाया हैं, लेकिन सरकार उसे वसूल नहीं कर पाती। जब २ रुपये लगान के या तकावी के किसान पर बकाया रह जाते हैं तो उसे वह डंडे, नीलाम, कुर्की के जरिये से वसूल कर लेती है और उन २ रुपयों की वसूली के लिये सरकार के कायदे कानून घोड़े की दौड़ दौड़ने लगते हैं, लेकिन मिल-मालिकों पर करोड़ों रुपया होने पर भी सरकार की पुलिस और सरकार के नियम सब लुंज पुंज हो जाते हैं और प्रदेश की जनता लुटती रहती है। इसके बाद यह दावा किया जाय कि सरकार की जो नीति है वह प्रदेश की आम जनता क हित में है।

तीसरी बात यह कही गयी कि मजदूरों की यूनियनों से फीस नहीं आती केवल आई० एन० टी० यू० सी० रेगुलर फीस जमा कर देती है, लेकिन अगर आई० एन० टी० यू० सी० के इतिहास को देखा जाय तो यह बात साफ है कि उसके पीछे प्रदेश के बड़े-बड़े मिल मालिक हैं, पूंजीपति है जो अपनी जेब से पैसा निकाल कर जमा कर देते हैं। इसलिये कि जो आई० एन० टी० यू० सी० के नेता इस सदन के अन्दर मजदूरों व किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाते हैं जब ऐसे प्रस्ताव सदन में आते हैं, लेकिन वही नेता जब कोई आन्दोलन चलता है, मजदूर अपने हक के लिये चिल्लाते हैं, किसान अपने हक के लिये चिल्लाते हैं, तो उसके विरोध में बड़े-बड़े पूंजीपतियों के साथ खड़े हो जाते हैं।

तो जो बातें मैंने इस सदन के सामने प्रस्तुत की हैं माननीय उपमंत्री उनका एक-एक करके जवाब देंगे और बतलायेंगे कि उनकी क्या मजबूरियां हैं और क्यों उनकी नीति की बदौलत प्रदेश का किसान और मजदूर लूटा जा रहा है, इसका स्पष्ट जवाब पाने के लिये यह सदन मुस्तहक है।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—एक दफा प्रस्तुत करके इस पर वोट हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—दोबारा भी इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें हर्ज क्या है?

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रतापसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मदन पांडेय जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज एक ऐसा प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के सामने रखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम विरोधी दल के लोग अपनी यह जिम्मेदारी भी समझते हैं कि यह प्रस्ताव इससे बहुत पहले यहां आना चाहिये था। इस प्रस्ताव के जरिये आज एक कसौटी पर हम अपने को कसेंगे। इस आदरणीय सदन में कई बार प्रश्न होते हैं और जब सरकार से कहा जाता है कि आपका मिलमालिकान क लिये साफ्ट कार्नर है तो सरकार नाराज होती है लेकिन आज इस प्रस्ताव से मालूम हो जायगा कि सरकार के दिल में वास्तव में किसके लिये साफ्ट कार्नर है।

इस प्रस्ताव में चार बातों का जिक्र है। एक तो यूनियनों को मान्यता किस प्रकार दी जाय दूसरे बोनस के बारे में है, तीसरे आज की महंगाई को देखते हुये वेतन को बढ़ाया जाय और चौथे आफ सीजन में उनको एलाउन्स मिलना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि माननीय मंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से कोई साफ्ट कार्नर है इसलिये कि इस सदन में आने से पहले मंत्री जी भी एक मजदूर नेता थे और उन्हीं के आशीर्वाद और सहयोग से वे यहां आये हैं, लेकिन जब उनका भाषण होगा तो सरकार की पालिसी इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट हो जायगी। इस प्रस्ताव में जितनी बातें कही गयी हैं उसमें सरकारी खजाने से एक भी पैसा जाने वाला नहीं है। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि माननीय सदस्य बलिया ने कहा कि यह तो इम्पासिबिल है। बचपन में जब हम चंदा मामा को बुलाया करते थे तो कहते थे कि यह इम्पासिबिल है लेकिन आज वहां लोग घर बनाने जा रहे हैं। तो जब वह इम्पासिबिल नहीं रहा तो यह कैसे इम्पासिबिल हो सकता है। यह समझ में आने वाली बात नहीं है। कानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वेज के बारे में एक नियम है जिसके अनुसार निर्धारण होता है। आपकी इजाजत से मैं इंटरनेशनल लेबर कांफ्रेन्स का एक उद्धरण पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है—

"The original aim which led workers to press for wage regulation and Governments to enforce it was protection of the life and liberty of the worker. This idea of protection found expression in attempts to guarantee a minimum wage sufficient to provide what would be considered an adequate living standard for the worker and his family having regard to prevailing standards of consumption of food, shelter, comfort and security."

मान्यवर, यहां से वेज का प्रश्न उठता है। और यही प्रश्न नहीं है कि कितने प्रतिशत बढ़ाया जाय, बल्कि प्रश्न यह है कि यह मांग क्यों रखी जाय। आज मजदूर यह नहीं समझ पाता है कि उस की लाइफ सिक्योर है या नहीं। उस के बच्चों को खाना मिलता है या नहीं। इन सब चीजों को देख कर वेजेज बढ़ने चाहिए।

आज १२ साल के बाद विरोधी दल की ओर से यह प्रस्ताव आने का मतलब यह है कि सरकार मजदूरों के प्रति उपेक्षापूर्ण रुख रखती है और मिल मालिकों के लिए साफ्ट कार्नर रखती है। इसके बाद रिपोर्ट आफ दि कमेटी अप्वाइंटेड टु इन्क्वायर इन टु दि वर्किंग आफ शुगर केन रूल्स से आप की आज्ञा से कुछ पढ़ना चाहता हूं:

"The question of wages is the most important for labourers as well as factories. The labourers naturally attach to it the greatest importance and it is not surprising that it often becomes a subject of controversy between the employers and the epmloyees."

मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि ५० प्रतिशत सवाल असेम्बली में कम हो जायेंगे और इस आदरणीय सदन का समय बचेगा अगर मजदूरों की मांगें जो आज इस प्रस्ताव द्वारा रखी गयी हैं उनको माननीय मन्त्रीजी स्वीकार कर लें। दूसरी बात जो मैं कहता हूं वह यह है मान्यवर कि जितने प्रश्न हमारे सामने हैं इस सम्बन्ध में उन के लिए न जाने कितनी कमेटियां बनीं . . .

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो कार्यक्रम छपा है यह एक दिन बैलट में आया है या कई दिनों का है। हमारे ६ दिन हैं लेकिन उनको दो दिनों में मिला दिया गया। इसलिए अगर एक ही प्रस्ताव चलेगा तो हमें ऐसा लगता है कि शायद विभिन्न समय में बैलट हुये होंगे और उसके क्रम में आगये। इस में क्या व्यवस्था होगी, श्रीमन्, यानी यह चलता रहेगा और बाकी रहेंगे या खत्म हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—यह चालू प्रस्ताव तो चलता ही रहेगा और जो प्रस्ताव बाकी रहेंगे वे खत्म हो जायेंगे और उसके बाद कल वह नहीं लिये जायेंगे बल्कि कल के लिए यानी जो ११ तारीख के कार्यक्रम में दिये हैं वह कल ले लिये जायेंगे।

श्री राजनारायण—वह क्रम हमें नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—नहीं, सब में है। जरा दिखा दीजिये।

श्री प्रतापसिंह—इस सदन में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं और आज ही मोदीनगर का मामला आया था कि जो मजदूरों के लिए कोई कमेटी बने तो उस में मजदूरों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसको मैं नहीं कहता बल्कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कहती है। मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं कि :

"Industrial relationship in the private sector should be in accordance with the agreed conclusions reached in the Industries Development Committee composed of representatives of employers and leaders of the principal workers' organizations in the country."

मैं फर्स्ट फाइव इयर प्लान के रिव्यू से कह रहा हूं। यह प्रस्ताव केवल बहस के लिए नहीं रखा गया है बल्कि इस लिए रखा गया है कि आज मजदूर को केवल ५५ रुपये तनख्वाह मिलती है और महंगाई इतनी है कि रुपये का एक सेर ढ़ छटांक अनाज मिलता है। इस लिए मानवता की दृष्टि से भी इसे सोचना चाहिए।

दूसरे मैं टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट से बताता हूं कि हमारे प्रदेश के मुकाबले में दूसरे प्रदेशों तथा फारेन कन्ट्रीज में मजदूरों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, मिल-मालिकों और सरकार की ओर से। श्रीमन्, मैं इसको आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। यह इस प्रकार है कि :

"In foreign countries labour is well looked after and its comfort is the first concern of the factory owner."

श्रीमन्, इसमें यह कहा गया है कि . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे। अब दूसरा काम प्रारम्भ होगा।

१ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न ९–१० से सम्बद्ध श्री उग्रसेन द्वारा उठाये गये माता टीला बांध की बकेट तथा पिचिंग के उखड़ जाने के प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष—माता टीला बांध के नीचे की बकेट व पिचिंग के उखड़ जाने से सम्बन्धित श्री लक्ष्मणराव कदम के १ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९–१० पर श्री उग्रसेन द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद।

श्री उग्रसेन जी ने मुझे लिखा है कि यह प्रश्न माननीय रामस्वरूप जी वर्मा उठायेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माताटीला बांध हमारे प्रदेश में बड़ी आशा के साथ देखा जाने वाला था परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि माताटीला बांध जिस से हमारे प्रदेश की सिंचाई होने की बात थी और खासतौर से झांसी जिले में, जहां से आप आते हैं। आप जानते हैं कि वहां के लिए भी यह पर्याप्त नहीं हो सका। इसकी डिजाइन जब बनी तो सवा दो करोड़ रुपये की लागत बतायी गयी और यह जो बांध बन रहा है, १८९० में जो बांध बना था उसी को फीड करने के लिए, यह बांध बनाया गया था। इसमें बिजली की योजना, १२ करोड़ के इस खर्चे में शामिल नहीं है। जब मैंने उस दिन प्रश्न किया था तो मन्त्री जी ने कहा था कि

१२ करोड़ की जो योजना है इसमें बिजली भी बनेगी यह भी निश्चित है। माननीय मन्त्री जी अब इन्कार कर रहे हैं। इसमें बिजली नहीं बनने वाली है, यह मुझे निश्चित रूप से मालूम है। श्रीमन्, कार्यवाही में देख लिया जाय।

दूसरी ताज्जुब की बात है कि शुद्ध सिंचाई के लिए २० परसेंट एकरेज की सिंचाई के लिए डिजाइन किया गया तो किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया गया। गंगा नहर में २० प्रतिशत पर डिजाइन है। बीस परसेंट एकरेज के लिए शारदा नहर का डिजाइन है केवल सिंचाई के लिए, शायद मन्त्री जी को यह भी न मालूम हो, तो इस पर वह ध्यान दें। इस बांध के बनाने में जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया है उस के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। पहली बात तो यह है कि इस बांध को इन्जीनियरों ने यह समझ रखा है कि चूंकि इसका कोई प्रयोग तो होने वाला नहीं है, झांसी जिले में गुरसराय रजबहे के अतिरिक्त और एक नहर है भांडेर जो ३१-३२ मील, ३०-३५ फीट गहरे झांसी में जाती है, उस में झांसी में मिट्टी बहने वाली होने के कारण, मिट्टी रुकती नहीं है, तो निश्चित है कि इससे झांसी में सिंचाई होने वाली नहीं है, तो इन्जीनियर महोदय यह समझते हैं कि इसी उधेड़बुन में लगाये रखो, और रुपया खाये जाओ। रुपया कैसे खाया जा रहा है ? बकेट का सवाल गाया कि क्यों उखड़ गया। जो मैसोनरी वर्क बकेट होता है वह कांक्रीट और सीमेंट मिला कर किया जाता है। वह घनफुट से नापा जाना चाहिए सब जगह यह नियम है कि जो मैसोनरी वर्क हो वह घनफुट के हिसाब से नापना चाहिए। लेकिन पेमेंट उन्होंने कैसे किया ? सीमेंट की बोरियां जोड़ कर उन्होंने पेमेंट कर दिया यानी इतनी बोरियां लगीं सीमेंट की तो उस के हिसाब से जोड़ लिया कि इतनी कांक्रीट हुई, लिहाजा इतना घनफुट मेसोनरी वर्क हो गया। ताज्जुब है। सीमेंट ब्लैक में चला गया, हजारों बोरी लेकिन मन्त्री जी के यहां पेमेंट हो गया। पेमेंट तो मेसोनरी वर्क को देख कर होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सीमेंट ब्लैक में चली गयी तो बकेट उखड़ ही जायगी क्योंकि बकेट कमजोर बनी थी। इतना पैसा नष्ट हुआ कि सवा दो करोड़ की बांध की योजना थी और अब १२ करोड़ की बन गयी है।

इससे जो अर्थ वर्क हुआ वह २१५ रुपये प्रति हजार घनफुट के हिसाब से हुआ। किसी बांध में भी अर्थ वर्क २१५ रुपये प्रति हजार घनफुट से नहीं हुआ। पहले पेमेंट कर दिया गया कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। अब बाद में मालूम हुआ कि इसकी जांच पड़ताल होगी, तो दो महीने बाद ८० रुपये प्रति हजार घनफुट के हिसाब से पेमेंट किया गया। यह खाने पीने की कार्यवाही चली। इसमें एक और बड़े गजब की बात है। मैं ने सवाल किया था लेकिन जवाब ही नहीं मिला। उसकी मार्किंग में यह हुआ, कि अगर सब जोड़ा जाय जितना डिजाइन बांध का था, जितना कुल मेसोनरी वर्क है उससे ज्यादा मार्किंग हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—इसमें तो सिर्फ बकेट और पिचिंग का सवाल था। आप तो अन्य बातें भी ले रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मार्किंग से ही पिचिंग निकलती है। वह पिचिंग वर्क में भी आता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो मार्किंग इन्होंने की उस मार्किंग में बड़ा गजब का काम किया इंजीनियर और कांट्रैक्टर सब वहां मिले हुए हैं, जब कभी रुपये की जरूरत हुई तो लिख दिया। कि इतने हजार घनफुट मार्किंग हुई, अब होते होते यह हालत है, माननीय मंत्री जी इसे अपने जवाब में साफ करेंगे कि कुल जितनी मार्किंग हुई है उसका कुल जितना टोटल मैसोनरी वर्क होना चाहिए उससे ज्यादा मार्किंग हो गई है जो न बांध में लगी, न कहीं दूसरी जगह पड़ी है। लेकिन मार्किंग हो गई। इस तरह से लाखों करोड़ों रुपया का गबन इसमें किया गया। एक खास बात और भी इसमें हुई। इस बांध से बिजली नहीं बनती है और सरकार को अब तक यह धोखा दिया जा रहा है कि १२ करोड़ रुपया इसलिए है कि बिजली भी इसमें सम्मिलित है। बात यह है कि १२ करोड़ से तो मातटीला

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

बांध ही बनेगा। इंजीनियर्स की यह सलाह हुई कि इस समय जो बांध है उससे तो बिजली मुश्किल से बरसात के दो महीनों में बन पायेगी, लिहाजा इस बांध को तीन चार फुट और ऊंचा कर दिया जाय। अब तीन फुट ऊंचा करने का हिसाब लगाया तो कई हजार एकड़ जमीन पर इससे पानी फैलेगा, उसका मुआवजा देना पड़ेगा। तब सुझाव यह दिया कि अब एक और बांध बांध दिया जाय। तो यह शेखचिल्ली का हिसाब कर दिया है। सरकार ने और जनता के १२ करोड़ रुपये से होली खेली जा रही है, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है, खासकर के झांसी जिले के किसानों को कुछ फायदा नहीं होने का है, न पानी मिलेगा न बिजली मिलेगी। मैं समझता हूं कि राष्ट्र का जितना बड़ा नुकसान इसमें हुआ है, जितना लोगों की आशाओं पर इसने पानी फेरा है, बुन्देलखंड के तमाम जिलों के लोग इस ओर आशा से देख रहे थे कि उनको पानी मिलेगा इससे किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है और मध्य प्रदेश के भांडेर नहर से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए इसमें अनियमितता के अलावा कोई जनता के फायदे का काम नहीं हुआ है और इन शब्दों के साथ मैं यह चाहूंगा कि ऐसे लोग जो इसके लिये जिम्मेदार हैं जो कि सरकार की योजना को हतोत्साहित करने वाले हैं और देश के पैसे का गबन करने वाले हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये और माननीय मंत्री जी को पूरी बात सदन के सामने रखनी चाहिए।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सब बातें बड़े ध्यान से सुनीं। इसमें मैं तो यह समझता था कि इस वक्त खासतौर पर जो सवाल उठाना था वह जो दोबारा वहां पर काम हुआ था ३ लाख के स्थान पर ११ लाख रुपये का, जो कि बकेट वगैरह का कहा जा रहा था उसी की तरफ सदन का ध्यान खींचा जायगा और उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालने की मांग की जायगी। उसके अलावा इस वक्त पूरा उसका कब जन्म हुआ, क्या-क्या बातें हुईं, इन सब बातों को कहा गया। मैं उस सिलसिले में कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पहले बताया था कि बी० बी० लाल कमेटी बैठी हुई है जो कि बहुत ही जल्दी इस मामले पर अपनी रिपोर्ट देने वाली है। दो करोड़ रुपये की मुझे तो मालूम नहीं, हो सकता है हमारे दोस्त राम स्वरूप वर्मा जी को उसकी इत्तला होगी मेरे ख्याल से रफ एस्टीमेट ४ करोड़ रुपये का था, लेकिन वास्तव में वह भी एस्टीमेट जब पूरे कम्प्लीट डैम का बना था तो ८ करोड़ रुपये का था। वह १२ करोड़ का हुआ। तो इन तमाम बातों की देखभाल की जा रही है और उसके बाद पिछले वर्ष भी जो डैमेज हुआ उसके लिए एक दूसरी कमेटी बैठी हुई है और उसकी भी छानबीन की जा रही है। इस वक्त जो खास सवाल है कि जो भी काम इस वक्त हुआ और यह काम रह गया मैं तो इस वक्त संबंधित उसी बात से था। तो उसको जो मेरे आदमी हैं, चीफ इंजीनियर, उन्होंने जाकर के देखा तो मालूम हुआ कि वास्तव में डैम के ऊपर करीब, दस-ग्यारह फुट पानी आ रहा है और नीचे जो बकेट है उसमें भी काफी पानी है। इसलिये यह अन्दाजा कुछ नहीं लग सका कि डैम में कुछ नुकसान हुआ है सिवाय इसके कि एक दो ब्लाक जो हैं, १४०० फुट का डैम है, करीब १०० फुट चौड़ाई उसकी है, इसमें ब्लाक्स जगह-जगह लगे हुए हैं, एक दो ब्लाक्स अपनी जगह से कुछ टेढ़े हो गए हैं वही कहीं थोड़े बहुत टेढ़े दिखलाई दिये। इसके ऊपर हमने चीफ इंजीनियर को यहां से भेजा था जब कि यहां से प्रश्न उठा था। तो उन्होंने जाकर देखा और देखने के बाद उनको सिवाय इसके दूसरी चीज नहीं मिली। वर्तमान हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि किस किस्म का नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं जब १५, २० दिन में वहां पर पानी कम हो जायगा तो उस वक्त यह चीज सामने आयेगी कि कोई नुकसान हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा और बातें जो यहां पर कही गई हैं मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा।

जहां तक बिजली की बात है मैंने यह बात यहां पर कही हो ऐसा मुझे मालूम नहीं पड़ता कोई ऐसी बात मैंने यहां पर नहीं कही। मैंने कार्यवाही में भी देखने की कोशिश की, लेकिन

मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली कि १२ करोड़ के अन्दर बिजली भी शामिल है। अगर मैंने कही होती तो उसमें से निकलवा देता। इस वजह से मैं फिर कहता हूं कि इस १२ करोड़ में बिजली शामिल नहीं है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बकेट बनाये गये वह पहले पत्थर के बनाये गये और बाद को जो बनाये गये वह सीमेन्ट और कंक्रीट के बनाये गये और वह बकेट जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि वह नहीं देखे जा सकते हैं तो उनको देखने के लिये कोई कमेटी बनाने की कृपा करेंगे ताकि वह देखे जा सकें ?

श्री गिरधारीलाल—रिइन्फोर्स्ड कंक्रीट के बकेट इस वक्त बने हैं और मैं समझता हूं अभी कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा पानी के कम होने पर विचार करेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इन बकेट में जो सीमेन्ट लगा है वह कितने बोरे सीमेन्ट लगा है क्या इसके आंकड़े सरकार को मालूम हैं ?

श्री गिरधारीलाल—एक-एक चीज का अन्दाजा और एस्टीमेंट होता है कि कितना सामान लगेगा। कितना सीमेन्ट लगा, इसका अन्दाजा है, लेकिन इस वक्त मेरे पास उसकी डिटेल में सूचना नहीं है कि इतनी सूचना दे सकूं। नोटिस मिलने पर इसका जवाब दे सकता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो पहले बकेट बनाये गये वह पत्थर और सीमेन्ट के बने थे जिनमें बहुत सीमेंट लगा था, वह टूट गये। उसके बाद दोबारा फिर उनको बनाया गया और रिइन्फोर्स्ड कंक्रीट के बनाये गये और मंत्री जी ने अभी बतलाया कि वह फिर हिल गये। तो क्या दूसरी मर्तबा जो बकेट बने वह भी अपनी जगह छोड़ गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—मैंने कहा कि अभी इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक-एक ब्लाक जो पानी के ऊपर होता है उसके जो सरिये होते हैं उसमें कुछ चीज दिखाई देती है। इससे यह खयाल होता है। मैं नहीं कहता कि कोई ब्लाक टूटा होगा। उसका १४०० फीट का स्पैन है और १०० फीट की चौड़ाई है और गहराई भी काफी होगी। तो इसमें जगह-जगह छोटे-छोटे ८, ८ फीट के ब्लाक पड़े हुए हैं। जो एक-आध दिखाई देते हैं, मालूम होता है, कि पानी के प्रेशर से टेढ़े हो गये हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दोबारा जो बकेट बने वह ठेके से बनाये गये या अमानी से ?

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—वह ठेके द्वारा बनाये गये।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह जो नये बकेट बने तो जब नदी से पानी आया उनके तार और सीमेन्ट के चौके बहते हुए देखे गये ?

श्री गिरधारीलाल—इसकी यहां पर कोई इत्तला नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह किस अधिकारी की देखरेख में बनाये गये ?

श्री गिरधारीलाल—जो भी इस विभाग के अधिकारी हैं, ओवर सियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर हैं, सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर हैं उन सब ने अपना अपना काम किया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहली बार जो बकेट बने उनका खर्चा कितना हुआ, उनके उखाड़ने में कितना खर्चा हुआ और फिर दोबारा लगाने में कितना खर्चा हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—जितना नुकसान हुआ वह तीन लाख का था और इसके एक्सपेंशन में कुल ११ लाख रुपया खर्च किया गया ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि नुकसान नहीं हुआ तो जो यह २५ लाख रुपया लगाकर पहले बनाया गया और टूटने पर फिर ११ लाख रुपया लगा कर बना तो क्या यह नुकसान नहीं हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—क्या बतलाया जाय। मैं तो शुरू में कह चुका कि पहले तो नुकसान हुआ, और उसे देखने के लिये एक कमेटी बैठी हुई है ।

श्री अध्यक्ष—वह पूछते हैं कि २५ लाख रुपया लगा बकेट के बनने में और फिर उसके उखड़ जाने के कारण और ११ लाख रुपया लगा तो यह ११ लाख का नुकसान स्पष्ट दिखाई देता है फिर ३ लाख कैसे कहते हैं आप ?

श्री गिरधारीलाल—मैंने कहा कि २५ लाख के बकेट में जो नुकसान हुआ था वह ३ लाख का था और उसके बाद एक्सपर्ट्स की राय यह थी कि इसको काफी मजबूत करने की जरूरत है । पहले तो वह मामूली बकेट था, मामूली कंक्रीट का काम था, लेकिन उसके बाद रि-इनफोर्स्ड का काम किया गया जिसमें ११ लाख रुपया खर्च हुआ । तो इस तरह से ३ लाख की जगह ११ लाख खर्च किया गया ताकि आगे न टूटे ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राज में भी और इस कांग्रेसी राज में भी अब तक जितनी नहरें खोदी गयी हैं उन सबकी खुदाई से ज्यादा पैसा इस गुरसराय कैनाल में लगा है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न यहां है नहीं ।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रथम बार बकेट बना, फिर दुबारा बना, तो दोनों बार में मिला कर कितना नुकसान हुआ? और क्या इसकी जांच करायी गयी है कि इसका दोषी कौन है ?

श्री गिरधारीलाल—दुबारा जो नुकसान हुआ है उसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पहले के नुकसान के सिलसिले में एक कमेटी बैठी है और वह उसको देख रही है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाद की पिचिंग टूटने से कितना नुकसान हुआ ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बता दिया है उन्होंने कि नुकसान ३ लाख का हुआ ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—इन्क्वायरी में डिटेल में खबर आयेगी, क्या मन्त्री जी मोटे तौर पर बता सकेंगे विभाग के अफसरों की राय में बकेट टूटने के मुख्य कारण क्या थे ?

श्री गिरधारीलाल—मैं इस विषय में कोई कारण नहीं बतला सकता ।

श्री उग्रसेन—क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि पिचिंग टूटने से कितना नुकसान हुआ ?

श्री गिरधारीलाल---जितना नुकसान हुआ था वह ३ लाख का था। मैंने पहले बता दिया था।

श्री अध्यक्ष---आप के उत्तर का मतलब दोनों का नुकसान मिला कर ही ३ लाख हुआ।

श्री हरदयालसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इसका ठेका एक ही ठेकेदार को दिया गया था या कई को मिला कर ?

श्री धर्मसिंह---कई ठेकेदार थे।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मन्त्री जी को यह ज्ञात हो सका है कि विगत साल की वर्षा के अवसर पर इस बकेट के कमजोर हो जाने से इसमें कई दरारें पड़ गयी थीं ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक माताटीला की बिल्डिंग का सवाल है उस में कोई किसी किस्म की दरार नहीं पड़ी है।

श्री प्रतापसिंह---क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कमेटी की स्थापना करने से पहले जो यह नुकसान हुआ है उसके सम्बन्ध में उन्होंने विभाग से कुछ पूछा ? यदि हां, तो उसका क्या कारण विभाग ने बतलाया ?

श्री गिरधारीलाल---इसमें फिर कन्फ्यूजन हो रहा है। कमेटी, तब बनायी जाती है जब कि पहले कुछ बातें देख समझ ली जायं। तो यह कमेटी इसलिए बनायी गयी है कि वह देखे कि इसमें क्या कारण है और इसका कौन जिम्मेदार है। तीसरी बार जो काम हुआ है उसके लिए किसी कमेटी के बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---जो ११ लाख रुपये का काम हुआ है उसमें इस वर्ष कितनी हानि होने का अन्दाजा है ?

श्री अध्यक्ष---मन्त्री जी ने कहा है कि जांच कर रहे हैं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि २५ लाख रुपया जो पहले खर्च हुआ था उसमें कुल कितनी घनफुट बकेट बनी थी ?

श्री गिरधारीलाल---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ढाई या तीन लाख क्युबिक फुट का काम था।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, मुझे खेद है कि मन्त्री जी को इतने बड़े धन के अपव्यय होने के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। कमेटी बैठी हुई है, लेकिन उन्होंने कोई खुद जांच करने की कोशिश नहीं की कि उसके टर्म्स आफ रेफरेंस क्या होंगे और किन-किन बातों की जांच करेगी। जो इर्रिगुलैरिटीज मैंने बतायीं उनको होते हुये ४ वर्ष से अधिक हो गया और करोड़ों रुपये का गबन मैंने सामने रखा और करोड़ों किसानों की आशाओं पर पानी फिर गया है। इस बांध के सम्बन्ध में इस सदन में ८–१० दफे मामला उठ चुका है, मैंने भी प्रश्न डाल रखे हैं, लेकिन अभी जवाब नहीं मिला है। मन्त्री जी को यह भी नहीं मालूम कि बकेट किस सीमा पर बंधे और उस में क्या दूसरी खराबियां थीं और कैसे खर्चा बढ़ा। तो जब उनको जानकारी ही नहीं है तो मैं इस समय और क्या कहूं। मैं चाहूंगा कि ध्यान देकर और स्वयं जाकर इसकी जांच करें, इसमें कुछ अर्थ वर्क वगैरह का पता लग जायगा। जितना धन या दूसरा साभान इस बांध में लग चुका है उतने में तीन बांध बन जाते। और वैसे जितना अर्थ वर्क हुआ है वह एक बांध का तो हो ही चुका है और पत्थर भी उतना हो गया। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी अगली दफे के लिए अवश्य तैयार होकर आयें। उस दिन मन्त्री जी ने कहा था कि १२ करोड़ में बिजली भी लगेगी, लेकिन आज वह उस को सही कर रहे हैं तो ठीक है।

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

इसके अलावा वहां पर जो २० परसेंट में नहरें डिजाइन की गयी हैं वह भी शायद उतने में नहीं हो पायेगा, क्योंकि भांडेर नहर जब तक पक्की नहीं बनेगी तब तक नहीं निकल सकेगी। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस लाइट में तमाम सूचनायें इकट्ठा करके सदन को देने की कृपा करेंगे।

श्री गिरधारीलाल--अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्मा जी के एतराज को सुना। जो भी मुनासिब बात है उसका एहसास हमको है और वह हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष--इस में यह हो सकता है क्योंकि कल सदन उठ ही रहा है। तो आप वर्मा जी को लेकर वहां चले जायं और उनको वहां की हालत दिखा दें।

श्री गिरधारीलाल--यह तो दावत मैं दे चुका हूं, लेकिन मिस्टर वर्मा कुछ घबराते हैं। इसलिए जैसा भी सरकार मुनासिब समझेगी वह करेगी। बिजली की स्कीम वहां पर है। पहले यह पूछा गया था कि मध्य प्रदेश को भी क्या बिजली दी जायगी, इस पर मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की मांग जरूर है, लेकिन हमारे पास इतनी बिजली नहीं कि हम उनको दे सकें। अपने तीन जिलों से हम ज्यादा स्पेयर नहीं कर सकते। यह मैंने कभी नहीं कहा कि १२ करोड़ में बिजली की स्कीम भी शामिल है। बिजली बनेगी, लेकिन उसका अलग एस्टीमेट होगा। अलग उसका काम चलेगा। बाकी कमेटी की रिपोर्ट बाद में आयेगी।

उग्रसेन--क्या इन्जीनियरों ने यह बताया है कि ६ करोड़ रुपया लगेगा जब बिजली आयेगी?

श्री अध्यक्ष--वह तो स्पष्ट ही है।

श्री राजनारायण--माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि वर्मा जी घबराते हैं। तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक माननीय मन्त्री जी और उनके अधिकारियों का ताल्लुक है हम लोग किसी से भी बातें करने में घबराते नहीं हैं, लेकिन शायद हम लोगों से बातें करने में मन्त्री जी यह सोचते होंगे कि कहीं मुख्य मन्त्री जी नाराज न हो जायं। माननीय मन्त्री जी के साथ हम और वर्मा जी जहां चाहें उन के साथ जा सकते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१० सितम्बर, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२८ पर)

No. 881/XXVI—768-1959

FROM

SRI IFTIKHAR HUSAIN, P.C.S.,
UP SACHIV TO GOVERNMENT,

TO

THE SANCHALAK,
HARIJAN KALYAN,
UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

Dated Lucknow, March 16, 1959.

SIR,

HARIJAN SAHAYAK VIBHAG

I am directed to say that in partial modification of G. O. no. 3224/XXVI—834-55, dated December 22, 1958, the Governor is pleased to order that a District Harijan Sahayak Committee may be formed in each district which shall consist of the following members :

(1) Chairman of the Antarim Zila Parishad ..	*Chairman.*
(2) Government nominee	*Vice-Chairman.*
(3) Superintendent of Police	*Member.*
(4) District Co-operative Officer ..	"
(5) District Inspector of Schools ..	"
(6) District Industries Officer	"
(7) Scheduled Castes, M.L.As., M.L.Cs. and M.Ps. residing in the district	"
(8) Members of the State Harijan and Backward Classes Welfare Board	"
(9) One Scheduled Castes representative of the Antarim Zila Parishad to be nominated by the Antarim Zila Parishad	"
(10) One Scheduled Castes representative to be nominated by the District Magistrate from amongst members of Municipal Boards in the district	"
(11) One Scheduled Castes Harijan worker actively associated with the welfare work to be nominated by the District Magistrate	"
(12) One representative of other Backward Classes to be nominated by the District Magistrate ..	"
(13) One non-official interested in the welfare of Scheduled Castes, Vimukti Jatis and other Backward Classes to be nominated by the District Magistrate ..	"
(14) One member to be nominated by the State Government	"
(15) One representative of the Momin-Ansar community to be nominated by the District Magistrate	"
(16) District Planning Officer/Additional District Magistrate (Planning)	*Secretary.*
(17) District Harijan Welfare Officer ..	*Joint-Secretary.*

The functions of the newly constituted District Harijan Sahayak Committee will be as follows :

(1) To work for the general welfare of the Scheduled Castes, Vimukti Jatis and other Backward Classes in the State and to advise on matters pertaining thereto.

(2) To advise the Local Bodies and the Antarim Zila Parishad to promote the welfare of Scheduled Castes, Vimukti Jatis and other Backward Classes through :

(*a*) Grant of educational facilities to children of these classes in the form of fee concessions, stipends, scholarships and non-recurring assistance for the purchase of books, payment of examination fees, etc.

(*b*) Adequate provision for their vocational and technical education.

(*c*) Construction of wells and tanks and installation of hand-pumps and construction of pavements and drains and other environmental improvements in the *basties* inhabited by these people.

(*d*) Implementation of such provisions of the Untouchability (Offences) Act as lie within their jurisdiction.

(*e*) Suitable arrangements for recreational, cultural and personal welfare of these communities.

(3) To advise the District Inspector of Schools and the District Harijan Welfare Officer in the award of stipends, scholarships and miscellaneous non-recurring assistance to Scheduled Castes, Vimukti Jatis and other Backward Classes.

(4) To adopt such measures for the welfare of these classes as may be approved by the Government from time to time.

The term of each District Harijan Sahayak Committee shall cease when Zila Parishads are formed. Its meeting will usually be held once every quarter, but in case of emergency the Committee may meet more often.

The District Harijan Sahayak Committees are also authorized to co-opt where necessary, for a particular meeting, not more than two other persons connected with or interested in the welfare of Scheduled Castes, Vimukti Jatis and other Backward Classes.

Yours faithfully,
IFTIKHAR HUSAIN,
Up Sachiv.

No. 881(i)/XXVI—768-1959

COPY, with two spare copies for the District Planning Officer/Additional District Magistrate (Planning) and District Harijan Welfare Officer, forwarded to all the District Magistrates, with the request that steps may please be taken to constitute the new District Harijan Sahayak Committee at an early date. The nomination of non-official members shall also be completed and recommendations for nominations by Government on these Committees should be made to the Sanchalak, Harijan Kalyan, Uttar Pradesh for transmission to Government without delay. Meeting of the newly constituted Committee may be held in case of urgent necessity even though the State Government's nominee may not have been appointed by such time.

By order,
IFTIKHAR HUSAIN,
Up Sachiv.

No. 881 (ii)/XXVI—768-1959

COPY forwarded to all Commissioners of Divisions for information.

No. 881(iii)/XXVI—768-1959

COPY forwarded for information to all Departments of the Secretariat.

No. 881(iv)/XXVI—768-1959

COPY also forwarded for information to the—

(1) Development Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow,

(2) Director of Education, Uttar Pradesh, Allahabad,

(3) Director of Industries, Uttar Pradesh, Kanpur.

No. 881(v)/XXVI—768-1959

COPY also forwarded for information to the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad.

By order,

IFTIKHAR HUSAIN,

Up Sachiv.

विधायी प्रदेश प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४० पर)

पहले यह तय हुआ था कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से जो रुपया प्राप्त होता है वह सहकारी समितियों की सर्वोच्च संस्था, अर्थात् यू० पी० इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन द्वारा सहकारी समितियों को बांटा जाय। बाद में यू० पी० इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव असोसिएशन ने इस कार्य को संभालने में असमर्थता प्रकट की। तब रुपया बांटने के लिए दूसरा उपाय सोचा गया। इस सम्बन्ध में एकाउन्टेंट जनरल तथा आडीटर ऐन्ड कम्पट्रोलर जनरल से परामर्श करना पड़ा। देर होने का एक अन्य कारण यह भी था कि १९५७–५८ में खादी कमीशन से यह रुपया साल के आखिर में वसूल हुआ।

यहां यह कहना भी जरूरी होगा कि ग्रामोद्योग के कारीगरों की सहकारी समितियां बनाने में भी समय लगना अनिवार्य था। खादी कमीशन से जो रुपया मिलता है वह केवल सहकारी समितियों में ही वितरित किया जा सकता है। कारीगर सहकारी समितियां बनाने के लिए जल्दी राजी नहीं होते। जो रुपया आया था उसका ज्यादातर हिस्सा ३१ मार्च, १९५९ तक बंट गया है और शेष इस वर्ष बांट दिया जायगा।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४२ पर)

क्रम-संख्या	फैक्टरी का नाम			उत्पादन क्षमता (टनों में) (Installed capacity) (In Cons)	पेराई के आधार पर (Crushing capacity) प्रतिदिन १९५८-५९ में (टनों में)
१	२			३	४
१	इकबालपुर	..	..	२,०००	१,७५३
२	दोईवाला	..	..	६००	५४९
३	देवबन्द	..	..	२,०००	१,६२८
४	लकसर	..	..	१,५५०	१,५५९
५	सहारनपुर	..	..	१,२५०	१,२९६
६	मन्सूरपुर	..	..	२,०००	२,०८७
७	खतौली	..	..	१,७००	१,५००
८	रोहाना	..	..	१,३५०	१,४३४
९	शामली	..	..	३,०००	२,४५३
१०	सखौती टांडा	..	..	१,१७५	७६३
११	दौराला	..	..	२,०००	१,४८७
१२	जसवन्त	..	..	१,५००	१,३४०
१३	मोहिउद्दीनपुर	..	..	९८९	९१३
१४	बेगमाबाद	..	..	१,१३२	१,१६२
१५	सिभौली	..	..	२,०००	१,४८२
१६	मवाना	..	..	२,४८१	१,३४७
१७	बुलन्दशहर	..	..	१,१७५	१,२०५
१८	काशीपुर	..	..	१,०२५	७२२
१९	बाजपुर	..	..	१,२००	७५०
२०	मिझौली	..	..	१,०६३	१,०६६
२१	अमरोहा	..	..	१,८००	१,५७७
२२	बिलारी	..	..	१,५००	१,४००
२३	बहेरी	..	..	१,२८०	१,१५३
२४	बरेली	..	..	१,१००	१,१२९
२५	धामपुर	..	..	१,४६५	१,२३६
२६	सिवहारा	..	..	३,२००	२,६६७
२७	पीलीभीत	..	..	१,८०४	१,७११
२८	बिजनौर	..	..	१,१००	१,०४८
२९	रोजा	..	..	९००	९२४
३०	बुलन्द	..	..	१,१५०	१,१९१
३१	रजा	..	..	१,१५०	१,३१५
३२	हरदोई	..	..	१,५७२	१,४७७
३३	हरगांव	..	..	२,५६५	२,३७२

क्रम-संख्या	फैक्टरी का नाम	उत्पादन क्षमता (टनों में) (Installed capacity) (In tons)	पेराई के आधार पर (Crushing capacity) प्रतिदिन १९५८-५९ में (टनों में)
१	२	३	४
३४	महोली	.. १,२५०	१,२०२
३५	गोला	.. ३,६००	२,८५१
३६	एरा	.. ९००	८६५
	योग, पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश	.. ५६,७२६	५०,६१४

पूर्वीय भाग उत्तर प्रदेश

३७	बाराबंकी ..	.. १,०००	९०९
३८	बुढ़वल ..	.. ६५१	५८५
३९	मसौधा ..	.. १,३००	१,१४५
४०	बिसवां ..	.. ८००	८११
४१	शाहगंज ..	.. १,०००	९६७
४२	खलीलाबाद ..	.. ६५१	६३६
४३	मुन्देरवा ..	.. ७४०	७४५
४४	बस्ती ..	.. १,०००	८८९
४५	वाल्टरगंज ..	.. ८००	८४८
४६	बभनान ..	.. ८६९	७८६
४७	नवाबगंज ..	.. २,२५०	१,२७३
४८	तुलसीपुर ..	.. ७४६	८३०
४९	बलरामपुर ..	.. ७६८	८०२
५०	जरवल रोड ..	.. १,१००	९७४
५१	परतावपुर ..	.. ८७०	८९२
५२	बैतालपुर ..	.. १,०००	९०९
५३	गौरीबाजार ..	.. ७९०	८५९
५४	देवरिया ..	.. ९५०	९१८
५५	कप्तानगंज ..	.. १,१००	१,१४६
५६	खड्डा ..	७६१	६९९
५७	छितौनी ..	.. ९००	७५४
५८	लक्ष्मीगंज ..	.. ७३२	७१९
५९	रामकोला (पी) ..	.. १,२५०	१,१९१
६०	रामकोला (क) ..	.. ९००	८२९
६१	पडरौना ..	.. १,०००	९६१
६२	कठकुइयां ..	.. ६५०	६५४

क्रम संख्या	फैक्टरी का नाम			उत्पादन क्षमता (Installed capacity) (In tons) (टनों में)	पेराई के आधार पर (Crushing capacity) प्रतिदिन १९५८-५९ में (टनों में)
१	२			३	४
६३	सिवराही	..	..	१,१००	९४१
६४	भटनी	..	..	८८०	६३२
६५	सरदारनगर	..	..	२,१२९	२,२०१
६६	पिपराइच	..	..	८६२	८९८
६७	सिसवा बाजार	..	..	७३३	७३६
६८	फरेंदा	..	..	८३२	८५७
६९	घुघली	..	..	१,०००	८९८
	योग, पूर्वीय भाग, उत्तर प्रदेश		..	३२,११४	२९,८९४
	योग, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश		..	८८,८४०	८०,५०८

उदय प्रताप विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५-४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४५ पर)

जौनपुर जिले के मार्गों की सूची जिस पर व्यक्तिगत गाड़ियां चल रही हैं

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	लारियों की संख्या जो मार्ग पर चल रही हैं
१	जौनपुर-पोलकोछा वरास्ता खुटहन	५
२	जौनपुर-शाहगंज	१०
३	जौनपुर-सुजानगंज वरास्ता बरहईपार	४
४	मछलीशहर-हडियां वरास्ता जंघई	८
५	जौनपुर-बीजहवा वरास्ता मलही खुटहन	२
६	जौनपुर-सैयदपुर वरास्ता केराकत	६
७	जौनपुर-केराकत	१
८	जौनपुर-जमनिया वरास्ता मलहनी खुटहन	१
९	जंघई-चाल वरास्ता ज्ञानपुर	२
१०	जौनपुर-समोदपुर वरास्ता खुटहन नरन्दरपुर	१
११	मछलीशहर-बिलवार वरास्ता सुजानगंज	१
१२	मछलीशहर-मरियाहू वरास्ता बिलवार	१
१३	जौनपुर-मिनहाजपुर वरास्ता केराकट दोभी देवगांव	३
१४	जौनपुर-सरायमीर वरास्ता खेटासराय दीदारगंज	२
१५	जौनपुर-रामनगर वरास्ता मलहनी खुटहन बिलवाई	१
१६	जौनपुर-रामनगर वरास्ता शाहगंज	२
१७	खेतासराय-शाहगंज वरास्ता खुटहन मिललिया	१
१८	जौनपुर-केराकट वरास्ता काजगांव, सिरकौनी तथा थाना गद्दी ..	२
१९	जौनपुर-बिजधवा वरास्ता खेतासराय खुटहन मार्ग	१
२०	नोनारी-मरियाहू वरास्ता जमालपुर	१
२१	बिलवार-जंघई वरास्ता मुग्रा बादशाहपुर बभनियौन ..	१
२२	नानारी-जौनपुर वरास्ता मरियाहू राम दयाल गंज कुद्दुदर ..	२
२३	बकसा-राजाबाजार वरास्ता तेजी बाजार महराजगंज	२
२४	जौनपुर-धोबी वरास्ता केराकत	२

जौनपुर जिले के मार्गों की सूची जिस पर रोडवेज की बसें चल रही हैं

क्रम-सं०	मार्ग का नाम
१	जौनपुर-इलाहाबाद
२	जौनपुर-प्रतापगढ़
३	जौनपुर-वाराणसी
४	जौनपुर-आजमगढ़
५	जौनपुर-चील्हघाट

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४६ पर)

मई, १९५८ में नैनीताल में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के १६वें अधिवेशन में हुए विभिन्न निर्णयों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा

निर्णय	कार्यवाही जो की गई
औद्योगिक सम्बन्ध	
(१) औद्योगिक विवादों के समाधान के लिये अभिनिर्णय अंतिम उपाय होना चाहिये ।	सभी प्रादेशिक संराधन अधिकारियों को हिदायत दी थी कि वे विवाद को समझौते से हल करने में असफलता मिलने पर संबंधित पक्षों के समक्ष पंच निर्णय से हल करने के निश्चित प्रस्ताव रखें । इसी विधि से अब इस प्रदेश में कार्यवाही की जा रही है ।
(२) वर्क्स कमेटियों की मौजूदा स्थिति की ओर पूरी तरह जांच होनी चाहिये ।	इस सम्बन्ध में कार्यवाही श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिये और यह हो रही है । इस राज्य में राजकीय प्रतिष्ठानों में वर्क्स कौंसिलों की स्थापना से श्री गणेश किया गया है ।
(३) अ—एक ट्रेड यूनियन की कम से कम ४ आना मासिक शुल्क निर्धारित करना चाहिये और ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार को यूनियन के पत्रजातों की जांच करने का अधिकार दिया जाना चाहिये ।	प्रस्तावित उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन विधेयक में इन निर्णयों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।
ब—ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रेशन में होने वाली देरी को दूर किया जाना चाहिये ।	इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक कदम उठाये गये हैं । फलस्वरूप ट्रेड यूनियनों की रजिस्ट्री हेतु प्राप्त हुये प्रार्थना-पत्र अब जल्दी से श्रम निरीक्षकों की जांच हेतु भेज दिये जाते हैं । प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षरकर्त्ताओं के हस्ताक्षरों का सत्याप होते ही प्रत्येक ट्रेड यूनियन प्रमाणित कर दी जाती है ।
स—रजिस्ट्रेशन के प्रार्थना-पत्र के हस्ताक्षर-कर्त्ताओं में से यदि प्रार्थना पत्र की विचाराधीन अवधि में एक या दो को पद मुक्त कर दिया गया हो और यदि प्रार्थना-पत्र को देने के समय हस्ताक्षर कर्त्ता आवेदन करने के अधिकारी रहे हों तो इस आधार पर रजिस्ट्रेशन अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये कि वे अब श्रमिक नहीं रहे ।	इस राज्य में ऐसा पहले ही से किया जा रहा है ।

निर्णय	कार्यवाही जो की गई
द--ट्रेड यूनियनों की ऐच्छिक मान्यता के सम्बन्ध में एक कसौटी (क्राइटेरिया) निर्धारित कराई, ट्रेड यूनियनों की सदस्यता के प्रमाणीकरण की एक पद्धति भी स्वीकृत हुई।	ट्रेड यूनियन की मान्यता का प्रश्न प्रस्तावित उत्तर प्रदेशीय ट्रेड यूनियन विधेयक में शामिल किया जा रहा है।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना का कार्य	
(१) राज्य सरकार मेडिकल देखभाल की कोई भी पद्धति (सर्विस पैनल अथवा मिश्रित) अपना सकती है जिसे कि वह सर्वाधिक संभव समझे।	इस प्रदेश में सर्विस सिस्टम ठीक समझा गया है और वही इस प्रदेश में लागू है।
(२) मातृ का नकदी हित लाभ की दर में कुछ सुधार किया जाना चाहिये।	राज्य कर्मचारी बीमा निगम द्वारा मातृ का हित लाभ की दर बढ़ा कर पूरी तनखाह अथवा १२ आना प्रतिदिन (जो भी अधिक हो) कर दी गई है और इस फैसले को १ जून, १९५८ से लागू कर दिया है।
सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	
यदि राज्य सरकारें यह देखती हैं कि मकान बनाने के योग्य विकसित भूमि के अभाव में औद्योगिक गृह-निर्माण में प्रगति नहीं हो रही है तो जमीन की प्राप्ति तथा विकास के लिये उनके निर्धारित धन में व्यय करना चाहिये जितनी आवश्यकता हो। मकान बनाने के लिये इस भूमि का उपयोग उनके द्वारा किया जा सकता है अथवा उसे लाभ हानि रहित आधार पर नियोजकों को बेचा जा सकता है।	इस प्रदेश में अभी तक योजना के अन्तर्गत मजदूरों के मकान के हेतु समुचित भूमि न मिलने की कठिनाई नहीं हुई है।
श्रम कानूनी निर्णयों, समझौतों आदि का मूल्यांकन एवं उनको लागू करना	
मूल्यांकन लागू करने के कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं।	इस राज्य में एक त्रिदलीय कार्यान्वयन समिति और कार्यान्वयन व्यवस्था की स्थापना की जा चुकी है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४७ पर)

Statement showing departmental promotion and direct recruitment to non-Gazetted posts on which conductors are entitled for promotion

Sl. no.	Designation of posts	Scale of pay	Percentage of posts to be filled in by departmental promotion	Percentage of posts to be filled in by direct recruitment
1	2	3	4	5
		Rs.		
1	Assistant Traffic Inspectors.	75—5—100 ..	50 per cent by promotion of Booking Clerks and Conductors, City Bus Service.	50 per cent.
2	Booking Clerks	60—4—80—E.B.—4—100.	75 per cent by promotion of Assistant Booking Clerks, Conductors C.B.S. and Conductors on routes.	25 per cent.
3	Assistant Booking Clerks.	40—2—60—E.B.—4—80	100 per cent by promotion of conductors on routes.	Nil.
4	Junior Clerks	60—4—80—E.B.—4—100.	75 per cent by promotion of Conductors and Assistant Booking Clerks.	25 per cent.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १६९ एल, ए०—१९५९—८४५।